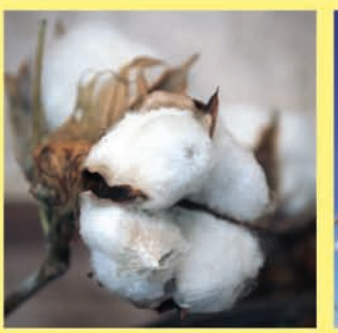
41 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011 41ST ANNUAL REPORT 2010-2011

भारतीय कपास निगम लिमिटेड

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED




निदेशक मंडल
(दिनांक 30.08.2011 को)
BOARD OF DIRECTORS
(As on 30.08.2011)



श्री बी.के.मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri B. K. Mishra, Chairman cum Managing Director



श्री वी. श्रीनिवास, निदेशक
Shri V. Srinivas, Director



श्री के. रामचंद्रन पिल्लाई, निदेशक
Shri K. Ramchandran Pillai, Director



श्री सी. एस. तेवतिया, निदेशक (विपणन)
Shri C. S. Teotia, Director (Marketing)



श्री आर. के. केडिया, निदेशक (वित्त)
Shri R. K. Kedia, Director (Finance)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.
41TH ANNUAL REPORT 2010-2011

निदेशक मंडल
(दिनांक 30-08-2011)

श्री बी.के.मिश्र	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री वी. श्रीनिवास	निदेशक
श्री के. रामचंद्रन पिल्लाई	
श्री सी. एस. तेवतिया	
श्री आर. के. केडिया	
श्री मनोज बजाज	कंपनी सचिव एवं. महा प्रबंधक (वित्त)

BOARD OF DIRECTORS
(As on 30-08-2011)

Shri B. K. Mishra	Chairman cum Managing Director
Shri V. Srinivas	Directors
Shri K. Ramchandran Pillai	
Shri C. S. Teotia	
Shri R.K. Kedia	
Shri Manoj Bajaj	Company Secretary cum General Manager (Fin)

लेखा परीक्षक

मेसर्स चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल, मुंबई

मेसर्स प्रेम गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखापाल, नई दिल्ली

AUDITORS

M/s. CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants, Mumbai

M/s. Prem Gupta & Co.
Chartered Accountants, New Delhi

पंजीकृत कार्यालय

"कपास भवन"
प्लॉट नं. 3ए, सेक्टर - 10, सी.बी.डी. बेलापुर,
नवी मुंबई - 400 614
वेब साईट : www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

REGISTERED OFFICE

"Kapas Bhavan"
Plot No. 3A, Sector 10, C.B.D. Belapur
Navi Mumbai - 400 614
Website: www.cotcorp.gov.in
www.ministryoftextiles.gov.in

अनुक्रमणिका

सूचना	02
अध्यक्ष का अभिभाषण	03
निदेशकों की रिपोर्ट	15
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	45
महा लेखा परीक्षक की टिप्पणी	53
तुलन-पत्र	54
लाभ और हानि लेखा	56
बैंचमार्किंग उत्कृष्टता	100
बैंको की सूची	122

CONTENT

Notice	02
Chairman Speech	03
Directors' Report	15
Auditor's Report	45
Comments of the CAG	53
Balance Sheet	54
Profit & Loss Account	56
Benchmarking Excellence	100
List of Banks	122

सूचना

NOTICE

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड की 41 वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरूवार, **30 अगस्त, 2011 को 2.00 बजे** कपास भवन, प्लॉट नं 3ए, सेक्टर 10, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 में निम्नलिखित काम-काज करने के लिए आयोजित की जायेगी :

(1) दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा प्राप्त और स्वीकार करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते भारतीय कपास निगम लिमिटेड

हस्ता/-
(मनोज बजाज)
कंपनी सचिव एवं महा प्रबंधक (वित्त)

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 8 अगस्त 2011

नोट्स:
बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के अधिकारी सदस्य अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को उपस्थित रहने और अपने स्थान पर मतदान करने का अधिकार प्रदान कर सकते हैं तथा ऐसे प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं हैं।

NOTICE is hereby given that the 41st Annual General Meeting of the Cotton Corporation of India Limited will be held on **Tuesday the 30th August, 2011 at 2.00p.m.** at Kapas Bhavan, Plot No. 3A, Sector 10, CBD-Belapur, Navi Mumbai 400 614 to transact the following business:

(1) To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2011, the Profit and Loss Account for the year ended on that date and the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon.

By order of the Board of Directors,
For THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

Sd/-
[MANOJ BAJAJ]
Co. Secretary cum Gen. Manager (Fin)

Place: Navi Mumbai
Date : 8th August 2011

NOTES:
Member entitled to attend and vote is entitled to appoint another person as his proxy to attend and vote instead of himself and proxy need not be a member.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

निगम की 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

सज्जनो,

भारतीय कपास निगम लिमिटेड की इस 41वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर मैं, अपनी ओर से और निगम के निदेशक मंडल की ओर से आप सबका सहर्ष स्वागत करता हूँ । इस बैठक की सूचना की नोटिस, निदेशक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे पहले ही परिचालित किये जा चुके हैं । आपकी अनुमति से, मैं उसे पठित मानता हूँ ।

कपास मौसम 2010-2011 देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में अद्वितीय उतार-चढ़ाव के साथ चुनौतियों और अवसरों का ऐतिहासिक रूप से एक अभूतपूर्व वर्ष रहा है । किन्तु आपका निगम विवेकशील नीतियों और निष्ठावान एवं अनुभवी कर्मचारियों के कारण चुनौतियों का सामना करने और संगठन के लिए उल्लेखनीय स्थान बनाने तथा इसे और दृढ़ बनाने में सफल रहा है ।

कपास परिदृश्य

विश्वीय

- पिछले कपास मौसम में, अन्य स्पर्धात्मक फसलों की तुलना में कपास मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि ने, वर्ष 2010-11 में विश्व कपास को 13% की वृद्धि के साथ 33.66 मिलियन हेक्टर्स तक पहुँचा दिया, जबकि पिछले वर्ष 29.98 मिलियन हेक्टर्स था ।
- कपास उत्पादन करने वाले अधिकांश देशों ने कपास की बुआई में विस्तार के साथ, कपास मौसम 2010-11 में विश्व कपास उत्पादन 13% की वृद्धि के साथ 24.77 मिलियन टन्स तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 22.01 मिलियन टन्स था । यू.एस.ए. तथा भारत द्वारा उत्पादन में वृद्धि की गई है, जबकि चीन तथा पाकिस्तान में गिरावट आयी है ।
- सीमित उपलब्ध आपूर्ति तथा उच्च मूल्य के कारण, वर्ष 10-11 में विश्व मिल उपभोग 25.11 मिलियन टन्स तक स्थिर

SPEECH OF CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR AT THE 41ST ANNUAL GENERAL MEETING OF THE CORPORATION

Gentlemen,

It gives me a great pleasure to welcome you all on behalf of the Board of Directors of the Corporation as also on my own behalf to this 41st Annual General Meeting of the Cotton Corporation of India Ltd. The Notice convening the meeting, the Director's Report and the Annual Audited Accounts for the year ended 31st March 2011 have already been circulated and with your permission, I shall take them as read.

The cotton season 2010-11 had been historically a unique year with unprecedented volatility in the prices of cotton both domestically and internationally thereby posing challenges and opportunities. Your Corporation, with its prudent policies, dedicated and experienced cadre of employees had been able to meet these challenges creating value for the organization and gaining further strength.

Cotton Scenario

Global:

- Driven by a significant rise in cotton prices as compared to other competing crops in previous cotton season, the world cotton acreage in 2010-11 has increased significantly by 13% to 33.66 million hectares as against 29.98 million hectares in the previous year.
- With expansion in plantings in most producing countries under cotton, world cotton production in cotton season 2010-11 has increased by 13% to 24.77 million tons as against 22.01 million MT in previous year. The increase in production was driven by USA and India, whereas the same has decreased in China and Pakistan.
- Due to limited available supplies and high prices, the world mill use in 2010-11 remained stable at

रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 25.04 मिलियन टन्स था । तथापि, भारत में कपास मिलों का उपभोग 9%की वृद्धि के साथ 4.5 मिलियन टन्स हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 4.32 मिलियन टन्स था ।

- वर्ष 2010-11 में विश्व कपास व्यापार 7.75 मिलियन टन्स पर स्थिर रहा । तथापि चीन द्वारा कपास का आयात 14% की वृद्धि के साथ 2.70 मिलियन टन्स हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 2.37 मिलियन टन्स था, अतः कुल विश्वीय आयात में कपास आयात का इसका भाग लगभग 35% था, जबकि पिछले वर्ष 30%था ।
- वर्ष 2010-11 में विश्वीय स्टॉक लगभग 2% की वृद्धि के साथ 8.73 मिलियन टन्स तक पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष 8.54 मिलियन टन्स था ।

देशी

कपास का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता

- पिछले वर्षों में कपास के लिए अच्छे मूल्य प्राप्त होने के कारण तथा बुआई के समय कृषि जलवायु अनुकूल रहने के कारण, कपास मौसम 2010-11 में कपास उत्पादकों ने प्रतिस्पर्धात्मक फसलों की तुलना में कपास के क्षेत्र में वृद्धि की । वर्ष 2010-11 में कपास के अधीन क्षेत्र 8% वृद्धि के साथ 111.61 लाख हेक्टर्स के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गया, जबकि पिछले वर्ष 103.10 लाख हेक्टर्स था ।
- देश में बीटी उपज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है । कपास मौसम 2010-11 में कुल 111.42 लाख हेक्टर्स क्षेत्र की तुलना में 98.54 लाख हेक्टर्स क्षेत्र बीटी कपास के अधीन रहा है यानि यह समग्र क्षेत्रफल का लगभग 88% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 78%था ।
- कपास मौसम 2010-11 के दौरान, कृषि जलवायु अनुकूल रहने के कारण बीटी कपास के खेती में वृद्धि हुई, जो निरंतर सातवें वर्ष में उच्चतम रही, जो लगभग 5.30 मिलियन मैट्रिक टन्स (170 प्रति किग्रा. के 31.20 मिलियन गाँठें) के समकक्ष रही थी, जबकि वर्ष 2009-10 के दौरान यह 5.20 मिलियन मैट्रिक टन्स (29.50 मिलियन गाँठे) थी ।
- भारत सरकार द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत उठाये गये विभिन्न उपायों के कारण गुणवत्तावाले प्रमाणित बीजों की और ट्रुथफुल लेबल बीजों की बेहतर उपलब्धता के कारण बीटी बीजों की उपयुक्तता बढ़ गयी है और उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा संशोधित कृषि उपायों को अपनाने के

25.11 million MT as against 25.04 million MT of previous year. However, cotton mill use in India has increased by 9% to 4.5 million tons as against 4.32 million tons previous year.

- World cotton trade in 2010-11 was stable at 7.75 million tons. However, the cotton imports by China have increased by 14% to 2.70 million tons as against 2.37 million tons last year, thereby increasing its share of cotton imports in the total global imports to around 35% as against 30% in the previous year
- Global stocks in 2010-11 have increased by around 2% to 8.73 million tons as against 8.54 million tons in previous year.

Domestic

Acreage, production and productivity of cotton:

- Encouraged with receipt of good prices in the previous and with favourable agro-climatic conditions at the time of sowing, the cotton farmers increased the acreage under cotton in cotton season 2010-11 by switching over from other competing crops. The cotton acreage in cotton season 2010-11 has increased by 8% to reach a record level of 111.61 lakh hectares as against 103.10 lakh hectares in the previous year.
- Acreage under Bt cotton in the country continued to increase year after year. In cotton season 2010-11, out of total 111.42 lakh hectares area, 98.54 lakh hectares area was covered under Bt cultivation, constituting around 88% of the total acreage as compared to 78% in the previous year.
- During cotton season 2010-11, with favourable agro-climatic conditions, increased acreage and advent of Bt cultivation, the country once again harvested higher cotton crop for the seventh consecutive year at 5.30 million metric tons (equivalent to 31.20 million bales of 170 kgs each) as against 5.02 million metric tons (29.50 million bales) during 2009-10.
- With various measures by Government of India under Technology Mission on Cotton, better availability of quality certified seeds and truthful

कारण किसानों की मनःस्थिति मे बदलाव आया है, जिस-के कारण देश में कपास का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है । कपास मौसम 2010-11 में कपास उपज 496 किग्रा. प्रति हेक्टर रही, जबकि पिछले वर्ष यह 486 किग्रा. थी ।

मांग और आपूर्ति स्थिति

- समीक्षाधीन वर्ष यानि अप्रैल से सितंबर, 2010 में देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर यार्न के लिए मांग अच्छी रही है । यू.एस.डॉलर की तुलना में रूपये का मूल्य घटने के कारण उस अवधि में यार्न के निर्यात में मदद मिली । वैश्विक आर्थिक स्थिति की प्रगति की प्रत्याशित सुधार में यार्न, फेब्रिक एवं परिधान मांग में देशी तथा वैश्विक मार्केट में प्रगति होती गयी । इसके फलस्वरूप तथा सुधारे हुए परिचालन लाभ मार्जिन के साथ वस्त्रोद्योग की अधिकांश मिलें अपनी कपास की आवश्यकता खरीदने में सक्रिय हो गयी थी । प्रोडक्ट लाईन्स के साथ उत्पादन में सुधार को, मांग में पुनःसुधार के साथ तथा क्षमता बढ़ाने/आधुनिकीकरण उपायों के साथ समर्थन मिला है ।
- फिर भी देशी कॉटन यार्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. 14(आरई-2010)/2009-14 दिनांक 22.12.2010 के अनुसार यार्न के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा । उसके बाद अधिसूचना सं.31(आरई-2010)/2009-14 दिनांक 10.03.2011 के अनुसार 720 मिलियन किग्रा. के यार्न के बाद कपास के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया । कपास यार्न को प्रतिबंध के अंतर्गत लाने के कारण डीईपीबी के लाभ और यार्न पर शुल्क वापसी के कारण कपास के मूल्य में गिरावट की प्रवृत्ति आ गयी, जिसके परिणामस्वरूप घटे मूल्य पर यार्न के उठाव में कमी आयी । इसके अलावा देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर कपास मूल्यों में तेज गिरावट ने स्थिति को और गंभीर बना दिया । उपभोग में घटौती और तमिलनाडु में डाईंग प्लांट के बंद होने के कारण देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग पूर्णतः प्रतिबंधित हो गयी । इसके कारण मिलों को वित्तीय संकट, कार्यशील पूँजी समाप्त होने, यार्न और कपास स्टॉक के जमा होने की समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा मिलों ने कपास से पॉलिस्टर की तरफ अपना व्यापार बढ़ाया, शिफ्ट में कमी की तथा परिचालन को पूर्णतः बंद किया ।

label seeds, increased usage of Bt seeds and the changed mindset of cotton farmers towards improved farm practices etc., the productivity of cotton in the country over the years had been continuously increasing. The yield per hectare in 2010-11 had been 496 kgs/hectare as against 486 kgs/ha in previous year.

Demand & Supply situation

- In the year under review i.e. April to September 2010, the demand for yarn, both domestically and world over had been good. The weakening of Rupee against US$ had also helped in pushing yarn exports during this period. With expected improvement in the global economy, the demand for yarn, fabrics and garments started improving both domestically and in world market. With this, as also with improved operating profit margin, most of the textile mills had become active in purchasing their cotton requirements. Improvement in production across product lines has been supported by revival in the demand as well as significant capacity additions/ modernization initiatives.

  However, with a view to provide adequate domestic availability of cotton yarn, the Government of India vide Notification No.14(RE-2010)/2009-14 dated 22-12-2010 had placed export of cotton yarn under restricted category and subsequently vide Notification No.31(RE-2010)/2009-14 dated 10th March 2011 has put restrictions on export of cotton yarn beyond 720 million kgs. The cap on yarn exports, withdrawal of DEPB benefits and duty draw back on yarn and cotton has resulted into downtrend in cotton yarn prices, which had resulted into poor off-take of yarn, even at reduced prices. Besides this, sharp decline in international and domestic cotton prices further worsened the situation. There has been complete demand restrictions in domestic and international market due to reduction in consumption and closer of dying plants in Tamil Nadu. Due to this, the mills started facing financial tightness, erosion of working capital, piling up of yarn and cotton stocks and switched over to polyester from cotton, reduced number of shifts and complete shutdown of operations.

इसके परिणामस्वरूप कपास मौसम 2010-11 में देशी कपास उपभोग 1% की मार्जिनल वृद्धि के साथ 4.30 मिलियन मैट्रिक टन्स (25.30 मिलियन गाँठें) तक पहुँच गया । जबकि पिछले वर्ष 2009-10 में यह 4.25 मिलियन मैट्रिक टन्स (25.00 मिलियन गाँठें) था।

वर्ष के दौरान मुख्य गतिविधियाँ और नीति निर्माण :

- कपास मौसम 2010-11 के लिए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 58/2009-14 दिनांक 17 अगस्त, 2010 द्वारा दिनांक 1-10-2010 से शुल्क मुक्त कपास निर्यात के लिए अनुमति दी गई, उस प्रावधान के साथ कि संविदा को पोतवहन के पूर्व वस्त्र आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है ।
- भारत सरकार ने देशी वस्त्र मिलों की कपास सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कपास निर्यात योग्य आ-तिरिक्त मात्रा की पहचान करने के लिए मंत्रियों के समूह समिति की प्रणाली बनायी । तद्नुसार मंत्रियों की समिति की दिनांक 28-10-2010, को हुई बैठक में कपास मौसम 2010-11 के लिए 55 लाख निर्यात योग्य अतिरिक्त कपास की पहचान की गई, जिसका निर्यात पंजीकरण वस्त्र आयुक्त कार्यालय, मुंबई में किया गया है ।
- वर्ष 2010-11 के लिए कपास यार्न सलाहकार मंडल (सीवायएबी) द्वारा 720 मिलियन टन्स किग्रा. यार्न की पहचान की गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 589 मिलियन टन्स किग्रा. था । देश में कपास यार्न की पर्याप्त उपलब्धता तथा मूल्यों में स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 720 मिलियन टन्स किग्रा. के बाद आगे कोई पंजीकरण नहीं किया जाएगा ।
- निर्यात के लिए शेष मात्रा के पंजीकरण के लिए परिपत्र संख्याः09 (आरई-2010) /2009-14 डीजीएफटी द्वारा आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए ।
- नीति परिपत्र संख्याः२० (आरई-2010)/2009-14 दिनांक 14-2-2011, कपास यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध निर्यात के लिए 720 मिलियन किग्रा.की सीलिंग मात्रा से छूट (i) आयातित कच्ची कपास से कपास यार्न का उत्पादन (ii) 100% निर्यातोन्मुख द्वारा कपास यार्न (iii)वर्धित मूल्य विशेष यार्न तथा तकनीकी यार्न, 31 मार्च, 2011 तक ।

As a result, the domestic cotton consumption in cotton season 2010-11 has also increased marginally by 1% only to 4.30 million metric tons (25.30 million bales) as against 4.25 million metric tons (25.00 million bales) in 2009-10.

Major Developments and Policy Initiatives during the year

- Duty free exports of cotton permitted for cotton season 2010-11, vide Government of India Notification No.58/2009-14 dated 17th August 2010 with effect from 1-10-2010 with the provision that the contracts shall be registered with the Textile Commissioner, prior to shipment.
- Government of India had set up a mechanism of Committee of Group of Ministers (GoM) to identify quantity of exportable surplus of raw cotton for ensuing cotton security to the domestic textile mills. Accordingly, in the meeting held on 28-10-2010, the GoM had identified exportable surplus at 55.00 lakh bales for cotton season 2010-11 for which export registration had been done in the office of the Textile Commissioner, Mumbai.
- Yarn exports for 2010-11 has been identified by the Cotton Yarn Advisory Board (CYAB) at 720 mn kgs as against 589 mn kgs in the previous year. With a view to ensure adequate domestic availability of cotton yarn and ensure price stability, the Government of India has decided that there would be no further registration for yarn exports beyond 720 mn kgs.
- Vide circular No.09 (RE-2010)/2009-14 DGFT invited application for registration of balance quantity for exports.
- Policy Circular No,20(RE-2010)/2009-14 dated 14-2-2011, restrictions on export of cotton yarn – Exemption from the quantity ceiling of 720 mn kgs for export of (i) cotton yarn manufactured out of imported raw cotton (ii) cotton yarn by 100% EOUs and (iii) Value Added Special Yarn and Technical Yarn upto 31st March 2011.

- कपास यार्न का निर्यात, जिस पर पहले "प्रतिबंध" था, अब अधिसूचना संख्याः20 (आरई-2010)/2009-14 दिनांक 31.03.2011 द्वारा "मुक्त" कर दिया गया, बशर्ते कि डीजीएफटी के पास निर्यात संविदा का पंजीकरण हो।
- सार्वजनिक सूचना संख्याः 45 (आरई-2010)/ 2009-2014 दिनांक 31-3-2011 द्वारा दिनांक 21.04.2010 से कपास यार्न निर्यात पर डीईपीबी लाभ समाप्त किया गया । अतः दिनांक 21.04.2010 के बाद किए गए निर्यात के लिए (कपास यार्न के लिए मूल कच्ची सामग्री) डीईपीबी लाभ बंद किया गया ।
- कपास मौसम 2010-11 के लिए कपास के निर्यात पर कॅप, जो पहले 55 लाख गाँठें था, अधिसूचना संख्याः 57 (आरई-2010) /2009-14 दिनांक 9.6.2011 द्वारा इसकी सीमा 65 लाख गाँठों तक बढाई गयी ।
- अधिसूचना संख्याः 62 (आरई-2010) /2009-14 दिनांक 2.8.2011 द्वारा कपास मौसम 2010-11 (30 सितंबर, 2011 तक) के लिए कपास निर्यात के प्रतिबंध को हटाया गया ।
- अधिसूचना संख्याः 68 (आरई-2010) /2009-14 दिनांक 4.8.2011 द्वारा भारत सरकार ने दिनांक 1.10.2010 के पश्चात् किए गए निर्यात के संबंध में कच्ची कपास के निर्यात पर डीईपीबी के लाभ को पुनःस्थापित किया गया ।
- अधिसूचना संख्याः 67 (आरई-2010)/2009-2014 दिनांक 18.8.2011 द्वारा वर्तमान कपास वर्ष 2010-11 (30 सितंबर, 2011 तक) के दौरान कपास के निर्यात के लिए एक से अधिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गयी ।

मूल्य प्रवृत्तिः

- देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बजार में कपास के लिए अच्छी मांग के कारण, कपास मौसम 2010-11 में कपास के आरंभिक मूल्य वर्ष 2009-10 के आरंभिक मूल्यों की तुलना में लगभग 25% से 71% तक अधिक रहे ।
- देश में कपास के लिए मांग में वृद्धि के अलावा, मौसम के प्रारंभ में, निर्यातक भी 30 नवंबर, 2011 के पूर्व पोतवहन पूरा करने के लिए उनकी कपास की आवश्यकताओं

- Export of cotton yarn, which was earlier "Restricted" has been made "free" vide Notification No.40 (RE-2010)/2009-14 dated 31-3-2011 subject to registration of export contracts with DGFT.
- DEPB benefit on export of cotton yarn was withdrawn with effect from 21.4.2010 vide Public Notice No.45 (RE-2010)/2009-2014 dated 31-3-2011. Therefore, DEPB benefit on cotton (the basic raw material for cotton yarn) has been disallowed for exports made from 21.04.2010 onwards.
- Cap on export of cotton for cotton season 2010-11 has been increased to 65.00 lakh bales from the earlier limit of 55.00 lakh bales vide Notification No.57 (RE-2010)/2009-14 of 9th June 2011.
- Vide Notification No.62 (RE-2010)/2009-14 dated 2nd August has removed the cap on export of cotton for cotton season 2010-11 (upto 30th September 2011).
- Vide Notification No.68 (RE-2010)/2009-14 dated 4th August 2011 the Government of India has restored the benefits of DEPB on export of raw cotton in respect of export made on or after 1-10-2010.
- Vide Notification No.67 (RE-2010)/2009-2014 dated 18th August 2011 has allowed to obtain more than one Registration Certificate for export of cotton during the current cotton year 2010-11 (up to 30th September 2011).

Price Trend

- Due to good demand for cotton domestically and internationally, the opening prices of cotton in cotton season 2010-11 were higher by around 25% to 71% as compared to the opening price of 2009-10.
- Besides increasing demand for cotton domestically, since beginning of the season, the exporters had also been very active in covering their cotton requirements for effecting shipments before 30th

की खरीद के लिए सक्रिय थे । इसके परिणामस्वरूप, कपास मौसम 2010-11 के प्रारंभ में, देशी कपास के मूल्य बहुत ही अस्थिर रहे तथा आज तक के सबसे अधिक ऐतिहासिक स्तर तक पहुँच गए, जो आरंभिक मूल्यों से 63% से 77% अधिक थे ।

- चूँकि अप्रैल, 2011 के प्रथम सप्ताह में, कपास की गुणवत्ता में गिरावट के अलावा, यार्न की दर कम करने पर भी कपास यार्न का कम उठाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप देशी मिलों का स्पिनिंग कार्य प्रभावित होने के कारण कपास मूल्यों पर दबाव पड़ा ।
- इसके परिणामस्वरूप, रूई के मूल्यों में गिरावट शुरू हुई तथा वह एस-6 की लोकप्रिय किस्म में अप्रैल, 2011 के माह में 61500/- रू. प्रति कैंडी के सर्वोच्च मूल्य स्तर से जुलाई, 2011 के अंतिम सप्ताह में लगभग 50 से 51% की गिरावट के साथ 30000/- रू. प्रति कैंडी तक पहुँच गये ।

अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य :

- मौसम के प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्यों में वृद्धि रही है । विश्व कपास का बहुत कम स्टॉक, सीमित आपूर्ति, अच्छी मांग तथा यू.एस.डॉलर में अवमूल्यन कपास मूल्य में वृद्धि के कारण बने । बहुत कम अप्रतिबद्ध आपूर्ति ने मूल्यों पर दबाब डाला, जिसने पूरे मौसम में कपास मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि की ।
- कॉटलुक ए-इन्डेक्स, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के मानदंडों में मार्च, 2011 के प्रथम सप्ताह में 243.65 यू.एस.सेंटस प्रति एलबी के अब तक सर्वोच्च रिकार्ड पर पहुँचा ।
- अप्रैल, 2011 के प्रथम सप्ताह में, कपास के बहुत ही ऊँचे मूल्यों और ऋण प्राप्ति की समस्या को ध्यान में रखते हुए मांग में उल्लेखनीय कमी के कारण, अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य लगभग 35% की गिरावट के साथ 158.00 यू.एस.सेंटस प्रति एलबी तक पहुँच गए । कपास मौसम 2010-11 के लिए कॉटलुक इन्डेक्स औसतन 165 यू.एस. सेंटस प्रति एलबी पर रहा ।

निगम का कार्य-निष्पादन

न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य

- जब कभी प्रचलित कपास मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य को छूते हैं, आपका निगम भारत सरकार के निदेशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन

November 2011 against their commitment. As a result, since beginning of cotton season 2010-11, the domestic cotton prices had been very much volatile and reached ever-historically high levels, which were higher by 63% to 77% than the opening prices. .

- Since first week of April 2011, besides deterioration in quality of cotton, poor off-take of cotton yarn even at reduced rates, thereby affecting the spinning operations of domestic mills has put pressure on the cotton prices.
- As a result, the cotton lint prices have started declining and the same have dropped by around 50 to 51% to Rs.30000/- per candy in last week of July 2011 from the peak level price of Rs.61500 per candy in the month of April 2011 of popular in S-6 variety.

International Price Trend

- International cotton prices have risen steeply since beginning of the season. Very low world stocks of cotton, limited supply, robust demand and depreciation of US Dollar have caused surge in cotton prices. Very scarce uncommitted supply provided strong pressure on prices due to which there had been extremely high volatility in the cotton prices throughout the season.
- The Cotlook A index, a measure of international prices had reached all time record high level of 243.65 US Cents per lb. in the first week of March 2011.
- Since first week of April 2011, due to significant slowing in demand in view of very high cotton prices, problems of credit access, the international cotton prices have declined by around 35% to a level of 158.00 US C/lb. The Cotlook A Index for cotton season 2010-11 has averaged at 165 US Cents per lb

Performance of the Corporation

MSP Operations

- As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered

मूल्य (एमएसपी) द्वारा उन्हें ऑफर की गई संपूर्ण कपास मात्रा खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश करता है। भारत सरकार ने वही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कपास मौसम 2010-11 के लिए रखे हैं, जो कपास मौसम 2009-10 के लिए निश्चित किये थे।

फिर भी, कपास मौसम 2010-11 में, सभी कपास उत्पादक राज्यों में सभी किस्मों के प्रचलित मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से ऊपर प्रचलित थे। इसके कारण आपके निगम को कपास मौसम 2010-11 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य करने का अवसर नहीं मिला।

वाणिज्यिक कार्य

- न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य न होने की स्थिति में, आपके निगम ने वाणिज्यिक कार्य-कलाप सम्पूर्णतः स्वयं की जोखिम पर प्रारम्भ किया ताकि किसानों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त हो सके तथा उनकी नियमित खरीददार मिलों की यानि संस्थागत और निजी क्षेत्र दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ निर्यात की पूर्ति की जा सके।

  कपास मौसम 2010-11 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य की असंभावना को देखते हुए, निगम ने वाणिज्यिक कार्य प्रारम्भ किया, ताकि अपने नियमित मिल खरीददारों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके । निगम द्वारा वाणिज्यिक कार्य के अंतर्गत लगभग 68.39 लाख क्विंटल कपास की खरीद की गयी, जो 13.66 लाख गाठों के समकक्ष है ।

देशी बिक्री

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश में तथा विश्व स्तर पर भारतीय कपास के लिए अच्छी मांग होने के बावजूद, आपकी निगम ने स्टॉक परिसमाप्त करने के लिए व्यावहारिक नीति का अनुपालन किया, जिससे कपास का स्टॉक परिसमाप्त करने में सहायता मिली है । निगम गत वित्तीय वर्ष में, 74.87 लाख गाठों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में 12.67 लाख गाठें बेचने में सफल रहा ।

निर्यात बिक्री

- कपास मौसम 2010-11 में, भारत सरकार ने ई.ए.आर.सी. अनुबन्ध के साथ 55.00 लाख गाँठों के निर्यात के लिए अनुमति दी थी और बहुत से निर्यातकों ने भविष्य में खरीद की प्रत्याशा में कपास की निर्यात के लिये ई.ए.आर.सी. के लिए आवेदन किया था । तथापि,

to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs) announced by the Government of India. Government of India had retained the same MSPs for cotton season 2010-11, as were fixed for cotton season 2009-10.

However, in cotton season 2010-11, since the prevailing kapas prices in all the cotton growing states in all the varieties were ruling above the MSP level, there was no occasion for your Corporation to undertake MSP operations in cotton season 2010-11.

Commercial Operations

- In the absence of MSP operations, the Corporation undertakes commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and in private sector as also for exports.

  Looking to the impossibility of MSP operations in cotton season 2010-11, the Corporation had started commercial operations to cater the needs of its regular mill buyers. The Corporation has purchased around 68.39 lakh quintals of kapas equivalent to 13.66 lakh bales under commercial operations.

Domestic Sales

- During the year under review, besides good demand for Indian cotton domestically and world over, your Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the cotton stocks. The Corporation has succeeded in selling 12.67 lakh bales in FY 2010-11 as against 74.87 lakh bales in the previous FY.

Export Sales

- In cotton season 2010-11, the Government of India had allowed export of 55.00 lakh bales with stipulation of EARC and most of the exporters had applied for EARC for export of cotton in anticipation of future purchases. However, your

आपका निगम ई.ए.आर.सी. के लिए आवेदन नहीं कर सका, क्योंकि निगम कपास की बिक्री केवल वास्तविक खरीद के सामने एल.सी. भुगतान या अग्रिम नगद भुगतान पर करता है । तथापि, कपास मौसम 2010-11 में, डी.जी.एफ.टी. से यथानुपात आधार पर, उसके बाद कोटा आबंटन करने पर आपका निगम निर्यात में गत वर्ष की 12,295 गाठों की तुलना में 19,174 गाठें निर्यात में बिक्री कर सका है ।

बिक्री टर्न-ओवर

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम का टर्न-ओवर गत वर्ष के 8393.25 करोड़ रूपये के टर्न-ओवर की तुलना में 2743.23 करोड़ रूपये रहा। टर्न-ओवर में घटौती मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभिक स्टॉक में कमी के कारण थी । फिर भी, निगम द्वारा उपभोक्ता मिलों को गुणवत्तावाली कपास की सीधी आपूर्ति और ग्राहकों को बिक्री पूर्व और बिक्री के बाद अच्छी सेवा उपलब्ध करते हुए, व्यावहारिक बिक्री नीति का अनुपालन जारी रखा।

मूल्य वर्धन

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निर्यातोन्मुख ईकाइयों तथा अन्य गुणवत्ता के प्रति जागरूक मिलों से संदूषण-मुक्त कपास की मांग को पूरा करने के लिए आपके निगम ने गत वर्ष में 75% उपलब्धि के सामने कुल खरीद की लगभग 80% गाठें न्यूनतम संदूषण-मुक्त गाँठें संसाधित की । मिलों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और निगम, आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में संसाधित कपास को प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा।

विकासशील गतिविधियाँ

- कपास किसानों के बीच सधनित कपास खेती यानि संविदा खेती को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय बनाने के लिए तथा कपास किसानों और खरीददार मिलों/ग्राहकों को लाभ पहुँचाने के लिए आपका निगम कपास मौसम 2010-11 में सुविधाकर्ता के रूप में सघनित कपास खेती (संविदा खेती) को प्रोत्साहित करता रहा है। एक नोडल एजेन्सी के रूप में, निगम ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत वर्ष 2009-10 तक फ्रन्ट-लाईन डेमोन्स्ट्रेशन (एफएलडी) का कार्य किया । तथापि वर्ष 2010-11 में भारतीय कपास निगम को निधि का आबंटन न करने के कारण निगम फ्रंटलाईन डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य नहीं कर सका है । तथापि, निधि के आबंटन के साथ, निगम कपास मौसम 2011-12 में फ्रंटलाईन डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य कर सकेगा ।

Corporation could not apply for EARC since it sell cotton only against physical purchases on LC payment or advance cash payment. However, on allocation of subsequent quota on pro-rata basis from DGFT, in cotton season 2010-11, your Corporation could sell 19174 bales in exports as against 12,295 bales in previous year.

Sales Turnover

- During the year under review, the turnover of the Corporation had been Rs.2743.23 crores as against the turnover of Rs.8393.25 crores in the previous year. The reduction in turnover was due to less opening stock from FY 2009-10. However, the Corporation continued to pursue the policy of pragmatic sales, directly to consuming mills by supplying quality cotton and by providing better pre and post sales services to the customers..

Value Addition

- In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 80% of the total procurement with least contamination as against the achievements of 75% during last year. The response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium.

Developmental Activities

- With a view to promote and popularize the concept of Integrated Cotton Cultivation i.e. Contract Farming amongst the farming community as also the benefits to cotton farmers and buyer mills/ultimate consumers, your Corporation took up Integrated Cotton Cultivation as a facilitator in cotton season 2010-11. As one of the Nodal agencies, the Corporation had been undertaking FLDs under MM-II of TMC till 2009-10. With non-allotment of funds to CCI, the Corporation could not take up FLD in 2010-11. However, with allotment of fund, the Corporation would be taking up FLDs in cotton season 2011-12.

वित्तीय परिणाम

- गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निगम को 8.17 करोड़ रूपये (कर के बाद) के लाभ के सामने वित्तीय वर्ष 2010-11 में मॉर्जिनल 0.96 करोड़ रूपये (कर के बाद) की शुद्ध हानि हुई है । यह हानि मुख्यतः, वाणिज्यिक कार्य के घटे हुए प्रारम्भिक स्टॉक तथा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान घटे हुए टर्न-ओवर के कारण हुई ।

कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-III और IV का कार्यान्वयन

- निगम कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) के मिनी मिशन-III और IV के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी रहा है । कपास में संदूषण को न्यूनतम करने के लिए 11वीं योजना तक 250 मार्केट यार्डों के लक्ष्य का विकास के लिए अनुमोदन किया गया था, ताकि कपास उत्पादकों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके । इन 250 मार्केट यार्डों का कुल परिव्यय 476.10 करोड़ रूपये है, जिसमें कपास प्रौद्योगिकी मिशन की 250.39 करोड़ रूपये की सहायता है । अनुमोदित की गई 250 परियोजनाओं में से 246 परियोजनाएँ 31-3-2010 तक पूरी की गई हैं और भारत सरकार द्वारा 231.42 करोड़ रूपये की सब्सिडी जारी की गई थी । इस प्रकार, 1000 जिनिंग एवं प्रेसिंग ईकाइयों के लक्ष्य के सामने, कपास प्रौद्योगिकी मिशन ने 1011 (परियोजनाओं को निष्पादित न करने के लिए रद्द की गई प्रत्याशा के विरूद्ध) फैक्टरियों को आधुनिकीकरण के लिए हाथ में लिया था। इन फैक्टरियों का आधुनिकीकरण करने के लिए कुल परिव्यय 1424.61 करोड़ रूपये था, जिसमें कपास प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा 224.25 करोड़ रूपये की सहायता दी गई थी । दिनांक 31-3-2010 तक पूर्ण की गई 859 परियोजनाएँ हैं और भारत सरकार द्वारा 184.75 करोड़ रूपये की सब्सिडी जारी की गई थी । जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण ने टीएमसी के 2-3½% मानदण्डों के विरूद्ध ट्रैश/संदूषण के वर्तमान स्तर 5 से 8% घटाकर 1-1½% पर पहुँचा दिया है ।
- उपरोक्त के परिणामस्वरूप देशी कताई उद्योग को बेहतर संसाधित और बेहतर संदूषण-मुक्त कपास मिल सकी है । अब भारतीय कपास अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानदंडो के समकक्ष संसाधित है और कई निर्यातक देशों की कपास के समकक्ष विश्व में स्वीकार्य है । कपास प्रौद्योगिकी की मिशन के मिनी मिशन-III और IV की योजना 31 दिसम्बर 2010 को बंद हुई है

Financial Results:

- During the financial year 2010-11, the Corporation has incurred a marginal net loss of Rs.0.96 crores (after tax) as against the profit of Rs.8.17 crores (after tax) in the financial year 2009-10. The loss has been mainly due to low opening stock of commercial operation and lower turn-over during the year under review.

Implementation of Mini Mission III and IV of TMC

- The Corporation had been the implementing agency for Mini Mission III and IV of the Technology Mission on Cotton (TMC). The target of 250 market yards upto XIth plan had been approved for development to minimize contamination in kapas so as to enable the cotton farmers to get better price for their cotton. The total outlay for these 250 market yards was Rs.476.10 crore with TMC assistance of Rs.250.39 crore. Out of these 250 projects approved, 246 projects have been completed upto 31st March 2010 and GOI subsidy of Rs.231.42 crore was released. Similarly, against the target of 1000 G&P Units, TMC has taken up 1011 factories for modernization (against anticipation cancellations of non-performing projects). The total outlay for modernization of these factories was Rs.1424.61 crore with TMC assistance of Rs.224.25 crore. There are 859 projects which have been completed upto 31-3-2010 and GOI subsidy of Rs.184.75 crore was released. The modernization of G&P factories has reduced the trash/contamination from the earlier levels of 5-8% to 1-1½% as against TMC norms of 2-3½%.
- As a result of the above, the domestic spinning industry is able to get better processed and contamination free cotton. Further, the Indian cotton is now processed equivalent to International quality standards and is accepted world over at par with cotton of other exporting countries. The Scheme of TMC MM-III and IV is closed on 31st December 2010.

निगमित सामाजिक दायित्व

- भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय और सामाजिक उद्यम (डीपीई) ने विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है, जिसके द्वारा उनके शुद्ध लाभ में से कुछ को लाभकारी गतिविधियों तक पहुँचाने और सार्वजनिक एवं व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि प्रतिस्पर्धी लाभ लंबे समय तक बना रह सके । तद्नुसार आपके निगम ने सीएसआर के अधीन ग्राम अधिग्रहण कार्यक्रम परियोजना "एक ग्राम एक किस्म" का संकल्प तीन राज्यों में आरंभ करते हुए कार्यान्वित किया है, यानि महाराष्ट्र के दो गाँव (विदर्भ क्षेत्र), उड़ीसा में एक और तमिलनाडु में दो गाँव, जहाँ पहले के वर्षों में कपास की उत्पादकता कम है तथा उन्हें संशोधित और नये उत्पादन और पैकेज प्रैक्टीस प्राप्त नहीं होते हैं । निगम ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सीएसआर परियोजना हेतु 35.00 लाख रूपये निश्चित किए हैं । वित्तीय वर्ष 2010-11 में सीएसआर पर कुल 27.65 लाख रूपये खर्च हुए हुए ।

निगमित शासन

- आपका निगम विश्वास करता है कि कंपनी को सफल बनाने के लिए, अपने सभी स्टेक होल्डर के लिए निगमित आचरण में विश्वीय मानदण्ड बनाए रखने हैं । आपकी कंपनी अच्छे शासन के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के पहलुओं पर विश्वास रखती है । कंपनी का अंतिम ध्येय उच्च स्तर का शासन जारी रखना तथा उसी क्षेत्र की अच्छी शासित कंपनियों के साथ बेंचमार्क बनाना है।

भावी परिदृश्य

- भारत विगत वर्षों के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास क्षेत्र में दूसरे बड़े कपास उत्पादक, उपभोक्ता तथा कपास के शुद्ध निर्यातक के रूप में भी मुख्य संचालक के रूप में उभरा है । वर्ष 2010-11 में अन्य स्पर्धात्मक फसल की तुलना में उनकी उपज के लिए अच्छे तथा आकर्षक मूल्यों की प्राप्ति से, कपास किसानों ने आगामी कपास मौसम 2011-12 में कपास क्षेत्रफल में वृद्धि की है तथा इसके लगभग 120.00 लाख हेक्टर रिकार्ड स्तर तक पहुँचने का अनुमान है । क्षेत्रफल में वृद्धि के अनुमान के साथ-साथ बीटी बीजों के उपयोग के कारण भी वृद्धि

Corporate Social Responsibility

- The Government of India, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE), has introduced the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in various Central Public Sector Enterprises (CPSE) mandating to expend some portion of the net profit to extend beyond philanthropic activities to reach out the integration of social and business goals to secure sustainable competitive advantage in long term. Accordingly, your Corporation has implemented the project of "Village Adoption Programme" with "One village: One Variety" in three States i.e. two villages of Maharashtra (Vidharbha region), One Village in Orissa and Two villages in Tamil Nadu having lesser productivity in the earlier years and are deprived of improved and innovative cultivation and package practices. Your Corporation had earmarked Rs.35.00 lakhs for CSR projects for the FY 2010-11. The actual expenditure on FY 2010-11 is amounted to Rs.27.65 lakhs.

Corporate Governance

- Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the corner stones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

Future Outlook

- Over the years, India has emerged as a key player in the cotton sector at international level, as the second largest cotton producer, consumer as also a net exporter of cotton. Enthused with receipt of good and attractive prices for their produce in 2010-11 as compared to other competing crops, the cotton farmers have increased the acreage under cotton in the ensuing cotton season 2011-12 and the same is expected to reach a record level of around 120.00 lakh hectares. With expected increase in acreage as also anticipated increase

से आगामी कपास मौसम 2011-12 में देश में कपास उत्पादन 10% के साथ बढ़कर 350.00 लाख गाँठें होने की आशा है ।

- विश्व स्तर पर, कपास किसानों द्वारा अन्य फसलों की तुलना में वर्ष 2010-11 में अच्छे कपास मूल्य प्राप्त होने के कारण वर्ष 2011-12 में विश्व क्षेत्रफल में लगभग 7% की वृद्धि के साथ 36 मिलियन हेक्टर्स होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह 33.69 मिलियन हेक्टर्स था । उपज में कम वृद्धि के अनुमान के साथ वर्ष 2011-12 में विश्व में कपास उत्पादन 26.86 मिलियन मैट्रिक टन्स के अनुमानित किया गया है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह 24.95 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है । तथापि, टेक्सास में बड़ा सूखा पड़ने के कारण, यू.एस.ए. में कपास का उत्पादन कम होने की आशा है ।
- आगामी कपास मौसम 2011-12 में विश्व कपास व्यापार 4% की वृद्धि के साथ 8.03 मिलियन टन्स होने की आशा है, जो चीन द्वारा आयात में वृद्धि के कारण हो सकता है । ब्राजील तथा अर्जेटाइना निर्यात में वृद्धि के लिए बढ़ावा देगा । निर्यात योग्य अधिशेष में घटौती के कारण यू.एस. का निर्यात 10% की गिरावट के साथ 3.0 मिलियन टन्स होने का अनुमान है ।

भावी योजना

- यद्यपि बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अन्य कारकों के प्रवेश के फलस्वरूप देश की कपास अर्थ-व्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ गयी है, तथापि, निगम विवेकशील व्यापार नीतियों के कारण आगामी वर्षों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार है ।

आभार

- मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों द्वारा समय-समय पर दिए गए उपयोगी एवं बहुमूल्य सहयोग के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ ।
- मैं माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, मान.राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार, सचिव (वस्त्र), संयुक्त सचिव (वस्त्र) तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त एवं उनके अधिकारियों के प्रति भी उनके द्वारा दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूँ । इसके अभाव में, आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान, पहले से निर्धारित

in usage of Bt seeds, the cotton production in the country in the ensuing cotton season 2011-12 is expected to increase by 10% to 350.00 lakh bales.

- At world level, due to high cotton prices received by the cotton farmers in 2010-11 as compared to other competing crops, global area is forecast up by around 7% to 36 million hectares in 2011-12 as against 33.69 million hectares in 2010-11. Assuming small increase yield, global cotton production in 2011-12 is projected at 26.86 million MT as against 24.95 million MT in 2010-11, almost 8% higher than the previous year. However, due to severe drought in Texas, cotton production in USA is projected to be lower.
- World cotton trade in ensuing cotton season 2011-12 is expected to increase by 4% to 8.03 million tons, driven by rise in Chinese imports. The increase in exports will be fueled by Brazil and Argentina. US exports are projected to decrease by 10% to 3.0 million tons due to reduced exportable surplus.

Future Planning

- Although the competition in the cotton economy of the country has increased due to entry of multinational companies and other factors, the Corporation is fully prepared to face such competition in the coming years by adopting prudent business policies.

Acknowledgements

- I take this opportunity to express my deep appreciation for the useful and valuable support given by the members of the Board from time to time.
- I also wish to place on record my sincere gratitude for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India, Hon'ble State Minister of Textiles, Government of India, Secretary (Textiles), Joint Secretary (Textiles) and other officials of Ministry of Textiles, Officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, the Textile Commissioner and his officials, but for which to maintain trends that

प्रवृत्तियों और कार्य-निष्पादन को बनाये रखने में सफल नहीं हो सकता था ।

- समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक, सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा तथा सरकारी लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए अमूल्य मार्गदर्शन के लिए भी, मैं उनका आभारी हूँ ।
- मैं, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलों तथा निजी क्षेत्र की विभिन्न मिलों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी रूई की आवश्यकता निगम से पूरी की और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है। भारतीय वस्त्र उद्योग संगठन (सीआयटीअय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ ।
- इस अवधि के दौरान निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिये गये समर्पण, निष्ठा और वचनबद्धतापूर्ण सेवा के लिए भी, मैं हार्दिक आभारी हूँ।

धन्यवाद

(बी. के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 30 अगस्त, 2011

were set earlier in the recent past with regard to the working of the Corporation, would not have been possible.

- I am also grateful for the valuable guidance by the Statutory Auditors, Member, Audit Board, Mumbai and officials of Government Audit in the course of their conducting the audit of accounts of the Corporation for the year under review.
- Sincere thanks are also due to the National Textile Corporation, Cooperative Spinning Mills and various mills in the private sector, who have covered their cotton requirements from the Corporation in cotton season 2010-11, thus, placing their faith in the quality, price competitiveness and services being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industries (CITI), Cotton Association of India (CAI), Central Warehousing Corporation, State Warehousing Corporations for the cooperation extended to the Corporation.
- I would also like to express my sincere and deep appreciation for the dedication, devotion and commitment with which the staff and officers of the Corporation have worked during the period.

Thanking you,

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date : 30-08-2011

वर्ष 2010-11 के लिए निदेशक रिपोर्ट
DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2010-11

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकगण **31 मार्च, 2011** को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों के साथ आपके निगम के कार्य-संचालन पर **41वीं वार्षिक रिपोर्ट** सहर्ष प्रस्तुत करते हैं, जो मंडल द्वारा अनुमोदित है तथा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के साथ प्रमाणित है ।

1. कपास स्थिति

1.1 कपास मौसम 2010-11 की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :

(i) कपास मौसम 2010-11 का आरंभ 40.50 लाख गाँठों के अवशेष स्टॉक के साथ हुआ, जो मिल की 2 माह की खपत से भी कम है।

(ii) कपास मौसम 2010-11 के दौरान देश में कपास उत्पादन गत वर्ष की 295.00 लाख गॉठों के विरूद्ध 312.00 लाख गॉठों पर बताया गया है । इस वर्ष की कपास स्थिति के मुख्य लक्षण नीचे दिये अनुसार हैं:-

(क) कपास मौसम 2010-11 की बुआई के समय कृषि-जलवायु स्थितियाँ सभी कपास उत्पादक राज्यों में अनुकूल रही है । सभी कपास उत्पादक राज्यों में उपज की प्रगति संतोषजनक थी और किसी प्रकार के कीट/रोग की रिपोर्ट नहीं थी । तथापि, उसके बाद मौसम के दौरान सितंबर, 2010 के दूसरे सप्ताह में दो बार रूक-रूककर बारिश रही, जिससे उपज की आवकों में 15 से 20 दिन की देरी हो गयी तथा उसके बाद बेमौसम बारिश रही और नवंबर, 2010 माह में मध्य और दक्षिण अंचल में आंधी-तूफान के मौसम ने कपास आवकों की गति को प्रभावित किया है ।

(ख) कपास मौसम 2009-10 में अच्छे मूल्यों की प्राप्ति से प्रोत्साहित होकर कपास किसानों ने कपास मौसम 2010-11 में कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल बढ़ाया है । कपास मौसम 2010-11 में कपास क्षेत्र में 8% की वृद्धि हुई है तथा

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the 41st Annual Report on the working of your Corporation together with Annual Accounts for the year ended 31st March 2011, as approved by the Board of Directors and certified by the Auditors, along with their report thereon.

1. COTTON SITUATION

1.1 The highlights of the cotton season 2010-11 are as under:

(i) The cotton season 2010-11 had commenced with a carry over stock of 40.50 lakh bales, which was even less than two month's mill consumption.

(ii) The cotton production in the country in cotton season 2010-11 has been placed at 312.00 lakh bales as against 295.00 lakh bales in the previous season. The salient features of this year's cotton situation is as under:

(a) The agro-climatic conditions at the time of sowing in the cotton season 2010-11 had been favourable in all the cotton growing States. The crop progress in all cotton growing states was satisfactory and there were no reports of any pest/ disease. However, subsequently there had been intermittent rains twice during the season; first in second week of September 2010 which delayed the crop arrivals by 15 to 20 days and subsequently, there had been unseasonal rains and inclement weather in the month of November 2010 in Central and Southern zone, thereby affecting the pace of arrivals.

(b) Encouraged with receipt of good prices in the previous cotton season 2009-10, the cotton farmers increased the acreage under cotton in cotton season 2010-11 by switching over from other competing crops. The cotton acreage in

यह गत वर्ष के 103.10 लाख हैक्टर के विरूद्ध 111.61 लाख हैक्टर के रिकार्ड स्तर तक पहुँच गया है ।

(ग) उत्तरी अंचल में अन्य प्रतियोगी फसलों से क्षेत्र बदलने के कारण, पंजाब में कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 4% बढ़कर पिछले वर्ष के 5.11 लाख हैक्टर के विरूद्ध 5.30 लाख हैक्टर तक पहुँच गया है । तथापि बुआई के समय प्रतिकूल मौसम स्थितियाँ, जल की कमी, जो वर्षा के जल और नहर/ट्यूब वैल दोनों में थी तथा अत्यधिक तापमान ने हरियाणा और राजस्थान के कपास के अंतर्गत क्षेत्र को घटाकर क्रमशः 4.95 लाख हैक्टर और 3.34 लाख हैक्टर तक पहुँचा दिया है, जो पिछले वर्ष क्रमशः 5.07 से 4.44 लाख हैक्टर था ।

कपास मौसम 2010-11 के दौरान उत्तरी अंचल में क्षेत्रफल लगभग 7% की गिरावट के साथ पिछले वर्ष के 14.62 लाख हैक्टर के विरूद्ध 13.59 लाख हैक्टर तक पहुँचने के कारण, उत्तरी अंचल में कपास उत्पादनलगभग 3% घटकर पिछले वर्ष की 40.00 लाख गाँठों के विरूद्ध 39.00 लाख गाँठों तक पहुँच गया है ।

(घ) वर्ष 2010-11 में मध्य और दक्षिणी अंचल में बुआई के समय अनुकूल कृषि जलवायु स्थितियों तथा अन्य प्रतियोगी फसलों की तुलना में कपास के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कपास किसानों के झुकाव के कारण, कपास के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 8% से 20% की वृद्धि के साथ कमशः 72.57 और 24.40 लाख हैक्टर तक पहुँच गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 67.39 लाख हैक्टर और 20.34 लाख हैक्टर था । तथापि दिसंबर, 2010 में बेमौसम बारिश और उसके बाद जनवरी, 2011 माह में अत्यधिक शीत लहर ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, महाराष्ट्र के तीनों क्षेत्र यानि विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश तथा आंध्र प्रदेश के

cotton season 2010-11 has increased by 8% and reached a record level of 111.61 lakh hectares as against 103.10 lakh hectares in the previous year.

(c) In Northern zone, due to switching over of area from other competing crops, the acreage under cotton in Punjab has increased by around 4% to 5.30 lakh hectares as against 5.11 lakh hectares. However, due to unfavorable weather conditions, shortage of water, both rain water and canal/tube well water as also high temperature at the time of sowing, the acreage under cotton in Haryana and Rajasthan has decreased to 4.95 lakh hectares and 3.34 lakh hectares respectively as compared to 5.07 and 4.44 lakh hectares in previous year.

Due to decrease in acreage in Northern zone in cotton season 2010-11 by around 7% to 13.59 lakhs hectares as against 14.62 lakhs hectares in previous year, the cotton production in Northern zone has reduced by around 3% to 39.00 lakhs bales as against 40.00 lakhs bales in the previous year.

(d) Due to favorable agro-climatic conditions at the time of sowing as also inclination of cotton farmers to increase the acreage under cotton as compared to other competing crops, there has been increase in acreage under cotton in 2010-11 in Central and Southern zone by around 8% and 20% to 72.57 and 24.40 lakhs hectares respectively as against 67.39 lakhs hectares and 20.34 lakhs hectares in the previous year. However, the unseasonal rains in the month of December 2010 and subsequent extreme cold wave in the month of January 2011 had caused damage to the second and third flowering stages of cotton in Saurashtra region of Gujarat, all the three region of Maharashtra

आदिलाबाद और वारंगल क्षेत्र में भी कपास की दूसरी और तीसरी फ्लावरिंग स्टेज को क्षतिग्रस्त किया है।

(ड) देश में बीटी कपास के अधीन क्षेत्रफल में वर्ष प्रति वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है । कपास मौसम 2010-11 में कुल 111.61 लाख हैक्टर क्षेत्र में से 98.54 लाख हैक्टर क्षेत्र बीटी बीज के अंतर्गत रहा, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 88% है, जबकि पिछले वर्ष यह 78% था ।

(च) देश में बेहतर लंबे और अत्यधिक लंबे तंतु की कपास की लगभग 9 से 10 लाख गाँठों की समग्र खपत के विरूद्ध, देशी कपास उत्पादन इस स्टैपल ग्रुप में लगभग 5 लाख गॉठों पर स्थिर रहा, जिसका मुख्य कारण आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इस स्टेपल ग्रुप में घटा हुआ क्षेत्रफल है । इसके फलस्वरूप वस्त्र मिलों को इस श्रेणी में मुख्यतः यू.एस.पी-मा, ईजिप्शियन गिजा आदि के लिए 5 लाख गॉठों की सीमा तक कपास का आयात करना पड़ा है ।

(छ) कपास मौसम 2010-11 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य देशी कपास मूल्यों से ऊँचे रहे हैं । मौसम के आरंभ में भारतीय कपास के लिए विशेषतः चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों से अच्छी मांग रही है । तथापि देशी वस्त्र मिलों की कपास सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा कपास के निर्यात के लिए अधिशेष उपलब्धता को एक प्रणाली द्वारा अभिचिन्हित करते हुए वर्ष 2010-11 में देश से कपास निर्यात के लिए 55.00 लाख गॉठों पर प्रतिबंध लगाया है, जबकि पिछले वर्ष 83.00 लाख गाँठे निर्यात हुई थी ।

1.2 कपास मौसम 2010-11 के लिए भारत सरकार ने मध्यम स्टैपल ग्रुप के लिए 2500/-रू. प्रति क्विंटल और लंबे स्टैपल ग्रुप के लिए 3000/-रू. प्रति क्विंटल के पुराने न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी रखा है, जो कपास मौसम 2009-10 में निश्चित किया गया था ।

viz., Vidharbha, Marathwada and Khandesh as also Adilabad, Warangal regions of Andhra Pradesh.

(e) Acreage under BT cotton in the country is increasing continuously year after year. In cotton season 2010-11, out of total area of 111.61 lakhs hectares, 98.54 lakhs hectares area was covered under Bt cultivation, constituting around 88% of the total acreage as compared to 78% in the previous year.

(f) In superior long and extra long staple cottons, as against the overall consumption of around 9 to 10 lakhs bales in the country, the domestic cotton production in this staple group remained stagnant at around 5 lakhs bales, mainly due to reduced acreage in this staple group in Andhra Pradesh and Karnataka. This has led to imports of cotton in this category by the textile mills mainly for US Pima, Egyptian Giza etc. to the extent of 5 lakhs bales.

(g) The international cotton prices in cotton season 2010-11 had been higher than the domestic cotton prices. Since beginning of the season, there was good demand for Indian cotton, especially from neighbouring countries like China, Pakistan, Bangladesh etc. However, looking to the cotton security to the domestic textile mills, the Government of India through a mechanism identifying surplus availability of cotton for exports by Group of Ministers (GOM) had put cap of 55.00 lakhs bales on cotton exports from the country in 2010-11 as against export of 83.00 lakhs bales in the previous year.

1.2 For cotton season 2010-11, the Government of India had retained the same MSPs of Rs.2500 per quintal for medium staple group and Rs.3000 per quintal for long staple group as were fixed for previous cotton season 2009-10.

1.3 कपास मौसम 2010-11 के आरंभ से ही देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में कपास की अच्छी मांग के कारण सभी कपास उत्पादक राज्यों में कपास के वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से ऊपर रहे हैं तथा गत वर्ष की अनुरूप अवधि में मूल्यों की तुलना में अधिक रहे हैं। मार्च, 2011 के पहले सप्ताह में कपास के मूल्य चरम स्तर पर पहुँच गये ।

1.4 समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के पहले भाग में यानि अप्रैल से सितंबर, 2010 में यार्न के लिए मांग, देशी और विश्व से अच्छी रही है । यूएस$ के विरूद्ध रूपये की कमजोरी से इस अवधि में यार्न निर्यात को आगे बढ़ाने में सहायता मिली है । तथापि दूसरे भाग में विश्वीय अर्थव्यवस्था में प्रत्याशित सुधार के साथ, यार्न, फैब्रिक और गार्मेन्ट्स की मांग में देशी और विश्व दोनों बाजारों में सुधार होने लगा । इसके फलस्वरूप तथा प्रोफिट मार्जिन में सुधार के साथ, अधिकांश मिलें कपास की अपनी आवश्यकता की खरीद में सक्रिय हो गयीं । उत्पादन में सुधार के साथ-साथ मांग में सुधार तथा महत्वपूर्ण क्षमता के परिवर्धन/आधुनिकीकरण करने के प्रयासों से सहायता मिली है । तथापि कपास यार्न की देशी पर्याप्त उपलब्धता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने अधिसूचना सं. 14(आरई-2010)/2009-14 दि.22-12-2010 द्वारा कपास यार्न के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा है तथा उसके बाद अधिसूचना सं. 31(आरई-2010)/2009-14 दि.10 मार्च, 2011 द्वारा 720 मिलियन कि.ग्रा. की सीमा से आगे कपास यार्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ।

2. वित्तीय परिणाम:

2.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके निगम ने पिछले वर्ष के 8393.25 करोड़ रू. के टर्न-ओवर के विरूद्ध 2743.23 करोड़ रू. का टर्न-ओवर प्राप्त किया है । टर्न-ओवर में घटौती का कारण यह है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में आरंभिक स्टॉक 8388.30 करोड ़रू. था (74.18 लाख गॉठें) और वर्ष 2010-11 में यह 938.65 करोड़ रू.(7.06 लाख गॉठें) था ।

1.3 Due to good demand for cotton in domestic and in international market, since beginning of the cotton season 2010-11, the prevailing kapas prices had been ruling above the MSP in all the cotton growing States and had also been more as compared to the prices during corresponding period last year. In the first week of March 2011, the kapas prices had ruled at the peak level.

1.4 In the first half of the year under review i.e. April to September 2010, the demand for yarn, both domestically and world over had been good. The weakening of Rupee against US$ had also helped in pushing yarn exports during this period. However, subsequently, in the second half, with expected improvement in the global economy, the demand for yarn, fabrics and garments started improving both domestically and in world market. With this, as also with improved operating profit margin, most of the textile mills had become active in purchasing their cotton requirements. Improvement in production across product lines has been supported by revival in the demand as well as significant capacity additions/modernization initiatives. However, with a view to provide adequate domestic availability of cotton yarn, the Government of India vide Notification No.14(RE-2010)/2009-14 dated 22-12-2010 had placed export of cotton yarn under restricted category and subsequently vide Notification No.31(RE-2010)/2009-14 dated 10th March 2011 has put restrictions on export of cotton yarn beyond 720 million kgs.

2. FINANCIAL RESULTS:

2.1. During the year under review, your Corporation could achieve a turnover of Rs.2743.23 crores as against the previous year's turnover of Rs. 8393.25 crores. The reduction in turnover was due to the fact that the opening stock for the financial year 2009-10 was Rs. 8388.30 crores (74.18 lakhs bales) and during the year 2010-11 amounted to Rs. 938.65 crores (7.06 lakhs bales).

2.2 समीक्षागत वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की मुख्य मुख्य बातें नीचे दिये अनुसार हैं :-

	2010-11	2009-10
देशी बिक्री (लाख गांठों में)	12.67	74.87
निर्यात बिक्री (लाख गांठों में)	0.17	0.49
टर्न-ओवर (करोड़ रूपयों में)	2743.23	8393.25
कर से पहले लाभ /(हानि)(करोड़ रूपयों में)	(4.65)	12.99
कर के बाद लाभ/(हानि) (करोड़ रूपयों में)	(2.94)	8.79

2.3 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम का अल्पावधि ऋण पीआर1+बायकेयर रहा है यानि 4000 करोड़ रू. की अल्प अवधि बैंक उधार के लिए इस श्रेणी में दी गयी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग है, जो अल्पावधि ऋण देयता पर समय पर भुगतान के लिए दृढ़ क्षमता दिखाती है और न्यूनतम ऋण जोखिम रखती है ।

2.4 लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश की सिफारिश नहीं की है ।

3. वर्ष 2010-11 के दौरान कपास उत्पादन तथा उपभोग :

कपास सलाहकार मंडल (सीएबी) द्वारा अपनी 26 फरवरी, 2011 को आयोजित बैठक में अनुमानित 312.00 लाख गॉठों के कपास उत्पादन तथा उसके साथ 40.50 लाख गॉठों के अवशेष स्टॉक और 5.00 लाख गॉठों के अनुमानित आयात से कपास मौसम 2010-11 में कपास उपलब्धता सीएबी द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के अनुसार 357.50 लाख गाँठे थी, जबकि पिछले वर्ष यह 373.50 लाख गाँठे थी। देश में कुल कपास उपभोग (मिल, छोटी मिल तथा मिलेतर उपभोग शामिल है) का अनुमान 275.00 लाख गॉठें लगाया गया है और 55.00 लाख गॉठों के अनुमानित कपास निर्यात के साथ कपास मौसम 2010-11 में कपास की कुल विलुप्तता 330.00 लाख गॉठें बतायी गयी है, जो पिछले वर्ष के समकक्ष है । इस प्रकार कपास

2.2. The highlights of the financial results during the financial year under review were as follows:

	2010-11	2009-10
Domestic sales (in lakh bales)	12.67	74.87
Export sales (in lakh bales)	0.17	0.49
Turnover (in Rs. crores)	2743.23	8393.25
Profit/(Loss) before tax (in Rs. crores)	(4.65)	12.99
Profit/(Loss) after tax (in Rs. crores)	(2.94)	8.79

2.3 During the year under report, your Corporation's short term debt is rated PR1+ by CARE i.e. the highest credit rating assigned in this category for short term bank borrowings of Rs. 4000 crores which signifies strong capacity for timely payment of short term debt obligation and carry lowest credit risk.

2.4 DIVIDEND:

The Board of Directors has not recommended any dividend for the financial year 2010-11.

3. COTTON PRODUCTION AND CONSUMPTION DURING 2010-11:

With cotton production of 312.00 lakh bales, estimated by the Cotton Advisory Board (CAB) in its meeting held on 26th February 2011 added with carryover stock of 40.50 lakh bales and estimated imports of 5.00 lakh bales, the total availability in cotton season 2010-11, as per the cotton balance as drawn by CAB is 357.50 lakh bales as against 373.50 lakh bales in previous year. The total cotton consumption in the country (including mill, small mill and non-mill consumption) has been estimated at 275.00 lakh bales and with estimated cotton exports of 55.00 lakh bales, the total disappearance in cotton season 2010-11 has been placed at 330.00 lakh bales at par with previous year. Thus, the carry forward stock as at the end of the

मौसम 2010-11 के अंत में, यानि 30 सितंबर, 2011 को अवशेष स्टॉक का अनुमान 27.50 लाख गॉठे लगाया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 40.50 लाख गॉठें था । कपास सलाहकार मंडल ने अपनी 26 फरवरी, 2011 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार तुलन-पत्र प्रस्तुत किया है:-

मात्रा लाख गॉठों में - 170 कि.ग्रा.प्रति

	2010-11	2009-10
आपूर्ति		
आरंभिक स्टॉक	40.50	71.50
कपास फसल	312.00	295.00
आयात	5.00	7.00
कुल उपलब्धता	**357.50**	**373.50**
मांग		
मिल उपभोग	232.00	207.00
छोटी मिल उपभोग	26.00	23.00
मिलेतर उपभोग	17.00	20.00
कुल उपभोग	**275.00**	**250.00**
निर्यात	55.00	83.00
कुल विलुप्तता	330.00	333.00
आगे लाया गया	**27.50**	**40.50**
स्रोतः कपास सलाहकार मंडल		

4. देशी मूल्य प्रवृत्ति :

कपास के लिए देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में अच्छी मांग होने के कारण कपास मौसम 2010-11 में, आरंभिक मूल्य 2009-10 के आरंभिक मूल्यों की तुलना में लगभग 25% से 71% तक ऊँचे थे । इसके अलावा मौसम के आरंभ से ही, देशी कपास के लिए मांग में वृद्धि के साथ-साथ निर्यातक भी 30 नवंबर, 2011 से पहले अपनी वचनबद्धता के विरूद्ध पोतवहन करने के लिए, कपास की आवश्यकता पूरी करने के लिए बहुत सक्रिय थे । इसके फलस्वरूप, वर्तमान कपास मौसम 2010-11 में देशी कपास मूल्यों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव रहा और कपास के मूल्य ऐतिहासिक रूप से अब तक के सबसे ऊँचे स्तर तक पहुँच गये जो आरंभिक मूल्य से 63% से 77% तक ऊँचे थे । तथापि अप्रैल,

cotton season 2010 i.e. 30th September 2011 has been estimated at 27.50 lakh bales as against 40.50 lakh bales in previous year. The Cotton Balance Sheet as drawn by the CAB in its meeting held on 26th February 2011 is as under:-

In lakh bales of 170 kgs

	2010-11	2009-10
SUPPLY		
Opening stock	40.50	71.50
Cotton crop	312.00	295.00
Imports	5.00	7.00
Total availability	**357.50**	**373.50**
DEMAND		
Mill consumption	232.00	207.00
Small Mill consumption	26.00	23.00
Non-Mill consumption	17.00	20.00
Total consumption	**275.00**	**250.00**
Exports	55.00	83.00
Total disappearance	330.00	333.00
Carry forward	**27.50**	**40.50**
Source: Cotton Advisory Board		

4. DOMESTIC PRICE TREND :

Due to good demand for cotton domestically and internationally, the opening prices of cotton in cotton season 2010-11 were higher by around 25% to 71% as compared to the opening price of 2009-10. Besides increasing demand for cotton domestically, since beginning of the season, the exporters had also been very active in covering their cotton requirements for effecting shipments before 30th November 2011 against their commitment. As a result, the domestic cotton prices in the current cotton season 2010-11 had been very much volatile and had reached an ever-historically high levels which were higher by 63% to 77% than the opening prices. However, since first week of April 2011,

2011 के पहले सप्ताह से कपास की गुणवत्ता में गिरावट के साथ-साथ कॉटन यार्न के घटे हुए मूल्यों पर भी बहुत कम उठाव ने, देशी मिलों के कताई परिचालन को प्रभावित करते हुए कपास मूल्यों पर दबाव डाला है । इसके फलस्वरूप रूई मूल्यों में गिरावट आने लगी और एस-6 जैसी लोकप्रिय किस्म में लगभग 17000/- रू. प्रति कैंडी तक की गिरावट आ गयी । महत्वपूर्ण किस्मों के लिए कपास रूई मूल्य की गति नीचे दिये अनुसार हैं :

besides deterioration in quality of cotton, poor off-take of cotton yarn even at reduced rates, thereby affecting the spinning operations of domestic mills has put pressure on the cotton prices. As a result, the cotton lint prices have started declining and have dropped by around Rs.17000/- per candy popular in S-6 variety. The movement of cotton lint prices for important varieties are as under:

मूल्य-रू.प्रति कैंडी स्पॉट / Prices in Rs.per candy spot

दिनांक Date	जे-34 J-34	एच-4 H-4	एस-6 S-6	बीबी BB	डीसीएच-32 DCH-32
1-10-10	35200	36500	37700	38500	45500
1-11-10	38000	40800	41600	42000	50000
1-12-10	38300	39500	42000	41000	50000
1-01-11	41500	42000	42500	42900	53000
1-02-11	46500	48400	49000	51000	75000
1-03-11	58500	57000	59000	61000	84000
1-04-11	62500	59700	61500	63500	83000
1-05-11	49500	42000	50000	53000	73000
1-06-11	42500	40000	46000	47000	68000

स्रोतः कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई / Source: Cotton Association of India, Mumbai

5. निगम का कार्य-कलाप :

5.1. भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 1986 में जारी किया गया नीति मार्गदर्शन आपके निगम की खरीद नीति को नियंत्रित करता रहा और इसकी भूमिका पिछले वर्ष की तरह जारी रही यानि,

- जब कभी कपास के मूल्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य को छूने लगें, तब किसी मात्रात्मक सीमा के बिना समर्थन मूल्य पर कार्य करना ।
- भारतीय कपास निगम के अपने स्वयं के जोखिम पर वाणिज्यिक खरीद कार्य करना ।
- निगम को दी गयी निर्यात वचनबद्धता को पूरा करने के लिए खरीद कार्य करना ।

5.2. जब कभी कपास के वर्तमान मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँच जाते हैं, तब आपका निगम भारत सरकार के निदेशों के अनुसार कपास उत्पादकों द्वारा लायी गयी कपास की संपूर्ण मात्रा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश करता है। भारत सरकार ने कपास मौसम 2010-11 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वही रखे है, जो कपास मौसम 2009-10 के लिए निश्चित किये गये थे । लगातार 6ठे वर्ष में देश में अत्यधिक कपास उत्पादन की प्रत्याशा में कपास मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर तक पहुँचने की स्थिति आने पर आपके निगम ने भारत सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य परिचालन के लिए लगभग 300 खरीद केंद्रों के नेट-वर्क द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया था।

तथापि कपास मौसम 2010-11 में चूंकि सभी कपास उत्पादक राज्यों में कपास के विद्यमान मूल्य सभी किस्मों में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से ऊपर थे, अतः आपके निगम के लिए कपास मौसम 2010-11 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य संचालित करने का कोई अवसर नहीं था ।

5. OPERATIONS OF THE CORPORATION:

5.1 The policy guidelines issued by the Government of India in October 1986 continued to govern the purchase policy of your Corporation and its role continued to be the same as reported last year viz.,

- To undertake price support operations whenever the market prices of kapas touch the support prices announced by the Government of India without any quantitative limit;
- To undertake commercial operations, only at CCI's own risk and;
- To purchase cotton to fulfill export commitments..

5.2 As and when the prevailing kapas prices touch the MSP level, your Corporation, as per the directives from the Government of India, enters the market to buy entire quantity of kapas offered to it by the cotton growers at Minimum Support Prices (MSPs). Government of India had retained the same MSPs for cotton season 2010-11, as were fixed for cotton season 2009-10. In the wake of expectations of higher cotton production in the country for the sixth consecutive year, your Corporation, as the nodal agency of the Government of India for MSP operations had fully geared up itself for undertaking MSP operations through a network of around 300 procurement centres in the event of prevailing kapas prices touching the MSP level.

However, in cotton season 2010-11, since the prevailing kapas prices in all the cotton growing states in all the varieties were ruling above the MSP level, there was no occasion for your Corporation to undertake MSP operations in cotton season 2010-11.

5.3 न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य के अभाव में, आपका निगम पूर्णतः अपनी जोखिम पर वाणिज्यिक कार्य -कलाप करता है ताकि कपास उत्पादकों को उनकी उपज का पारिश्रमिक मूल्य प्राप्त हो सके और संस्थागत एवं निजी क्षेत्र की नियमित खरीददार मिलों की और निर्यात में भी कपास की आवश्यकता को पूरा किया जा सके ।

कपास मौसम 2010-11 में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य की असंभाव्यता को देखते हुए आपके निगम ने अपने नियमित मिल खरीददारो की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक खरीद कार्य आरंभ किया । निगम वाणिज्यिक कार्य-कलाप के अंतर्गत 13.65 लाख गॉठों के समकक्ष लगभग 68.39 क्विंटल कपास खरीद चुका है ।

5.4 समीक्षागत वर्ष के दौरान भारतीय कपास की देशी और विश्व में अच्छी मांग के साथ-साथ आपके निगम ने स्टॉक के परिसमापन के लिए व्यावहारिक नीति जारी रखी, जिसने स्टॉक के परिसमापन में सहायता दी। वित्तीय वर्ष के दौरान आपके निगम का खंडवार ब्रिक्री कार्य-निष्पादन नीचे दिये अनुसार हैं:-

मात्रा लाख गॉठों में

	2010-11	कुल बिक्री पर प्रतिशत	2009-10	कुल बिक्री पर प्रतिशत
एनटीसी	1.15	9.07	1.05	1.40%
एसटीसी /को-आप.	0.58	4.58	0.82	1.09%
निजी	10.94	86.35	73.00	97.50%
कुल	**12.67**	**100**	**74.87**	**100%**

5.5 कपास मौसम 2010-11 में भारत सरकार ने ईएआरसी के अनुबंध के साथ 55.00 लाख गॉठों के निर्यात की अनुमति दी है और अधिकांश निर्यातकों ने भावी खरीद की प्रत्याशा में कपास के निर्यात के लिए ईएआरसी हेतु आवेदन किया है । यद्यपि आपका निगम ईएआरसी के लिए आवेदन नहीं कर सका है, क्योंकि निगम कपास की बिक्री केवल एलसी भुगतान या अग्रिम नकद भुगतान पर वास्तविक खरीद के विरूद्ध करता है, तथापि

5.3 In the absence of MSP operations, your Corporation undertakes commercial operations entirely at its own risk to enable the cotton farmers to realize competitive prices for their produce as also to meet the requirement of its regular buyer mills, both under institutional and in private sector as also for exports.

Looking to the impossibility of MSP operations in cotton season 2010-11, your Corporation had started commercial operations to cater the needs of its regular mill buyers. The Corporation has purchased around 68.39 quintals of kapas equivalent to 13.65 lakh bales under commercial operations.

5.4 During the year under review, besides good demand for Indian cotton domestically and world over, your Corporation continued to pursue the pragmatic approach to liquidate the stocks, which has helped in liquidating the stocks. The segment-wise sales performance of your Corporation during the financial year was as follows:-

Quantity in lakh bales

	2010-11	Percentage to total sales	2009-10	Percentage to total sales
NTC	1.15	9.07	1.05	1.40%
STC/COOP	0.58	4.58	0.82	1.09%
PRIVATE	10.94	86.35	73.00	97.50%
TOTAL	**12.67**	**100**	**74.87**	**100%**

5.5. In cotton season 2010-11, the Government of India had allowed export of 55.00 lakh bales with stipulation of EARC and most of the exporters had applied for EARC for export of cotton in anticipation of future purchases. However, your Corporation could not apply for EARC since it sell cotton only against physical purchases on LC payment or advance cash payment. However, on allocation of subsequent quota on pro-rata basis from DGFT, in

डीजीएफटी से प्रोराटा आधार पर बाद के कोटा के आबंटन पर, कपास मौसम 2010-11 में आपका निगम निर्यात में 4574 गॉठें बेच सका है, जबकि पिछले वर्ष 12,295 गॉठें निर्यात हुई थीं ।

6. अंतर्राष्ट्रीय कपास स्थिति :

6.1 पिछले कपास मौसम यानि 2009-10 में अन्य प्रतियोगी उपजों की तुलना में कपास मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित होकर विश्व कपास क्षेत्रफल वर्ष 2010-11 में 13% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 33.81 मिलियन हैक्टर हो गया है, जबकि पिछले वर्ष यह 29.98 मिलियन हैक्टर था । कपास के अंतर्गत बढ़े हुए क्षेत्रफल के साथ कपास मौसम 2010-11 में विश्व में कपास उत्पादन पिछले वर्ष के 22.01 की तुलना में 13% बढ़कर 24.79 मिलियन टन होने की आशा है । सीमित उपलब्ध आपूर्ति और मूल्यों के कारण वर्ष 2010-11 में विश्व मिल उपभोग गत वर्ष के 25.04 की तुलना में 25.11 पर स्थिर रहने की आशा है । तथापि, भारत में कपास मिल उपभोग 9% बढ़कर 4.6 मिलियन टन्स तक होने की आशा थी । वर्ष 2010-11 में विश्व स्टॉक 3%घटकर 8.36 मिलियन टन्स होने की आशा है जबकि पिछले वर्ष यह 8.63 मिलियन टन्स था । अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति (आयसीएसी) द्वारा बनाये गये कपास तुलन पत्र के पिछले 3 वर्ष के ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :-

मिलियन मेट्रिक टन में

	2008-09	2009-10	2010-11
विश्व का आरंभिक स्टॉक	12.23	11.91	8.63
विश्व उत्पादन	23.45	22.01	24.79
विश्व उपभोग	23.69	25.04	25.11
विश्व निर्यात	6.60	7.77	8.25
विश्व आयात	6.50	7.70	8.30
विश्व का अंतिम स्टॉक	11.91	8.63	8.36

स्रोतः आयसीएसी (कॉटन दिस मन्थ, मई 2010)

cotton season 2010-11, your Corporation could sell 4574 bales in exports as against export of 12,295 bales in previous year.

6. INTERNATIONAL COTTON SITUATION:

6.1 Driven by a significant rise in cotton prices as compared to other competing crops in previous cotton season i.e. 2009-10, the world cotton acreage in 2010-11 has increased significantly by 13% to 33.81 million hectares as against 29.98 million hectares in the previous year. With increased acreage under cotton, world cotton production in cotton season 2010-11 is expected to increase by 13% to 24.79 million tons as against 22.01 in previous year. Due to limited available supplies and high prices, the world mill use in 2010-11 is expected to remain stable at 25.11 as against 25.04 of previous year. However, cotton mill use in India was expected to increase by 9% to 4.6 million tons. Global stocks are expected to decline by 3% in 2010-11 to 8.36 million tons as against 8.63 million tons in previous year. The details of cotton balance sheet, as drawn by the International Cotton Advisory Committee (ICAC) for the last three years are as under:-

In million metric tons

	2008-09	2009-10	2010-11
World beginning stocks	12.23	11.91	8.63
World production	23.45	22.01	24.79
World consumption	23.69	25.04	25.11
World exports	6.60	7.77	8.25
World imports	6.50	7.70	8.30
World ending stocks	11.91	8.63	8.36

Source: ICAC (Cotton This Month, May 2011)

6.2. **अंतराष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तिः**

मौसम के आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य तेजी से ऊपर चढ़े हैं । विश्व कपास के बहुत ही कम स्टॉक, सीमित आपूर्ति, अत्यधिक मांग और यू.एस.डालर के मूल्यह्रास ने कपास मूल्यों में तेजी लायी है । बहुत ही कम, अवचनबद्ध आपूर्ति ने मूल्यों पर अत्यधिक दबाव बनाया है, जिसके कारण संपूर्ण मौसम के दौरान कपास मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव रहा है । मार्च 2011 के पहले सप्ताह में कॉटलुक ए इन्डेक्स अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मापक अब तक के सबसे ऊँचे रिकार्ड स्तर 243.65 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी पर पहुँच गया । तथापि अप्रैल, 2011 के पहले सप्ताह से, अत्यधिक ऊँचे कपास मूल्यों और ऋण प्राप्ति की समस्याओं के कारण मांग में उलेखनीय घटौती के कारण कपास के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य गिरने शुरू हो गये । आयसीएसी ने कॉटलुक की औसत 165 यूएस सेन्टस् प्रति एलबी का आकलन किया था । कॉटलुक ए इंन्डेक्स का माहवार औसत तीन वर्ष के लिए नीचे दिये अनुसार हैं :-

यूएस सेन्टस् प्रति एलबी में

माह	2008-09	2009-10	2010-11*
अगस्त	78.04	64.14	90.35
सितंबर	73.59	63.99	104.73
अक्तूबर	62.30	66.82	126.55
नवंबर	54.96	71.78	155.47
दिसंबर	55.47	76.78	168.22
जनवरी	57.71	77.39	178.93
फरवरी	55.21	80.05	213.18
मार्च	51.50	85.80	229.67
अप्रैल	56.78	88.08	216.62
मई	61.95	90.07	
जून	61.39	93.04	
जुलाई	64.80		
वर्ष औसत	**61.14**	**77.99**	**164.86**

* अप्रैल 2011 को स्थिति

6.2 **International price trend:**

International cotton prices have risen steeply since beginning of the season. Very low world stocks of cotton, limited supply, robust demand and depreciation of US Dollar have caused surge in cotton prices. Very scarce uncommitted supply provided strong pressure on prices due to which there has been extremely high volatility in the cotton prices throughout the season. The Cotlook A index, a measure of international prices had reached all time record high level of 243.65 US Cents per lb. in the first week of March 2011. However, since first week of April 2011, due to significant slowing in demand in view of very high cotton prices, problems of credit access, the international cotton prices have started declining. The ICAC has projected Cotlook to average 165 US Cents per lb. The month-wise average of Cotlook A Index for three years is given as follows:

In US Cents/lb

Month	2008-09	2009-10	2010-11*
August	78.04	64.14	90.35
September	73.59	63.99	104.73
October	62.30	66.82	126.55
November	54.96	71.78	155.47
December	55.47	76.78	168.22
January	57.71	77.39	178.93
February	55.21	80.05	213.18
March	51.50	85.80	229.67
April	56.78	88.08	216.62
May	61.95	90.07	
June	61.39	93.04	
July	64.80		
Year Avg	**61.14**	**77.99**	**164.86**

*position as on April 2011

7. संदूषण-मुक्त कपास का संसाधनः

आलोच्य वर्ष के दौरान निर्यातोन्मुख इकाईयों तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक मिलों से संदूषण मुक्त कपास की मांग पूरी करने के लिए आपके निगम ने कुल खरीद का लगभग 80% न्यूनतम संदूषण के साथ संसाधित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य 75% था । मिलों से प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और निगम आधुनिक जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में संसाधित कपास, प्रीमियम के साथ बेचने में सफल रहा है । आपका निगम आगामी वर्षों में अपने ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इसे जारी रखने और मात्रा बढ़ाने का प्रस्ताव करता है ।

8. भंडारगृह परिसर :

आपके निगम के पास निर्यात प्रयोजन के लिए गॉठों के भंडारण हेतु कलंबोली में निर्मित एक भंडारण गृह परिसर है। वर्ष के दौरान निगम द्वारा कपास के निर्यात की संभावना बहुत कम देखते हुए एक गोदाम की भंडारण क्षमता को, जिसमें दो कंपार्टमेन्ट है, निर्यात प्रयोजन के लिए अभिचिन्हित कर दिया गया है । जबकि शेष क्षमता प्रतिस्पर्धी दरों पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए लीज पर दी गयी है, रेलवे स्लाईडिंग दीर्घावधि लीज.पर एक पार्टी को लीज.किराया प्राप्ति के लिए दी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान, आपके निगम ने 6.10 करोड़ रू. की सीमा तक राजस्व अर्जित किया है, जबकि पिछले वर्ष यह 6.24 करोड़ रू. का राजस्व था।

9. विकासात्मक गतिविधियाँ :

जैसा कि आप जानते हैं, वृद्धित कपास उत्पादन, उत्पादकता और कपास की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसके द्वारा कपास उत्पादकों की आय में वृद्धि करना और वस्त्र मिलों को गुणवत्तावाली कपास की अत्याधिक आपूर्ति सुनिश्चित करना आपके निगम का सदैव प्रयास रहा है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका निगम विस्तार गतिविधियों के रूप में विभिन्न विकासशील गतिविधियाँ संचालित करता रहा है । तथापि, फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन के आरंभ के साथ कई गतिविधियाँ टीएमसी के मिनी मिशन । और ।। में शामिल हो गयी है । इसलिए आपके निगम ने, सघनित कपास खेती(संविदा खेती) जैसी सीमित विकासशील गतिविधियों को भारत सरकार और राज्य कृषि विभागों के प्रयत्नों को समर्थन देने के लिए जारी रखा है ।

7. PROCESSING OF CONTAMINATION FREE COTTON:

In order to meet the demand for contamination free cotton from EOUs and other quality conscious mills during the year under review, your Corporation had processed around 80% of the total procurement with least contamination as against the achievements of 75% during last year. The response of the mills was positive and the Corporation was able to sell cotton processed in the modern G&P factories with premium. Your Corporation proposes to continue and increase the quantity to meet the growing demand of its customers in the coming years as well.

8. WAREHOUSING COMPLEX

Your Corporation is having warehousing complex at Kalamboli constructed for storage of bales meant for export purpose. Looking to the opportunities for export of cotton by the Corporation from Navi Mumbai ports, storage capacity of only one godown comprising two compartments had been earmarked for export purpose. While the balance capacity has been leased for commercial utilization at competitive rates, railway siding has been given on long-term lease to one party fetching lease rental. During the year under review, your Corporation has generated revenue to the tune of Rs. 6.10 crores as against the revenue of Rs. 6.24 crores generated in the previous year..

9. DEVELOPMENTAL ACTIVITIES

As you are aware, increasing cotton production, productivity and improving the quality of cotton and thereby increasing the income of cotton growers and ensuring abundant supply of quality cotton to the textile mills had always been the endeavor of your Corporation. To attain this objective, your Corporation had been undertaking various developmental activities in the form of extension activities. However, with the launching of Technology Mission on Cotton in February 2000, many of these activities have been covered under Mini Mission I and II of TMC. Your Corporation has, therefore, continued with limited developmental activities like Integrated Cotton Cultivation (Contract Farming) to supplement the efforts of the Government of India and the State Agriculture Departments.

10. सघनित कपास खेती (संविदा खेती) :

सघनित कपास खेती के संकल्प को प्रोत्साहित करने और लोकप्रिय करने के लिए यानि किसानों के बीच संविदा खेती को लोकप्रिय बनाने तथा उसका लाभ कपास किसानों और खरीददार मिलों /ग्राहकों को पहुँचाने के लिए आपके निगम ने वर्ष 2002-03 के दौरान, आरंभ में सुविधाकर्ता के रूप में चार राज्यों में सधनित कपास खेती आरंभ की। कपास मौसम 2010-11 के दौरान, आपके निगम ने इस परियोजना को सभी कपास उत्पादक राज्यों में बढ़ाते हुए संविदा खेती के अंतर्गत 48,648 हैक्टर क्षेत्रफल लाया, जबकि पिछले वर्ष यह 47,734 हैक्टर था । इस कार्यक्रम में शामिल उपायों में किसान क्लब की संरचना, क्लब/ एसोसिएट खरीददार मिल/जिनरीज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर और बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे गुणवत्तावाले निवेशों की आपूर्ति की व्यवस्था करना, किसानों के प्रशिक्षण, उपज और कीटनाशकों के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए स्काउट लगाना तथा गांव/मार्केट यार्ड में कपास की खरीद और कीट प्रबंधन के बारे में उचित सलाह देना शामिल है । इसका परिणाम उपज में वृद्धि, उत्पादन में घटी हुई लागत और कपास किसानों की बढ़ी हुई आय के रूप में काफी प्रोत्साहजनक रहा है ।

11. कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-II के अंतर्गत फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन :

आपका निगम टीएमसी के मिनी मिशन-III तथा IV के लिए बाजार संरचना के सुधार और जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी है । कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने पहली बार भारतीय कपास निगम को अपनी नोडल एजेसियों में से एक के रूप में वर्ष 2005-06 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आयसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयु), राज्य कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र(केवीके) आदि जैसी अन्य कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ, जो कृषि मंत्रालय के एफएलडी परियोजना के कार्यान्वयन में पहले से कार्यरत हैं, कपास के फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन (एफएलडी)के घटक का कार्यान्वयन सौंपा है । कृषि मंत्रालय के अनुसार फ्रन्ट लाईन डेमोन्स्ट्रेशन मिनी मिशन -II का एक घटक है और देश के कपास उत्पादक किसानों के लिए आधुनिक खेती प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका निभाता है

10. INTEGRATED COTTON CULTIVATION (CONTRACT FARMING):

With a view to promote and popularize the concept of Integrated Cotton Cultivation i.e. Contract Farming among the farming community as also the benefits to cotton farmers and buyer mills/ultimate consumers, your Corporation took up Integrated Cotton Cultivation, as a facilitator, initially in four States during 2002-03. In cotton season 2010-11, your Corporation has extended the project in all the cotton growing States bringing an area of 48,648 hectares under contract farming as against 47,734 hectares during the previous year. The steps involved in the programme were formation of farmers' club, signing of Memorandum of Understanding with the Club/associate buyer mill/ginneries, organizing supply of quality inputs such as seed, fertilizers, pesticides, training to farmers, engagement of scouts for monitoring and management of crops and the pests, for proper advice of pest management and procuring of kapas at village/market yards. The results had been quite encouraging with increase in yield, lower cost of production and increased income to cotton farmers.

11. FRONT LINE DEMONSTRATIONS UNDER MM-II OF TMC

The Corporation is the implementing agency for Mini Mission III and IV of TMC, i.e. for improvement of market infrastructure and modernization of ginning and pressing factories. The Ministry of Agriculture, Government of India had identified the Cotton Corporation of India as one of its Nodal Agencies, for the first time in 2005-06, for implementing the component of Front Line Demonstration (FLD) in cotton along with other implementing agencies like Indian Council of Agriculture Research (ICAR), State Agriculture Universities (SAUs), State Departments of Agriculture, Krishi Vigyan Kendras (KVKs) etc, which were earlier implementing the FLD Project of Ministry of Agriculture. Front Line Demonstration, according to Ministry of Agriculture, is one of the components of MM-II and is a major break-through in disseminating modern farm technology to the cotton-growing farmers of the country.

वर्ष 2009-10 तक आपके निगम ने सभी मुख्य कपास उत्पादन राज्यों में उत्पादन प्रौद्योगिकी पर और आयपीएम प्रौद्योगिकी पर एफएलडी का सफलता पूर्वक आयोजन किया है। तथापि, कपास मौसम 2010-11 में कृषि मंत्रालय द्वारा कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन II के अंतर्गत एफएलडी के लिए निधि में कटौती तथा उसके पश्चात् सीसीआई को निधि आबंटित न होने के कारण आपके निगम ने कोई एफएलडी कार्यक्रम नहीं किया है ।

12. कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)

कपास प्रौद्योगिकी मिशन फरवरी, 2000 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आरंभ किया गया था। इसे 11वीं योजना की अवधि में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 वर्ष से अधिक समय का विस्तार दिया गया है । इस परियोजना को लक्ष्यों की प्राप्ति और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 31 मार्च, 2010 तक बढ़ाया गया है । अंत में, मिनी मिशन III तथा IV के अंतर्गत परियोजना पूरी करनेवाले तथा 31 मार्च, 2010 तक अपना अंतिम दावा प्रस्तुत करनेवाले लाभार्थियों को भारत सरकार का शेअर जारी करने के लिए इस परियोजना को 31.12.2010 तक बढ़ाने का भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।

टीएमसी का उद्देश्य कपास उत्पादकों की आय बढ़ाना तथा कपास की गुणवत्ता में सुधार द्वारा विशेषता तंतु लंबाई मायक्रोनेयर और स्ट्रेंग्थ के बारे में सुधार द्वारा वस्त्रोद्योग को अपेक्षित मात्रा में अच्छी गुणवत्तावाली कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कपास उत्पादकता बढ़ाना है तथा खेती की लागत घटाना है । इसके साथ ही कपास कृषि बाजार में संरचना में सुधार लाते हुए तथा जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों को आधुनिक बनाते हुए कपास में संदूषण कम करना है ।

मिनी मिशन-III और IV

11वीं योजना में 250 मार्केट यार्ड का लक्ष्य कपास में संदूषण को न्यूनतम करने के लिए विकास हेतु अनुमोदित किया गया है, ताकि कपास उत्पादकों को उनकी कपास का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके । इन 250 मार्केट यार्ड के लिए कुल परियोजना व्यय 476.10 करोड़ रू. था, जिसमें टीएमसी की सहायता 250.39 करोड़ रू. थी । इन 250 अनुमोदित परियोजनाओं में से, दि. 31.03.2010 तक 246 परियोजनाएँ पूरी हो गयी हैं और 231.42 करोड़ रूपये की भारत सरकार की आर्थिक सहायता जारी की गयी था।

Till cotton season 2009-10, the Corporation had successfully organized FLDs on Production Technology and IPM Technology in all the major cotton growing States. However, in cotton season 2010-11, the Corporation had not taken up FLD programme due to curtailment of funds for FLD programme under Mini Mission II of TMC by the Ministry of Agriculture and subsequent non-allotment of funds to CCI.

12. TECHNOLOGY MISSION ON COTTON (TMC)

The Technology Mission on Cotton was launched in February 2000 by our Hon'ble Prime Minister. It has been extended into the XIth plan period thereby giving more than 10-years to achieve its objectives. This project was extended upto 31st March 2010 for completion of targets and implementation of the project. Finally, GoI has been requested to extend this project upto 31.12.2010 for release of GoI share to the beneficiaries those have completed their projects and submitted their final claims upto 31.03.2010 under MM-III & MM-IV.

The objectives of TMC are to augment the income of cotton growers and to ensure availability of good quality cotton to industry in required quantities by improving the quality of cotton particularly in respect of staple length, micronnaire and strength; increasing the productivity of cotton; and reducing the cost of cultivation and secondly, to reduce contamination in cotton by improving the infrastructure in cotton agricultural markets and modernizing the Ginning & Pressing Factories.

MINI MISSIONS III & IV

The target of 250 market yards upto XIth Plan have been approved for development to minimize contamination in kapas so as to enable the cotton growers to get better price to the cotton. The total outlay for these 250 market yards was Rs. 476.10 crore with TMC assistance of Rs. 250.39 crore. Out of these 250 projects approved, 246 projects have been completed upto 31.03.2010 and GoI subsidy of Rs. 231.42 crore were released.

इसी प्रकार, 1000 जिनिंग एवं प्रेसिंग इकाईयों के लक्ष्य के विरूद्ध टीएमसी अब तक आधुनिकीकरण के लिए 1011 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियाँ ले चुका है । (गैर कार्य-निष्पादन परियोजनाओं के प्रत्याशित रद्द होने के विरूद्ध)।इन फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए कुल परिव्यय 1424.61 करोड़ रू. है, जिसमें टीएमसी की सहायता 224.25 करोड़ रू. है । दि. 31.03.2010 तक 859 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं । भारत सरकार की सहायता 184.75 रू. है । जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण ने 2-3½%. के टीएमसी मानदंडों के विरूद्ध वर्तमान के 5%-8% के ट्रैश /संदूषण स्तर को 1 से 1½% तक कम कर दिया गया है।

उपरोक्त के परिणामस्वरूप, देशी कताई उद्योग को बेहतर संसाधित और संदूषण-मुक्त कपास मिलेगी । आगे, भारतीय कपास अब अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर के समकक्ष संसाधित है और अन्य निर्यातक देशों की कपास के समकक्ष विश्व में स्वीकृत है । कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन III और IV को दि. 31-12-2010 को बंद कर दिया गया है ।

13. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) ने अपने दिनांक 9 अप्रैल 2010 के पत्र द्वारा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का संकल्प आरंभ किया है, जिसके द्वारा उनके शुद्ध लाभ में से कुछ भाग को लोकोपकारी गतिविधियों तक पहुँचाने विस्तार करने और सार्वजनिक एवं व्यापारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनिवार्य किया गया है, ताकि लंबे समय तक प्रतियोगी लाभ बना रह सके। डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार आपके निगम ने सीएसआर के अधीन ग्राम अधिग्रहण कार्यक्रम परियोजना "एक ग्रामः एक किस्म" का संकल्प तीन राज्यों में आरंभ करते हुए कार्यान्वित किया है, यानि महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) के दो गाँव, ओडिसा में एक और तामिलनाडु में दो गाँव, जहां पहले के वर्षों में कपास की उत्पादकता कम है तथा उन्हें संशोधित और नये उत्पादन और पैकेज प्रैक्टिस प्राप्त नही होते है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सीएसआर परियोजना हेतु 35.00 लाख रू निश्चित किये हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में सीएसआर पर कुल खर्च 27.65 लाख रू हुआ।

Similarly against the target of 1000 G & P units, TMC has taken up 1011 G&P factories for modernization (against anticipation cancellations of non performing projects). The total outlay for modernization of these factories is Rs. 1424.61 crores with TMC assistance of Rs.224.25 crore. There are 859 projects which have been completed upto 31.03.2010 and GoI subsidy of Rs.184.75 crore were released. The modernization of G&P factories has reduced the trash/contamination from the prevalent level of 5%-8% to 1-1½% as against TMC norms of 2-3½%.

As a result of the above, the domestic spinning industry is able to get better processed and contamination-free cotton. Further, the Indian cotton is now processed equivalent of International Quality Standard and is accepted world over at par with cotton of other exporting countries. The scheme of TMC MM-III and IV is closed on 31-12-2010

13. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (DPE) vide their letter dated 9th April 2010 has introduced the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) in various Central Public Sector Enterprises (CPSE) mandating to expend some portion of their net profit to extend beyond philanthropic activities and reaches out to the integration of social and business goals to secure sustainable competitive advantage in long term. As per the guidelines of DPE, your Corporation under CSR has implemented the project of Village Adoption Programme with "One Village: One Variety" concept in three States viz., two villages of Maharashtra (Vidharbha region), one village in Orissa and two villages in Tamil Nadu having lesser productivity of cotton in the earlier years and are deprived of improved and innovative cultivation and package practices. The Corporation had earmarked Rs. 35.00 lakhs for CSR project for the FY 2010-11. The actual expenditure on CSR for the financial year 2010-11 amounted to Rs. 27.65 lakhs.

14. मानव संसाधन विकासः

14.1 रिपोर्ट के अधीन वर्ष में आपके निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 31 मार्च, 2011 को 1181 थी, जिसमें 127 अधिकारी तथा 1054 कर्मचारी शामिल है, जबकि पिछले वर्ष कुल संख्या 1233 थी । आपका निगम भर्ती और पदोन्नति दोनों के मामलों में अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/ शा.वि. के अनुरक्षण के बारे में भारत सरकार के नीति मार्गदर्शन का अनुपालन कर रहा है । अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग /शा.वि. के लिए संपर्क अधिकारी आपके निगम के अनु.जा./ अनु.ज.जा./ अन्य पिछड़े वर्ग/शा.वि.के कर्मचारियों के हित की रक्षा के लिए प्रबंधन को सहायता देती रही है । समीक्षाधीन अवधि में आपके निगम ने 3 लेखाधिकारी, 11 कनिष्ठ सहायक (सा), 10 कनिष्ठ सहायक (लेखा), 1 क.क.क्रेता, 1 कैयरटेकर और 1 मेनटेन्स स्टॉफ की भर्ती की है। आपके निगम ने फील्ड कर्मचारियों तथा अधिकारियों के रोटेशनल स्थानांतरण भी किये हैं।

14.2 आपका निगम विकलांगता अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन के प्रावधान विशेषतः विकलांगतावाले व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की धारा 33 के कार्यान्वयन का अनुपालन कर रहा है । चूंकि आपके निगम के कार्य-कलापों में फील्ड कार्य-कलाप शामिल है, जिसमें शारीरिक क्षमता की बहुत आवश्यकता होती है - शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए नियुक्ति का क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाता है । इस प्रकार की सीमाओं के बावजूद आपके निगम में वर्तमान में 20 शारीरिक विकलांगतावाले व्यक्ति कार्यरत है, जिसमें से समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विशेष भर्ती योजना के अंतर्गत एक को क.क.क्रे के संवर्ग में भर्ती किया गया है जो एचएच श्रेणी का कर्मचारी है। इन श्रेणियों की शेष रिक्तियाँ भरी जा रही है । योग्य व्यक्तियों को कैरियर विकास के अवसर देने के लिए ग्रेड V यानि का.प्र.(सा./ले.)/व.क.क्र.अ. के लिए अर्हता परीक्षा रखी गयी और लेखाधिकारी पद पर 1 सफल उम्मीदवार को प्रोन्नत किया गया।

14.3 आपके निगम द्वारा वर्ष, 1975-76 में आरंभ की गई प्रबंधन व्यवस्था में कर्मचारियों की सहभागिता योजना निगमित और शाखा दोनों

14. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

14.1.The total strength of your Corporation during the year under report was 1181 as on 31st March 2011 consisting of 127 officers and 1054 unionized staff as compared to the total strength of 1233 employees during the last year. Your Corporation continued to follow the policy guidelines of Govt. of India in respect of reservation of SC/ST/OBC/PH categories both in recruitment a well as promotion. The liaison officer for SC/ST/OBC/PH categories both in recruitment as well as promotion. The liaison officer for SC/ST/OBC/PH employees of your Corporation. During the period under review, your Corporation recruited 3 Accounts Officers, 11 Jr.Asstt.(Gen), 10 Jr.Asstt(A/cs), 1 Jr.CP, 1 Care Taker & 1 Maint. Staff. Your Corporation effected rotational transfers of field staff and officers.

14.2.Your Corporation is observing the provision of implementation of the persons with Disabilities Act 1995, especially on implementation of Section 33 of reservation of vacancies for persons with disabilities. As the work of your Corporation involves field operations – which requires a lot of physical exertion – the scope for employment of physically Handicapped persons is extremely limited. Despite such limitations, Your Corporation has presently strength of 20 physically handicapped persons including one HH category of employee recruited in the cadre of Jr.CP under Special Recruitment Drive during the year under review. The remaining vacancies of these categories are being filled up. With a view to give career development opportunity to the deserving persons, your Corporation conducted Qualifying Test for Gr.V i.e. OM (Gen. & A/cs)/ Sr.CPO and promoted one successful candidate to the post of Accounts Officer.

14.3.The Scheme for workers' participation in Management introduced by your Corporation since 1975-76 continues to function smoothly, both at the corporate level and also at the branches. The

स्तरों पर सहज रूप से चल रही है । निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे और किसी मानव दिन की हानि नहीं हुई है ।

14.4 कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शन पर आधारित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के अनुसरण में आपके निगम ने संकलन/मैन्यूल्स के प्रकाशन, केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्तियों, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने तथा प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए चैनल को स्ट्रीमलाईन करने की आंतरिक कार्यविधि के बारे में कार्रवाई की है।

15. विदेशी दौरे :

समीक्षाधीन वर्ष में आपके निगम ने अधिकारियों के विदेश दौरे पर 10.92 लाख रू खर्च किये, जो लुब्बोक, टैक्सास, यूएसए में आय.सी.ए.सी. की 69वीं प्लेनरी बैठक में भाग लेने के लिए तथा भाकनि की और से भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के नाइजीरिया और युगांडा के दौरे के बारे में है।

16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 :

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शनों के आधार पर वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार आपके निगम ने मैन्युअल संग्रहण/प्रकाशन, केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और केन्द्रीय सहा. सार्वजनिक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम तैयार करने तथा प्रत्येक लोक प्राधिकारी से प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई के लिए आंतरिक पद्धति को स्ट्रीमलाईन करने के बारे में कार्रवाई की है।

1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान विभिन्न आवेदकों से 79 अनुरोध प्राप्त हुए थे । (1 अप्रैल, 2010 को आरंभिक शेष 4 था) । 78 मामलों में जानकारी प्रदान की गयी, 4 मामले सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नामंजूर किये गये । 31 मार्च 2011 को 1 आवेदन लंबित है। वर्ष के दौरान 6 अपील प्राप्त हुई, उन सबका निपटान किया गया ।

industrial relations in your Corporation continued to remain very cordial and there was no loss of man-days.

14.4. In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your corporation has taken action regarding compilation/publishing of manuals, appointments of Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

15. FOREIGN TOUR:

During the year under Review, Rs.10.92 lakhs was spent on foreign tour for the officials of your Corporation in connection with attending the 69th Plenary Meeting of ICAC at Lubbock, Texas, USA and to visit Nigeria & Uganda as a member of Indian delegation on behalf of CCI.

16. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005:

In accordance with the instructions received from the Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi, based on the guidelines issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, your Corporation has taken action regarding compilation/publishing of manuals, appointments of Central Public Information Officers, Central Assistant Public Information Officers, framing the rules for giving effect to the provisions of the Act and internal procedures to streamline the channel for dealing with requests received by each Central Public Information Officer.

During the period from 1st April 2010 to 31st March 2011, 79 requests were received from different applicants. (The opening balance on 1st April 2010 was 4). The information was provided in 78 cases, 4 were rejected under different sections of RTI Act, 2005. 1 application was pending as on 31st March 2011. During the year 6 appeals were received and all the appeals were disposed off.

17. सतर्कता संरचना तथा गतिविधियाँ - 2010-11 :

17.1 आपके निगम के सतर्कता कोष्ठ के प्रधान, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जिनके साथ मुख्यालय में उप महा प्रबंधक तथा शाखा कार्यालयों में उप महा प्रबंधक/उप प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक कार्यरत है ।

17.2 मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों (मुख्यालय/शाखाओं में तैनात) ने मुख्यालय तथा शाखाओं में आकस्मिक जाँच/निरीक्षण किए ।

17.3 <u>शिकायतें</u> :

वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से सतर्कता कोष्ठ में 17 शिकायतें प्राप्त हुई । गत वर्ष से 17 शिकायतें आगे लायी गयीं । उपरोक्त 34 शिकायतों में से 16 मामले जांच स्तर पर बंद किये गये और 1 मामले में दो कर्मचारियों के विरूद्ध छोटे दंड की कार्रवाई की गई है। शेष 17 मामलों में से 1 मामले में जुडीश्यिल मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक मामला लंबित है तथा दि.31.03.2011 को जाँच/ अंतिम निर्णय के लिए 16 शिकायतें लंबित थी। इसलिए आगामी वर्ष के लिए कुल 17 मामले आगे लाये गये ।

17.4 <u>विभागीय जांच</u>:

गत वर्ष से बड़े दंड की कार्रवाई के नौ मामले आगे लाये गये तथा वर्ष के दौरान सतर्कता कोष्ठ द्वारा 2 मामलों पर कार्रवाई की गई । इन 11 मामलों में से 1 मामले में विभागीय कार्रवाई में आरोपी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए । अतः उन्हें आरोपों से मुक्त किया गया । अन्य 1 मामले में दो कर्मचारियों के विरूद्ध छोटा दंड लागाया गया। आगे, दो मामलों में एक कर्मचारी के विरूद्ध सेवा से निकालने का बड़ा दंड लगाया गया। शेष 7 मामलों पर, दि.31.03.2011 को विभागीय कार्रवाई चल रही है और इसलिए आगामी वर्ष के लिए आगे लाया गया है।

17.5 <u>छोटे दंड की कार्यवाही</u>:

पिछले वर्ष से आगे लाये गये 10 छोटे दंड के मामले थे और सर्तकता कोष्ठ द्वारा वर्ष के दौरान 12 मामलों पर छोटे दंड की कार्रवाई की गई।

17. VIGILANCE SET-UP AND ACTIVITIES 2010-11

17.1 The Vigilance Cell of the Corporation is headed by a Chief Vigilance Officer assisted by Dy. General Manager at the Head Office and Dy. General Manager/Manager/ Deputy Manager/Assistant Managers in the Branches.

17.2 The Chief Vigilance Officer and other officials posted at Head Office/Branches conducted Surprise Checks/Inspections.

17.3 <u>Complaints</u>:

The Vigilance Cell in all received 17 complaints during the year from various sources. 17 complaints were brought forward from the previous year. Out of the above 34 complaints, 16 cases were closed at the investigation stage and in 1 case minor penalty proceeding against two official was initiated. Out of balance 17 cases, in one case, one criminal case is pending before Judicial Magistrate Court and 16 complaints were pending for investigation/final decision as on 31.03.2011, hence, total 17 cases carried forward for the next year.

17.4 <u>Departmental Enquiries</u>:

Nine cases of Major Penalty proceedings were carried forward from previous year and two cases instituted during the year were dealt with by the Vigilance Cell. Out of these 11 cases, in 1 case during the Departmental Enquiry the charge against the delinquent is not proved and hence, he has been exonerated from the charge. In other 1 case minor penalty was imposed on two officials. Further, in two cases against one official, major penalty of dismissal from service was imposed. Departmental proceedings on the remaining 7 cases are in process as on 31.03.2011 and hence, carried forward for the next year.

17.5 <u>Minor Penalty Proceedings</u>:

10 cases of minor penalty proceedings were carried forward from the previous year and 12 cases of Minor Penalty proceeding

कुल 22 मामलों में 22 कर्मचारियों पर छोटा दंड लगाया गया।

17.6 निलंबनः

दि.31.03.2011 को 2 कपास क्रय अधिकारी, 1 महा प्रबंधक और 1 लेखाधिकारी निलंबन के अधीन हैं ।

17.7 सीबीआई द्वारा खोजे गये मामलेः

सीबीआई द्वारा 6 मामले खोजे गये और पंजीकृत किये गये तथा, इन 6 मामलों में सीबीआई द्वारा मान.विशेष न्यायाधीश के सामने 5 कर्मचारियों के विरूद्ध जोधपुर, हैदराबाद तथा विशाखपट्नम में चार्ज-शीट दायर की गयी । इन 6 मामलों में से 1 मामले में मान.विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, हैदराबाद द्वारा दि.03.06.2010 को एक कर्मचारी को दोष मुक्त किया गया। शेष 5 मामले मान. न्यायालय में लंबित है।

वर्ष के दौरान, 2 अपराधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(i) एक मामले में उप महा प्रबंधक अकोला ने 1412 गाँठों के दुर्विनियोजन के लिए पुलिस स्टेशन पुसद (सिटी) यवतमाल में आईपीसी की धारा 420, 468, 469, 471, 406, 408, 427 और 34 के अधीन एफआईआर सं.117/10 दि.8/5/2010 द्वारा अपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले का आरोप पत्र श्री गुरजंत सिंह औलख व.क.क्र.अ. (निलंबन अधीन), श्री सत्यासुंदर बाबू, लेखाधिकारी (आलेप) (निलंबन अधीन) और एमएसडब्लूसी के 5 आरोपी कर्मचारियों के विरूद्ध तथा जिनिंग प्रेसिंग फैक्टरी पुसद के विरूद्ध मान. जुडीशल मजिस्ट्रेट कोर्ट प्रथम श्रेणी, पुसद, यवतमाल में दि.01.10.2010 को सीएस सं.141/2010 के अधीन दायर किया गया है। यह मामला आगे जाँच के लिए सीआईडी (क्राईम) अमरावती को स्थानांतरित किया गया है।

(ii) एक अन्य मामले में केन्द्र प्रभारी गुंतूर द्वारा गुंतूर पुलिस स्टेशन में एफआईआर सं.99(3)2010 दि.11.12.2010 दायर की गयी है, जिसमें 7 लोगों के नाम अन्य लोगों के साथ, गाली देने, कार्यालय में तोड़फोड़ करने तथा वकम्बा गांव के 30 लोगों द्वारा केन्द्र प्रभारी और फैक्टरी इनचार्ज को मारने की धमकी देने के बारे में दिया गया है, यदि उनकी

instituted during the year were dealt with by the Vigilance Cell. In all the total 22 cases, Minor Penalty was imposed on 22 officials.

17.6 Suspension:

2 Cotton Purchase Officers, 1 General Manager and 1 Accounts Officer are under suspension as on 31.03.2011.

17.7 Cases detected by CBI:

6 cases were detected & registered by CBI and in all these 6 cases, CBI has filed Charge-sheet against 5 officials before the Hon'ble Spl. Judge for CBI cases, Jodhpur, Hyderabad and Visakhapatnam. Out of these 6 cases, in one case the Hon'ble Special Judge for CBI Cases, Hyderabad has acquitted one official on 03.06.2010. The balance 5 cases are pending with the Hon'ble Court.

During the year two criminal cases were registered detailed as under:

(i) In one case, Dy. General Manager, Akola has registered a Criminal Case u/s 420, 468, 469, 471, 406, 408, 427 & 34 of IPC vide FIR No.117/10 on 8/5/2010 at the Police station, Pusad (city), Yeotmal for misappropriation of 1412 bales. The case has been chargesheeted vide CS No. 141/2010 in Hon'ble Court of Judicial Magistrate First Class, Pusad, Yeotmal on 01.10.2010, against Shri Gurjant Singh Aulakh, Sr.CPO (U/S), Shri Satyasunder Babu, A.O. (IA) (U/S) and 5 accused officials of MSWC and G&P Factories, Pusad. The case has been transferred to C.I.D. (Crime), Amravati for further investigation.

(ii) In another case, Centre-Incharge, Gunupur has filed FIR No. 99(3)2010 dated 11.12.2010 with Gunupur Police Station, identifying names of 7 persons, along with others for abusing, ransacked the office and threatened Centre-Incharge & Factory-Incharge to kill by the 30 people of Vkamba Village, if their kapas is not purchased at higher rate. 6 accused

कपास ऊँची दर पर नही खरीदी जाती है। 7 में से 6 आरोपियों को एकत्रित रूप से मान. न्यायालय ओडीसा कोर्ट से अग्रिम जमानत प्राप्त हुई है। पुलिस 1 आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, जिसको जमानत नही मिली है । पुलिस द्वारा न्यायालय में चार्जशीट दायर करने की प्रक्रिया जारी है।

17.8 निवारक सतर्कता और के.स.आ. मार्गदर्शन :

सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक उपाय निम्नानुसार है :-

(i) नियंत्रक/सर्वेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि जहाँ आवश्यक हो सुधार के उपायों के द्वारा कार्य-पद्धति में सुधार के लिए शाखा कार्यालयों तथा केन्द्रों के दौरों में वृद्धि की जाए ।

(ii) शाखा /केन्द्रों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के मार्गदर्शन तथा मुख्यालय के अनुदेशों के अनुसार खरीद, संसाधन, तुलन आदि कार्य उचित और पारदर्शी रूप से करने के लिए कहा गया ।

(iii) उचित तथा पारदर्शी परिणामों के लिए विस्तृत प्रायोगिक उतारा लेने की सलाह दी गयी ।

(iv) प्रेस वजन तथा सुपुर्दगी वजन के मामलों की प्रभावी रूप से जाँच करने तथा तत्काल आधार पर विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी ।

(v) सतर्कता अधिकारियों को मार्केट यार्ड, जि.एवं प्रे. फैक्टरियों आदि में अग्नि /चोरी आदि को रोकने के लिए उचित अग्नि-शमन मशीनरी का अनुरक्षण करने तथा सतर्क रहने की सलाह दी गयी ।

(vi) सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय भंडार निगम, राज्य भंडार निगम, एपीएमसी गोदाम भंडारण सुविधा तथा निजी गोदामों में सुरक्षा व्यवस्था तथा परिवहन के दौरान सीसीआई की पूर्ण-बंधित गॉठों में अग्नि, चोरी आदि दुर्घटनाओं से बचाव सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है । सतर्कता अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों को इन क्षेत्रों में दौरे करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ।

(vii) महा प्रबंधक/उप महा प्रबंधक/प्रबंधकों से जिला प्रशासन, अग्नि-शमन सेवा, पुलिस विभाग से सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क रखने की सलाह दी गयी, जिससे सीसीआई के स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिली । उन्हें आगे,

out of 7, collectively got anticipatory bail order in the Hon'ble High Court of Orissa. Police are trying to nab the 1 accused, who has not got the bail. Process of filing charge sheet in the Court by the Police is in process.

17.8 Preventive Vigilance and CVC Guidelines:

For safety and security of CCI's stock, the corrective action taken as under:-

(i) Controlling/supervisory Officers were advised to enhance tours to Branch Office and its centers for improving the system by performing corrective surgery wherever necessary.

(ii) Branch/centers were emphasized to do the procurement, processing, weighment etc. in fair and transparent manner and according to the CVC guidelines and H.O. instructions.

(iii) Advised to conduct EOT extensively for fair and transparent result.

(iv) Advised to effectively check the press weight and delivery weight cases and submit an analytical report promptly.

(v) Advised the Vigilance Officers to be proactive and advocate the maintenance of adequate fire fighting machinery at market yard, ginning & pressing factories and various godowns etc. to prevent fire/theft etc.

(vi) Vigilance officers were advised to ensure and supervise the safety and security mechanism at CWC, SWC, APMC GSF and private godowns and during transit to avert the incidents of fire, theft etc. in the F.P. Bales of CCI. Vigilance Officers and other officers were motivated to visit these areas and ensure compliance.

(vii) Advised the G.M., Dy. G.M., B.Ms. to be in live contact with Dist. Administration, Fire Service, Police Department for obtaining support, which could help in ensuring safety and security of CCI stock. They were

अग्नि घटनाओं से बचाव के लिए मानक परिचालन कार्यविधि (एस.ओ.पी) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी ।

(viii) शाखा प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों को सलाह दी गयी है कि ट्रकों में उनकी क्षमता तथा ट्रक के आकार के अनुसार सामान भरा जाए तथा तारपोलीन के साथ उचित रूप से उसे कवर भी किया जाए ।

(ix) सीसीआई स्टॉक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों द्वारा रात्रि में निगरानी, जाँच और पहरेदारी करने की सलाह दी गयी ।

(x) सुरक्षा मानदंडों के सर्वेक्षण के लिए मजदूरों में से सुरक्षा रक्षक बनाये जायें ।

(xi) सतर्कता अधिकारियों को सौंपे गए जाँच कार्य को पारदर्शिता, ईमानदारी तथा जिम्मेदारी से करने का निर्देश दिया जाता है ।

17.9 <u>पर्दाफाश योजना</u> :

- केन्द्रीय सर्तकता आयोग, भारत सरकार ने अपने दिनांक 7.10.2008 के पत्र द्वारा पीआईडीपी संकल्प की कार्यविधि को व्यापक प्रचार देने का निदेश दिया है, यानि लोकहित प्रकटीकरण के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने और सूचना देने वाले के बचाव का संकल्प, जिसे पर्दाफाश संकल्प के रूप में जाना जाता है । भारत सरकार ने केन्द्रीय सर्तकता आयोग को शिकायत करने वाले की पहचान गोपनीय रखने और गुप्त रखने द्वारा, पर्दाफाश संकल्प के अधीन किसी भी शिकायत को जाँच करने के लिए पदनामित किया है ।
- पर्दाफाश संकल्प के अंतर्गत केन्द्रीय सर्तकता आयोग द्वारा शिकायत प्राप्त की जाऐगी, जिसकी प्रक्रिया सीवीसी के वेबसाईट पर नीचे दिये अनुसार हैः-
  - शिकायत डाक द्वारा भेजी जाऐ ।
  - शिकायत बंद/गुप्त लिफाफे में दी जाऐ ।
  - लिफाफा सचिव, केन्द्रीय सर्तकता आयोग को संबोधित होना चाहिए, जिसपर ''लोकहित प्रकटीकरण के अधीन शिकायत लिखा होना चाहिए'' ।
  - लिफाफे पर शिकायतकर्ता का नाम और पता नहीं लिखा होना चाहिए ।

further advised to ensure strict compliance of Standard Operating Procedure (SOP) for prevention of fire incidents.

(viii) Advised B.M. and other officials to supervise that the trucks were loaded according to the capacity and size of truck and were properly covered with tarpaulins.

(ix) Night surveillance, checking, patrolling by various committees were advised to ensure safety and security of CCI stock.

(x) Safety wardens from among the labourers be made to supervise safety and security norms.

(xi) Vigilance Officers were directed to conduct the enquiries given to them with transparency, probity and accountability.

17.9 <u>Whistle Blowers Scheme</u> :

- The Central Vigilance Commission, Government of India, New Delhi, vide its letter dated 7.10.2008 has directed to give a wide spread publicity to the procedure of PIDPI Resolution i.e. lodging of complaints under the Public Interest Disclosure and Protection of Informers' Resolution popularly known as Whistle Blowers' Resolution. Government of India has designated CVC to inquire into any complaint under Whistle Blowers' Resolution by maintaining secrecy and confidentiality of the identity of the complainant.
- Under the Whistle Blowers' Resolution, complaint will be received by the Central Vigilance Commission (CVC), the procedure of which given on the website of CVC is as below:
  - The compliant should be sent by post.
  - The complaint should be in a closed/ secured envelope.
  - The envelope should be addressed to Secretary, Central Vigilance Commission superscribed "Complaint under The Public Interest Disclosure".
  - Name and address of the complainant should not be written on the envelope.

- आयोग गुमनाम/ छद्मनाम शिकायतों पर विचार नही करेगा ।
- भाकनि में सीवीसी के उर्पयुक्त अनुदेश मुख्यालय और सभी शाखा कार्यालयों मे दिनांक 22.10.2008 के परिपत्र द्वारा परिचालिन किये गये है । उन्हें पर्दाफाश संकल्प का काम भय और निषेध के बिना करने के लिए कहा गया है, यदि वे संगठनों में भ्रष्टाचार, दुराचार आदि के मामले पाते है ।
- वर्ष 2008 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह में दिनांक 6.11.2008 के दौरान भाकनि के मुख्यालय में एक वार्ता सीवीसी के पीडीपीआई पर रखी गयी थी ।
- पर्दाफाश संकल्प को सफल बनाने के लिए, जनता में सर्तकता जागृकता लाने के लिए और पीडीपीआई संकल्प के अधीन शिकायत करने के लिए दिनांक 3.11.2008, 4.11.2008, 5.11.2008 **एवं** 7.11.2008 की प्रेस नोट भाकनि के वेबसाईट www.cotcorp.gov.in पर रखी गयी थी ।

- Commission will not entertain anonymous/ pseudonymous complaints.
- In the Cotton Corporation of India Ltd, the above instructions of CVC have been circulated at H.O and all the Branches vide circular dated 22.10.2008 for information. They have been sensitized about the procedure for becoming Whistle Blower without fear and inhibition, if they come across the issues of corruption, malpractices etc. within the Organisation.
- During the Vigilance awareness week 2008 on 6.11.2008, a discussion was held in the Head Office of CCI Ltd. on the CVC's mandate about the PIDPI (Whistle Blowers' Resolution).
- In order to make the Whistle Blower Resolution successful, to promote vigilance literacy in the public and to publicize the procedure for making complaint under PIDPI Resolution, the press noted dated 3.11.2008, 4.11.2008, 5.11.2008 and 7.11.2008 were published on the www.cotcorp.gov.in website of CCI Ltd.

18. हिंदी का प्रगामी प्रयोग :

राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की दिशा में आपके निगम ने वर्ष 2010-11 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया है । वर्ष 2008-09 के दौरान हिंदी कार्यान्वयन में की गयी प्रगति के लिए निगम के मुख्यालय को 14 सितंबर, 2010 को महा. उप राष्ट्रपति द्वारा इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । निगम को यह पुरस्कार लगातार 18वीं बार प्राप्त हुआ है । इसके अलावा शाखा कार्यालयों द्वारा किए गए हिंदी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय राजभाषा विभाग द्वारा "ग" क्षेत्र में स्थित शा.का.कोलकाता और शा.का. कोयम्बतूर को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया । राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत निगम के अब तक कुल 14 शाखा कार्यालय अधिसूचित हो चुके हैं ।

मुख्यालय तथा शाखा कार्यालयों में कंप्यूटर पर द्विभाषी प्रोग्रामिंग करायी जा चुकी है । निगम में सी-डैक की

18. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Your Corporation has achieved all the targets laid down in annual programme for the year 2010-11 by Department of Official Languages, Home Ministry. Head Office has been honoured with first prize for Indira Gandhi Rajbhasha Shield for the 18th time on 14th September, 2010 for the year 2008-09 in "B" region by Hon'ble Vice President of India. Apart from this, for the year 2009-10 progress made in implementation of Hindi B.O. Kolkata and B.O.Coimbatore has been awarded Second prize in "C" Region by Regional Official Language Department. So far Head Office and 14 branches of the Corporation have been notified under Official Language Rule 10(4).

Bilingual computer programming is made available at Head Office as well as all Branch Offices. Your Corporation has also arranged

सहायता से हिंदी में ई-मेल भेजने की व्यवस्था की गई है तथा यूनिकोड फॉन्ड की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है । वर्ष, 2003 से निगम की वेब-साईट द्विभाषी रूप में उपलब्ध है तथा उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है । निगम की गृह पत्रिका राजभाषा रश्मि का वर्ष 1984 से नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है । ई-जर्नल "राजभाषा रश्मि" जुलाई 2009 से हमारे वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है । 31 मार्च, 2011 को हिंदी पत्रों का प्रतिशत लगभग 93.25% रहा है ।

निगम के मुख्यालय को नवी मुंबई नगर राजभाषा समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । आलोच्य वर्ष के दौरान 2 बैठकें, 1 राजभाषा संगोष्ठी, 1 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । नवी मुंबई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से "समन्वय" नामक पत्रिका के अंक 8वें तथा 9वें का भी प्रकाशन किया गया है । इसके अलावा, हमारे शाखा कार्यालय आदिलाबाद और गुंतूर भी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की अध्यक्षता कर रहे हैं ।

19. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति :

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान, आपके निगम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई सुधार करने में सफलता प्राप्त की है :-

i) मुख्यालय और शाखा कार्यालय के वर्तमान विपणन सिस्टम, लेखा सिस्टम, पेरोल सिस्टम को उपभोक्ता की आवश्कताओं के अनुसार अद्यतन किया गया है और अद्यतन रिपोर्ट/प्रविष्टियों को संशोधित और कार्यान्वित किया गया है ।

ii) निगम एक बड़े सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है, यानि निगम में ईआरपी कार्यान्वयन । ईआरपी कार्यान्वयन के इस प्रक्रिया में मुख्यालय और शाखा कार्यालय की सभी कार्यात्मक गतिविधियाँ बड़े क्षेत्र नेटवर्क द्वारा जोड़ी जाऐंगी । निगम में ईआरपी का कार्यान्वयन एक बार होने के बाद मुख्यालय और शाखा कार्यालय की सभी कार्यात्मक गतिविधियाँ जुड जायेगी ।

iii) निगम ने ऑरेकल ई-बिजनेज सूइट को ईआरपी सॉफटवेयर बिजनेज सेलयूशन (पैकेज) के रूप में तथा मेसर्स केपजेमिनि इंडिया प्रा. लिमिटेड. को

to transmit E-mail in Hindi with the help of C-Dac and facility of Unicode Font is also made available. Web-site is available in bilingual form, since 2003 and it is updated from time to time. Your Corporation is regularly publishing House Journal named "Rajbhasha Rashmi" since 1984. E-Journal "Rajbhasha Rashmi" is being hosted on our website since July, 2009. Correspondence in Hindi stands at 93.25% as on 31st March 2011.

Head Office of your Corporation has been entrusted with the responsibility of heading Town Implementation Committee. Two meetings one seminar, one training programme and six competitions were conducted during the year. Navi Mumbai Tolic has also published 8th and 9th issue of "Samanvay" magazine. Apart from this our Branch Office Adilabad and Guntur are also heading their respective Town Official Languages Implementation Committee..

19. PROGRESS IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY:

During the financial year 2010-11, your Corporation had achieved a number of improvements in the field of Information Technology:-

i) At H.O. & BO's the existing Marketing System, Accounting System, Payroll System are updated as per the users' requirements and latest report/entries have been modified and implemented.

ii) The Corporation is in process of implementation of one major IT project i.e. ERP implementation in the Corporation. In this process of implementation of ERP, all functional activity of Head Office and Branch locations will be integrated through a Wide Area Network. Once the ERP will be implemented in the Corporation, entire functional activity of H.O and branches will be integrated.

iii) The Corporation has finalized Oracle E-business Suite as ERP Software Business Solution (package) and M/s. Capgemini India

वेनडर के रूप में (सिस्टम इंटीग्रेटर) निगम में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए निश्चित किया है । कार्यान्वयन सहभागी को निगम में ईआरपी लागू करने के लिए 12 महीने का समय दिया है, जो दिनांक 18/8/2010 से प्रभावी है ।

iv) मेसर्स केपजेमिनि ने कार्य शुरू कर दिया है और दिनांक 18/8/2010 से अपने सलाहकार तैनात कर दिए है । कार्यात्मक सलाहकारों ने प्रक्रिया अध्ययन के लिए हमारे 4 शाखा कार्यालय यानि भटिंड़ा, अहमदाबाद, गुंतूर और कोलकाता का दौरा किया है । अध्ययन के बाद उन्होंने आर डी.20 जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिसे सीसीआई यूजर्स द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं । आगे, सीआरपीओ (कानफैरन्स रूम पाईलट), सीआरपीआई 1 और सीआरपी 2 को मुख्यालय में शाखा कार्यालय के अधिकारियों के सहभागिता के साथ पूरा किया गया है।

v) निगम ने मेसर्स विप्रो लि. के साथ सलाह करते हुए वैन और हार्डवेयर के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स टयूलिप टेलिकौम लि. को वेन्डर के रूप में निश्चित किया है तथा इसका वर्क ऑर्डर दिनांक 03.03.2011 को जारी किया गया है और इसके अनुबंध को निष्पादित किया गया है ।

vi) निगम ने डाटा सेंटर लोकेशन को नवी मुंबई तथा डिसैस्टर रिकवरी साईट को शाखा कार्यालय अहमदाबाद में निश्चित किया है ।

vii) जहां कही आवश्यक हुआ वर्तमान हार्डवेअर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया है तथा मुख्यालय और शाखा कार्यालय में नये हार्डवेयर की स्थापना की गयी है ।

viii) इंडियन कंप्यूटर एमरजन्सी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-आयएन) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना मंत्रालय, भारत सरकार से सूचना प्रौद्योगिकी/तारीख सुरक्षा, वायरस अलर्ट, सुरक्षा संबंधी मानदंड तथा सावधानी आदि को आपके निगम में समय-समय पर कार्यान्वित किया जाता है ।

Pvt. Ltd. as vendor (System Integrator) for implementation of ERP in the Corporation. The implementation partner has been given 12 months time to implement ERP in the Corporation w.e.f. 18/8/2010.

iv) M/s. Capgemini has started the work and deployed their consultants w.e.f. 18/8/2010. The functional consultants have visited four of our branches i.e. Bathinda, Ahmedabad, Guntur and Kolkata for process study. After study they have submitted the as-is RD.20 documents, which was signed off by CCI users. Further, CRPO (Conference Room Pilot), CRPI 1 and CRP 2 is completed at HO with the participation from Branch Officers.

v) The Corporation has finalized M/s. Tulip Telecom Ltd. as vendor for implementation of WAN (Wide Area Network) and Hardware in consultation with M/s. Wipro Ltd. and work order for the same was released on 03.03.2011 and agreement for the same is executed.

vi) The Corporation has finalized Data Centre location at HO Navi Mumbai and Disaster Recovery Site at BO Ahmedabad.

vii) Wherever found necessary, the upgradation of the existing hardware and software and installation of new hardware has been completed at H.O. and Branches.

viii) The guidelines received from Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), Department of Information Technology, Ministry of Communication and Information Technology, Government of India about IT/ Data Security, Virus Alerts, related security measures and precautions etc. are being implemented in the Corporation from time to time.

20. निगमित शासन :

आपका निगम विश्वास करता है कि सफल होने के लिए एक कंपनी के लिए यह आवश्यक है कि अपने सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए निगमित आचरण का विश्वीय मानदंड बनाये । आपकी कंपनी को विश्वास है कि औचित्य पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत अच्छे शासन के लिए सोपान हैं । कंपनी का यह उद्यम है कि प्रशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त करें और अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशासी कंपनियों के साथ अपना स्थान बनाये ।

21. निदेशक मंडल :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डॉ. एस.श्रीनिवासन और श्री जे. एन. सिंह, अंशकालीन निदेशक, तथा श्री सुभाष ग्रोवर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक मंडल में नहीं रहे । श्री बी.के. मिश्र, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए तथा श्री वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव को निदेशक मंडल में अंशकालीन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया । निदेशक मंडल ने डॉ. एस.श्रीनिवासन, श्री जे.एन. सिंह की अशंकालीन निदेशक के रूप में तथा श्री सुभाष ग्रोवर द्वारा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में उस अवधि के दौरान निगम को दी गई अमूल्य सेवाओं और मार्गदर्शन के लिए सराहना दर्ज की ।

22. मंडल की बैठकें :

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मंडल की 6 बैठकें 24 मई, 2010, 20 जुलाई, 2010, 27 अगस्त 2010, 1 अक्तूबर 2010, 6 जनवरी 2011 तथा 9 फरवरी 2011 को हुई ।

23. निदेशकों के दायित्वों का विवरण :

कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 217(2एए) के अनुसरण में निदेशकों के दायित्वों की एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं ।

23.1 यह कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करते समय, माल की सुपुर्दगी से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू मानकों और कंपनीज अधिनियम 1956 की अनुसूची VI का अनुपालन किया गया है ।

20. CORPORATE GOVERNANCE:

Your Corporation believes that for a company to be successful, it must maintain global standards of corporate conduct towards all its stakeholders. Your Company believes that the principles of fairness, transparency and accountability are the cornerstones for good governance. It is the Company's endeavour to continue to achieve the highest levels of governance and to benchmark itself with the best governed companies in the similar trade.

21. BOARD OF DIRECTORS :

During the year, under review Dr. S. Sreenivasan and Shri J.N. Singh, part time Director's and Shri Subhash Grover, Chairman cum Managing Director, ceased to be Director on the Board. Shri B.K.Mishra was appointed as Chairman cum Managing Director and Shri V. Srinivas, Jt. Secretary, was appointed as part time Director on the Board of Directors. The Board of Directors placed on record high appreciation for the valuable services and guidance rendered by Dr. S. Sreenivasan, Shri J.N. Singh as part time Director and Shri Subhash Grover as Chairman cum Managing Director of the Corporation during their tenure on the Board.

22. BOARD MEETINGS :

During the year ended 31st March 2011, 6 Board meetings were held on 24th May 2010, 20th July 2010, 27th August 2010, 1st October 2010, 6th January 2011 and 9th February 2011

23. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT :

Pursuant to the requirement under Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors' Responsibilities Statement, it is hereby confirmed.

23.1. That in the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March , 2011 the applicable accounting standards and Schedule VI of the Companies Act, 1956 had been followed along with proper explanation relating to material departures;

23.2 यह कि निदेशकों ने इस प्रकार की लेखा नीतियों का चयन किया है और उसे कड़ाई से लागू किया है तथा ऐसे औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट निर्णय एवं अनुमान लगाये हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्य - व्यवहार का तथा आलोच्य वर्ष के लाभ -हानि खाते का सही चित्रण देते हैं ।

23.3 यह कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को पकडने़ और रोकने के लिए कंपनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती है ।

23.4 यह कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लेखों को निदेशकों ने "गोइंग कन्सर्न" के आधार पर तैयार किया है ।

24. लेखा परीक्षा समिति :

24.1 आपके निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 292 ए के अनुपालन में तथा निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकें आयोजित की ।

24.2 आपके निगम की लेखा परीक्षा समिति में 3 निदेशक शामिल हैं यानि श्री वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, डॉ.एस.श्रीनिवासन, निदेशक, सिरकॉट और श्री सुभाष ग्रोवर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम लिमिटेड, जिन्हें निगम के निदेशक मंडल द्वारा नामित किया गया था।

25. वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन :

25.1 वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ वास्तविक परिणाम के आधार पर लोक उद्यम विभाग ने "अच्छा" श्रेणी प्रदान की है ।

25.2 आपके निगम तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2011-12 के लिए समझौता ज्ञापन पर 21 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए ।

23.2. That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit of the Company for the year under review;

23.3. That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities

23.4. That the directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March, 2011 on a "going concern" basis.

24. AUDIT COMMITTEE:

24.1. During the year under review your Corporation held two meetings of Audit Committee in compliance with Section 292A of Companies Act, 1956 and Terms of reference of the Audit Committee given by the Board of Directors.

24.2. The Composition of Audit Committee of your Corporation during the year comprise of three Directors viz. Shri V. Srinivas, Joint Secretary, Ministry of Textiles, Dr S. Sreenivasan, Director, CIRCOT and Shri Subhash Grover, Chairman cum Managing Director, Cotton Corporation of India Ltd., who were nominated by the Board of Directors of your Corporation..

25. MOU WITH THE MINISTRY OF TEXTILES :

25.1. The achievement based on actual results vis-à-vis targets for the year 2009-10 had been rated "Good" by Department of Public Enterprises.

25.2. The Memorandum of Understanding between your Corporation and the Ministry of Textiles for the year 2011-12 was signed on 21st March 2011.

26. लेखा परीक्षा समीक्षा :

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दिए गए अवलोकन पर निदेशक मंडल की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के परिशिष्ट में दिया गया है ।

27. कर्मचारियों के ब्यौरे :

कंपनीज. (कर्मचारियों का ब्यौरा) नियम 1975 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 217(2ए) की सूचना के अनुसार शून्य माना जाये ।

28. आभार :

28.1 आपके निदेशकगण माननीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभारी हैं । माननीय राज्य वस्त्र मंत्री, भारत सरकार के प्रति भी आभारी हैं । आपके निदेशक सचिव, संयुक्त सचिव तथा वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों, कृषि मंत्रालय और वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और उनके अधिकारियों के प्रति उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं, जिसके अभाव में आपका निगम समीक्षागत वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की सफलता बनाये रखने में सफल नहीं हो पाता ।

28.2 आपके निदेशकगण बैंक ऑफ बड़ौदा और संकाय के अन्य सदस्य बैंकों द्वारा निगम को समय पर दिए गए उनके सहयोग तथा मदद के प्रति आभारी हैं । आगे आपके निदेशकगण प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा मंडल - IV और उनके कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान निगम को दिए गए उनके सहयोग के प्रति आभारी हैं ।

28.3 समीक्षागत वर्ष के लिए निगम के लेखों की परीक्षा करते समय निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स चौकसी एंड चौकसी कंपनी, सनदी लेखापाल, मुंबई और मैसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन के लिए आपके निदेशक आभारी हैं ।

28.4 आपके निदेशक नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन और उनकी सहायिकाओं, राज्य वस्त्र निगम, सहकारी स्पिनिंग मिलें तथा विभिन्न निजी मिलों के

26. AUDIT REVIEW :

The comments of the Board of Directors on the observations made by Joint Statutory Auditors in their report to the members are as Addendum to this report.

27. PARTICULARS OF EMPLOYEES :

Information as per Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 ("the Act") read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, treated as nil.

28. ACKNOWLEDGEMENT :

28.1 The Directors wish to place on record their grateful thanks for the guidance and cooperation extended by the Hon'ble Minister of Textiles, Government of India. Thanks are also due to Hon'ble Minister of State for Textiles, Govt. of India. The Directors also wish to thank the Secretary, Joint Secretaries and other officials of the Ministry of Textiles, officials of Ministry of Finance, Ministry of Agriculture and Textile Commissioner and his officials, but for which, to maintain trends that were set earlier in the recent past with regard to working of the Corporation, would not have been possible in the year under review.

28.2. Thanks are also due to Bank of Baroda and other member banks of the Consortium for extending timely help and support to the Corporation. The Directors further desire to place on record their sincere thanks to the Principal Director of Commercial Audit and Ex-Officio Member Audit Board–IV for their co-operation.

28.3. Your Directors gratefully acknowledge valuable suggestions and guidance given by the Statutory Auditors M/s Chokshi & Chokshi Co Chartered Accountants, Mumbai and M/s Prem Gupta & Co. Chartered Accountants, New Delhi during the course of their audit of the accounts of the Corporation for the year under review.

28.4. Our grateful thanks are also due to the National Textile Corporation and its subsidiaries, the State Textile Corporations,

प्रति भी आभारी हैं, जिन्होंने वर्ष, 2010-11 के दौरान अपनी आवश्यकता की अधिकांश कपास, निगम से खरीदी और इस प्रकार गुणवत्ता, मूल्य-प्रतिस्पर्धा और निगम द्वारा दी गई सेवाओं पर विश्वास बनाये रखा है । कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआयटीआय), कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य भंडार निगम और केन्द्रीय भंडार निगम द्वारा निगम को दिए गए सहयोग के प्रति भी हम आभारी हैं ।

28.5 आपके निदेशक निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भी आभारी हैं, जिन्होंने सभी स्तरों पर अपना सहयोग, सघन प्रयत्न और कर्तव्यनिष्ठा बनाये रखी ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 25.07.2011

Co-operative Spinning Mills and various Private Sector Mills who covered their cotton requirements from your Corporation during 2010-11 thus placing their faith in the quality, price competitiveness and service being rendered by the Corporation. Our sincere thanks are also due to the Confederation of Indian Textile Industry (CITI), Cotton Association of India, SWCs, CWC for the co-operation extended by these organization to the Corporation.

28.5. Your Directors thank all the Officers and staff of the Corporation for their co-operation, concerted efforts and dedication at all levels.

For and on behalf of the Board of Directors.

(B.K. MISHRA)
CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 25.07.2011

वर्ष 2010-11 के लिए निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट
ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT FOR THE YEAR 2010-11

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का उत्तर :

लेखा परीक्षकों की टिप्पणी:

2. कंपनी द्वारा "आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियों" पर इंस्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटेंटस ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानक 29 (एएस.29) का अनुपालन नहीं किया गया है ।

   कंपनी ने पंजाब संरचना विकास तथा विनियमन अधिनियम 2002 (संशोधित) के अंतर्गत कपास खरीद के उपकर पर 1408.33 लाख रूपये के ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है । इसके फलस्वरुप 643.86 लाख रुपये की अंडर स्टेटमेन्ट की हानि आती है और 1408.33 लाख रु.की राशि द्वारा वर्तमान देयताओं (अनुसूची-12) की अंडर स्टेटमेंट आती है तथा 764.47 लाख रु.की राशि द्वारा आरक्षित और अधिशेष की (अनुसूची-2) की ओवर स्टेटमेन्ट आती है। (लेखा के नोट्स की अनुसूची-21 का नोट नं. 1(iv) देखें)

प्रबंधन का उत्तर :

पंजाब राज्य ने दिनांक 11.7.2002 को अधिसूचना जारी की है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक डीलर को कृषि उत्पाद की खरीद पर, जिसमें कपास भी शामिल है, 1% उपकर देना बाध्यकर होगा । इसे पंजाब संरचना विकास अधिनियम, 1998 तथा पंजाब संरचना विकास उपकर (कलेक्शन नियम) 1998 द्वारा अधिनियमित किया गया है । यह दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी हो गया है । इस उपकर को दिनांक 1.4.2008 से 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है । इसे पंजाब तथा हरियाणा, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में निगम द्वारा सिविल रिट पिटिशन-3713-2008 कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब तथा अन्य द्वारा चुनौती दी गई थी । पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ ने सीडब्ल्यूपी 6676 /1999 फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ पंजाब तथा अन्य के मामले में अपने दिनांक 22.6.2009 के निर्णय द्वारा इसका निपटान करते हुए, यह कहा है कि यह जजमेंट इस बैच से संबंधित सभी 112 रिट पिटिशन्स, जिसमें निगम भी शामिल है, का निपटान करता है ।

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्णय के विरूद्ध माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एसएलपी दायर किया गया है, जो अंतिम निर्णयन के लिए लंबित है ।

Reply to comments of Joint Statutory Auditors:

Comment of the Auditors:

2. The Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard 29 (AS-29) issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets".

   The Company has not provided for interest towards cess on purchase of cotton under Punjab Infrastructure Development and regulation Act, 2002(Amended) amounting to Rs.1408.33 lakhs. This has resulted into under statement of losses by Rs. 643.86 lakhs and understatement of Current liabilities (Schedule 12) by Rs. 1408.33 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus (Schedule 2) by Rs. 764.47 Lacs (Also refer Note No.1 (iv) to the Schedule 21 to notes to Accounts)

Reply of the Management:

Punjab State issued Notification dated 11.7.2002 vide which it was provided that every Dealer shall be liable to pay infrastructure cess @1% on purchase of agricultural produce including cotton. It was enacted vide Punjab Infrastructure Development Act, 1998 and the Punjab Infrastructure Development Cess (Collection Rules), 1998. It was effective from 1.4.2005. The cess was increased from 1% to 2% with effect from 1.4.2008. It was challenged in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh by the Corporation in Civil Writ Petition – 3713-2008 titled Cotton Corporation of India Vs. State of Punjab & Others. The High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh, vide decision dated 22.6.2009 disposed off CWP 6676 of 1999 titled Food Corporation of India Vs. State of Punjab and another stating that this judgment shall also dispose of the connected batch of 112 writ petitions including that of the Corporation.

Against the judgment of Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, SLP has been filed in the Hon'ble Supreme Court of India which is pending for final adjudication.

पंजाब संरचना उपकर से संबंधित 3910.43 लाख रूपये का बही खातों में प्रावधान किया गया है । ब्याज की राशि 1408.33 लाख रूपये बनती है, जिसमें 1279.71 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य परिचालन से और 128.62 लाख रूपये वाणिज्यिक कार्य परिचालन से संबंधित है, जिसका प्रावधान आकस्मिक देयताओं में, पैरा सं.1 (iv) के अधीन लेखा का भाग बनाने वाले नोट्स में नहीं किया गया है । न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन पर ब्याज की, यदि कोई वसूली योग्य होगा, तो उसकी प्रतिपूर्ति, भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हानियों के भाग के रूप में की जायेगी ।

6 जनवरी 2011 को हुई लेखा परीक्षा बैठक में संयुक्त लेखा परीक्षकों की सलाह के अनुसार यह मामला उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भेजा गया था, जिसमें उनकी भी राय है कि 1408.33 लाख रूपये का ब्याज अपने स्वरूप में आकस्मिक है और निगम ने उसका आकस्मिक देयता में प्रावधान सही रूप में किया है । ब्याज की देयता पीआईडीआरए अधिनियम की धारा 25 (3) के प्रावधानों के रूप में उपार्जित नहीं होगी, जिसके अनुसार पंजाब वैट अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार किया गया है, जो ब्याज के भुगतान का प्रावधान बिल्कुल नहीं करते हैं । आगे ब्याज के शुल्क के लिए प्रावधान किए गए अधिनियम के अधीन कोई स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और इसकी अनुपस्थिति में, पंजाब वैट अधिनियम के प्रावधान लगाते हुए कर अधिनियम के अधीन ब्याज की राशि वसूल नही की जा सकती है । इस मामले में 106-एसटीसी-460 में रिपोर्ट किए गए इंडिया कार्बन लि. बनाम असाम राज्य (1997) मामले में मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर रहा जा सकता है ।

मामला 25 जुलाई 2011 को हुई लेखा परीक्षा समिति के मंडल की 20वीं बैठक के सामने रखा गया और समिति की भी यही राय थी कि इसी प्रकार के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उदाहरण को देखते हुए, ब्याज का बही खातों में प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। निदेशक मंडल ने भी पंजाब संरचना कर के ब्याज के गैर-प्रावधान पर लेखा परीक्षा समिति की स्फिारिशों को स्वीकार किया है ।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

(बी.के. मिश्र)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नवी मुंबई
दिनांक : 25.7.2011

Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.3910.43 lakhs has been provided in the Books of Accounts. The amount of interest which works out to Rs. 1408.33 lakhs comprising of Rs.1279.71 lakhs pertaining to MSP operations and Rs.128.62 lakhs of CP operations have not been provided in the Books but shown as Contingent Liability, in the Notes forming part of accounts under Para No. 1(iv). Interest if any leviable on MSP operations would be reimbursable by Govt. of India as part of MSP losses

As advised by the Joint Statutory Auditors in the Audit Committee Meeting held on 06th January 2011, the matter was referred to two Senior Advocates of High Court, wherein, they also opined that the interest of Rs. 1408.33 lakhs is contingent in nature and the Corporation has correctly provided for the same in the contingent liability. The liability for the interest may not accrue as provisions of section25(3) of the PIDRA Act, according to which the provisions of the Punjab VAT Act have been extended, do not provide for the payment of interest at all. Further, there is no independent provision under the act provided for the levy of interest and in the absence of the same, the amount of interest cannot be recovered under the Cess Act by applying provisions of the Punjab VAT Act. Reliance in this regard is placed upon the Judgment of Hon'ble Supreme Court in the case of India Carbon Ltd. vs State of Assam reported in (1997) 106-STC460.

The matter was placed before the Audit Committee of Board in its 20th meeting held on 25th July 2011 and committee was also of the opinion that in view of precedent of Supreme Court judgment in another similar type of case, interest need not to be provided in the books of accounts. The Board of Directors has also accepted the recommendations of Audit Committee's on non provision of interest on Punjab Infrastructure Cess.

For and on behalf of the Board of Directors.

(B.K. MISHRA)

CHAIRMAN CUM MANAGING DIRECTOR

Place: Navi Mumbai
Date: 25.07.2011

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
AUDITOR'S REPORT

सदस्य
भारतीय कपास निगम लि.
नवी मुंबई

हमने भारतीय कपास निगम लिमिटेड (दि कंपनी), नवी मुंबई की 31 मार्च, 2011 को संलग्न तुलन पत्र की तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न लाभ तथा हानि खाते और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी की भी लेखा परीक्षा की है । इन वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है । हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में लेखा परीक्षा की है । इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम इस प्रकार से योजना बनाते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं कि क्या वित्तीय विवरणियाँ मटेरियल मिस-स्टेटमेंट से मुक्त हैं । लेखा परीक्षा की जाँच में परीक्षण के आधार पर, राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणियों में उसकी अभिव्यक्ति शामिल है । लेखा परीक्षा में लेखा नीतियों का निर्धारिण भी शामिल किया जाता है और प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय विवरणी प्रस्तुती का मूल्यांकन किया जाता है । हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा हमारे विचारों को उचित आधार देती है ।

हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं :

1. कंपनीज अधिनियम, 1956(अधिनियम) की धारा 227 (4ए) द्वारा जारी कंपनीज. (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003(संशोधित) की अपेक्षा के अनुसार हम कथित आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट विषय पर एक विवरणी, परिशिष्ट में संलग्न करते हैं ।

2. *आगे, उपर्युक्त पैरा 1 के परिशिष्ट में संदर्भित हमारी टिप्पणी में हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने भारत के सनदी लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी किए गए अनिवार्य लेखा मानदंड 29(एएस-29) की आवश्यकताओं का अनुपालन "प्रावधानों, समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्ति" पर नहीं किया है :-*

   पंजाब संरचना विकास और विनियम अधिनियम 2002(संशोधित) के अंतर्गत कपास की खरीद पर कर और ब्याज के लिए प्रावधान नहीं किया है, जो 1408.33 लाख

The Members
The Cotton Corporation of India Limited,
Navi Mumbai.

We have audited the attached Balance Sheet of The Cotton Corporation of India Limited (the Company), Navi Mumbai as at 31st March 2011 and the annexed Profit & Loss Account of the Company for the year ended on that date and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with Auditing Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We report as follow:

1) As required by the Companies (Auditors Report) Order 2003 (as amended), issued by the Central Government of India under Section 227(4A) of the Companies Act, 1956 (the Act), we enclose in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said order.

2) *Further to our comments in the Annexure referred to in paragraph 1 above, we report that the Company has not complied with the requirements of Mandatory Accounting Standard 29 (AS-29) issued by the Institute of Chartered Accountants of India on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets."*

   The Company has not provided for interest towards cess on purchase of cotton under Punjab Infrastructure Development and regulation Act,

रूपये की राशि है । इसके फलस्वरूप 643.86 लाख रूपये की अंडर स्टेटमेन्ट की हानि आती है और 1408.33 लाख रू. की राशि द्वारा वर्तमान देयताओं (अनुसूची.12) की अंडर स्टेटमेन्ट आती है तथा 764.47 लाख रू. की राशि द्वारा आरक्षित और अधिशेष की (अनुसूची-2) की ओवर स्टेटमेन्ट आती है । (लेखा के नोट्स की अनुसूची 21 का नोट नं.1(iv) देखें)।

3. उपर्युक्त के आगे, हम रिपार्ट करते हैं :-

क) हमने अपनी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक, सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं ;

ख) हमारे विचार में, निगम ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित बहियाँ रखी हैं, जो हमारे द्वारा परीक्षित बहियों से ज्ञात होता है ;

ग) इस रिपोर्ट द्वारा तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी का कंपनी के खाता बहियों के साथ मेल खाते हैं ;

घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित को छोड़कर कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित अनिवार्य लेखा मानक का अनुपालन करते हैं ।

ङ) वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्यकलाप विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः जी.एस.आर. 829(ई) दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 को देखते हुए कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपरोक्त पैरा 2 में हमारे द्वारा की गयी टिप्पणियों पर विचार किया गया है , वर्ष के लिए अवधि समायोजन से पहले शुद्ध हानि और कर 1109.12 लाख रू. होगा । (जो बतायी गयी हानि के आंकड़ां 465.26 लाख रूपये के विरूद्ध है), वर्तमान देयताएँ (अनुसूची-12) 25093.13 लाख रूपये होंगी (जो बताये गये आंकड़ों 23684.80 लाख रूपये के विरूद्ध है), तथा आरक्षित और अधिशेष (अनुसूची-2) 32202.77 लाख रूपये होंगे (जो बताये गए आंकड़ों 32967.24 लाख रूपये के विरूद्ध है)।

2002(Amended) amounting to Rs.1408.33 lakhs. This has resulted into under statement of losses by Rs. 643.86 lakhs and understatement of Current liabilities (Schedule 12) by Rs. 1408.33 lakhs and overstatement of Reserves and Surplus (Schedule 2) by Rs. 764.47 Lacs (Also refer Note No.1 (iv) to the Schedule 21 to notes to Accounts)

3. Further to above, we report that:-

a) We have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary to the purpose of our audit.

b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of books.

c) The Balance Sheet, Profit & Loss account and Cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts of the Company.

d) In our opinion, the Balance Sheet, Profit & Loss account and the Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub section (3C) of Section 211 of the Companies Act, 1956 except as mentioned in paragraph 2 above

e) The provisions of Section 274(1) (g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Company in view of Notification No.G.S.R. 829(E) dated 21st October 2003, issued by the Ministry of Finance (Department of Company Affairs).

4) We further report that, had the observations made by us in paragraph 2 above been considered, the Net Loss for the year before prior period adjustments and tax would have been Rs.1109.12 lakhs (as against the reported Loss figure of Rs.465.26 lakhs), Current Liabilities (Schedule 12) would have been Rs.25093.13 lakhs (as against the reported figures of Rs.23684. 80 lakhs) and Reserves and Surplus (Schedule 2) would have been Rs. 32202.77 lakhs (as against the reported figures of Rs.32967.24 lakhs.) .

हमारी राय और हमारी जानकारी के अनुसार पैराग्राफ 2 तथा 4 के अधीन हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित लेखा उस पर पठित के साथ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की विवरणी, कंपनीज अधिनियम 1956 की अपेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी देते है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार सही और उपयुक्त चित्र देते हैं ।

i) 31 मार्च, 2011 को निगम के काम-काज की स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में और

ii) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ एवं हानि के खाते के मामले में हानि तथा

iii) इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी के नकदी प्रवाह के मामले में ।

Subject to the paragraph 2 & 4, in our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read with the notes thereon and statement of significant accounting policies give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

i) In the case of the Balance Sheet of the state of affairs of the Company as at 31sl March 2011.

ii) In the case of the Profit & Loss Account of the loss of the Company for the year ended on that date; and

iii) In the case of Cash Flow Statement of the Cash flows for the year ended on that date

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
101872W

हस्ता/-
(कनु चौक्सी)
भागीदार
एम नं. 17085

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
000425N

हस्ता/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 80245

दिनांक : 25 जुलाई, 2011
स्थान : मुंबई

For CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants
Firm Registration No.
101872W

Sd/-
(Kanu Chokshi)
Partner
M. No. 17085

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
000425N

Sd/-
(Prem Behari Gupta)
Partner
M. No. 80245

Date: 25.07.2011
Place: Mumbai

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षकों की समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित .

1. (क) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक विवरण के साथ पूरे ब्यौरे दर्शाने वाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है ।

   (ख) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंध व्यवस्था ने वर्ष के अंत में अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया था । इस प्रकार के सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगति नहीं पायी गयी है ।

   (ग) हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों के किसी उल्लेखनीय भाग का निपटान नहीं किया गया ।

2. (क) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि वर्ष के अंत में स्वतंत्र सत्यापक द्वारा मालसूची का उचित अंतराल पर वास्तविक सत्यापन किया गया है । हमारी राय में, मालसूची की मात्रा को देखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है ।

   (ख) प्रबंधन व्यवस्था द्वारा मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए अपनायी गयी कार्यविधि कंपनी के आकार तथा इसके कार्य-कलाप के स्वरूप के अनुसार उचित तथा पर्याप्त है ।

   (ग) जैसा हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कंपनी मालसूची का उचित रिकार्ड रख रही है । जहां तक मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पायी गयी विसंगतियों का संबंध है, हमें यह जनकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है कि कंपनी के परिचालन से संबंधित कोई विसंगतियाँ नहीं पायी गयी थी और उन्हें बही लेखों में उचित रूप से दर्ज किया गया है ।

3. कंपनी ने कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में निहित के अनुसार कंपनियों, फर्मस् या अन्य पार्टियों

ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT

Refer to in Paragraph 1 of our report of even date for the year ended 31st March, 2011.

1. (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.

   (b) As explained to us, the management has carried out physical verification of fixed assets at the year end. No material discrepancies were noticed on such verification.

   (c) In our opinion and according to the information and explanation given to us, a substantial part of fixed assets has not been disposed off by the Company during the year.

2. (a) As explained to us, the inventories have been physically verified at reasonable intervals by the Independent Stock Verifiers at the year end. In our opinion, having regard to the volume of the inventories, the frequency of verification is reasonable.

   (b) The procedure of physical verification of inventory followed by the management is reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.

   (c) As explained to us and in our opinion the Company is maintaining proper records of inventory. So far as the discrepancies noticed during the course of physical verification of inventories are concerned it has been informed and explained to us that the discrepancies were not material in relation to the operation of the Company and the same have been properly dealt with in the books of accounts.

3. The Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured to/from Companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301

को/से किसी भी प्रकार का रक्षित या अरक्षित ऋण न तो प्रदान किया है और न ही लिया है । तद्नुसार, आदेश का खंड (iii) (क) से (iii) (छ) कंपनी पर लागू नहीं है ।

4. *हमारी राय तथा हमें दी गई जनकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार मालसूची तथा अचल परिसंपत्तियों की खरीद और माल बिक्री के संबंध में आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियों को तथा सेवाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है । आगे, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमें ऐसी कोई बात न तो ध्यान में आयी है और न ही सूचित की गई है, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई बड़ी कमजोरी बताती हौ ।*

5. हमारी राय तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान ऐसा कोई सौदा नहीं हुआ है जिसे कंपनीज अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि की आवश्यकता हो ।

6. कपनी ने अधिनियम की धारा 58ए तथा 58 ए.ए. या अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है ।

7. *हमारी राय में, कंपनी की आंतरिक लेखा पद्धति को और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वह कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय स्वरूप के अनुरूप हो।*

8. हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र सरकार ने कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है ।

9. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड के आधार पर, हमारे राय में, कंपनी भविष्य निधि, ईडीएलआई के बदले में बीमा, आयकर, बिक्री कर, कार्यसंविदा के साथ कर, शुल्क तथा अन्य माल सांविधिक देय राशि ,अविवादित सांविधिक देय राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के पास, जैसा कि लागू हो, सामान्यतः नियमित रूप से जमा कर रही है ।

of the Companies Act, 1956. Accordingly clauses (iii) (a) to (iii) (g) of the Order are not applicable to the Company.

4. *In our opinion and according to the information and explanations given to us, the internal control procedures with regard to the purchase of inventory and fixed assets and sale of goods and services needs to be further strengthened. Further during the course of our audit, we have neither come across nor informed of any major weakness in the internal controls.*

5. In our opinion, and accordingly to the information and explanations given to us, there is no transaction during the year under audit that need to be entered into the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly para (v) (b) of the Order is not applicable to the Company

6. The Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of Sections 58A and 58AA of the Act or any relevant provisions of the Act.

7. *In our opinion, Internal Audit System of the Company needs to be further strengthened to make it commensurate with the size of the Company and nature of its business.*

8. As per information and explanations given to us, the central Government has not prescribed the maintenance of cost records under Section 209 (1) (d) of the Companies Act, 1956.

9. (a) According to the information and explanation given to us and on the basis of the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, Insurance in lieu of EDLI, income tax, sales tax, Work contract tax, cess and other materials statutory dues, as applicable, with the appropriate authorities.

(ख) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर/वैट/ सेवा कर / आयकर/ संरचना कर के मामलों के खाते पर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बकायों को विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हैं :-

b) According to the records of the Company and information and explanation given to us, the following are the particulars of dues on account of Sale Tax/Vat/Service Tax/ Income Tax/Infrastructure Cess matters that have not been deposited on account of dispute:

सांविधिक का नाम **Name of the Statute**	देय राशि का प्रकार **Nature of dues**	जमाराशि जो विवाद के अंतर्गत अभी तक जमा नहीं की गई है **Amount under dispute not yet deposited (Rs. in lakh)**	राशि से संबंधित अवधि (निर्धारण वर्ष) **Period to which the amount relates (Assess-ment Year)**	किस फोरम पर विवाद लंबित है **Forum where dispute is pending.**
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	खरीद कर के अंतर्गत मांग Demand under Purchase Tax	60.29	1996-97	बिक्री कर ट्रिबुनल, विशाखापटनम में अपील Appeal in Sales Tax Tribunal, Visakhapatnam
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	नियम 44,45 के अंतर्गत गलत गणना Wrong calculation U/Rule 44,45	179.59	1994-95	उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, अहमदाबाद के पास अपील Appeal with Dy.Commissioner, Commercial Tax, Ahmedabad
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत मांग Demand under Sales tax	4.06	1980-81. 1981-82 1989-90 & 1992-93	पुनः निर्धारण के लिए अपील दुबारा भटिंडा भेजा गया Appeal remanded back for reassessment, Bhatinda
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	आरंभिक स्टॉक पर निवेश जमा का डिसअॅलाऊंस - Disallowance of input credit on opening stock	53.36	2006-07	राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर के पास अपील Appeal with Rajasthan Tax Board, Ajmer
राज्य और केन्द्र बिक्री कर State & Central Sales Tax	बिक्री कर के अंतर्गत ब्याज की मांग Interest demand under Sales Tax	1.17	2001-02	बिक्री कर अपीलेट ट्रिबुनल विशाखापटनम के पास अपील Appeal with Sales Tax Appellate Tribunal, Vishakapatnam
पंजाब इन्फ्रास्ट्रैक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 Punjab Infrastructure (Developoment & Regulation) Act 2002	पंजाब इन्फ्रास्ट्रैक्चर सेस Punjab Infrastructure Cess	3910.43	2005-06 to 2010-11	सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष छुट्टी याचिका दायर की है . Special Leave Petition filed with Hon'ble Supreme Court.
आयकर अधिनियम Income Tax Act	धारा 143 (3) के अंतर्गत u/s 143(3)	18.36	2008-09	सीआईटी (ए) XXVII मुंबई के पास अपील Appeal with CIT (A) XXVII Mum.
	कुल/Total	**4227.25**		

10. 31 मार्च, 2011 को कंपनी की संचित हानियाँ इसके शुद्ध मालिकियत के 50% से अधिक नहीं है । कंपनी ने 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान नकद हानि प्राप्त की है तथापि, तत्काल पहले के वर्ष यानि 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष में कोई नकद हानि नहीं थी ।

11. हमारे द्वारा कंपनी के जाँच किए गए रिकार्ड और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान या बैंक या डिबेंचर्स को देय राशि के प्रतिसंदय में तुलन-पत्र की तारीख तक कोई चूक नहीं की है ।

12. कंपनी ने शेयर्स, डिबेंचर्स तथा अन्य सिक्यूरिटीज को गिरवी रखकर किसी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं किया है ।

13. कंपनी कोई चिटफंड अथवा निधि म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है । अतः आदेश के खंड (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

14. जैसी सूचना दी गई है, कंपनी डिलर या शेयर्स, सिक्यूरिटीज, डिबेंचर्स तथा अन्य निवेश का व्यापार नहीं करती है । अतः आदेश के खण्ड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है ।

15. हमारे विचार में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है ।

16. हमें दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा लिया गया सावधी ऋण उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया है, जिसके लिए ऋण प्राप्त किया गया था ।

17. हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र रूप से जाँच के बाद हम रिपोर्ट करते हैं कि लघु अवधि के आधार पर लिए गए ऋणों को प्रत्यक्षतः दीर्घावधि निवेश के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है ।

18. कंपनीज अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखी गई पंजियों में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिमानी शेयर्स का आबंटन नहीं किया है ।

19. कंपनी ने कोई डिबेंचर्स जारी नहीं किये हैं । अतः सिक्यूरिटी का सृजन या डिबेंचर्स के संबंध में चार्ज करने का प्रश्न नही उठता है ।

10. As at 31st March 2011, the accumulated losses of the Company are not more than 50% of its net worth. The Company has incurred cash loss during the year ended 31st March 2011. However, there were no cash losses in the immediately preceding year i.e. year ended 31st March 2010.

11. According to the records of the company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has not defaulted in the repayment of dues to any financial institution or banks or debenture holders as at the Balance sheet date.

12. The Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.

13. The Company is not a Chit fund or a Nidhi/Mutual Benefit Fund/Society. Therefore, the provisions of clause (xiii) of the Order are not applicable to the Company.

14. As informed, the Company is not dealing or trading in Shares, securities, Debentures and other investments. Therefore, the provisions of clause (xiv) of the Order are not applicable to the Company.

15. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year.

16. As informed to us, the term loans taken by the Company during the year have been utilized for the purposes for which such loans were obtained.

17. According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the Balance Sheet of the Company, we report that funds raised on short term basis, have prima facie, not been used for long term investment.

18. The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.

19. The Company has not issued any debentures. Therefore, the question of creation of security or charge in respect of debentures does not arise.

20. पब्लीक इश्यू से संबंधित प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है । क्योंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू द्वारा किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की है ।

21. हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा 150.63 लाख रूपये की राशि के स्टॉक का दुरूपयोग किया गया जिसके लिए कंपनी ने संगत प्राधिकारियों के पास एफआयआर दर्ज की है और बीमा कंपनी के पास दावा भी दायर किया है (लेखा का भाग बनानेवाली नोट्स पर अनुसूची 21 का नोट सं. 12 देखें) । इसके अलावा वर्ष के दौरान कंपनी पर या उसके द्वारा कोई धोखेबाजी का मामला नहीं पाया गया और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसा कोई मामला सूचित किया गया ।

20. The provisions relating to Public issue are not applicable to the Company, since the Company has not raised any money by way of public issues during the year.

21. To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanation given to us, fraud in the nature of misappropriation of stock amounting to Rs. 150.63 lakhs by one of the employees of the company has been reported, for which the Company has lodged an FIR with relevant authorities and also a claim has been filed with insurance company (refer note No. 12 of Schedule 21 on Notes to Accounts). Apart from this, we have neither come across any instance of fraud on or by the Company, noticed and reported during the year, nor have we been informed of any other such case by the management.

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
101872W

हस्ता/-
(कनु चौक्सी)
भागीदार
एम नं. 17085

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखापाल
फर्म रजिस्ट्रेशन नं
000425N

हस्ता/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
भागीदार
एम नं. 80245

दिनांक : 25 जुलाई, 2011
स्थान : मुंबई

For CHOKSHI & CHOKSHI
Chartered Accountants
Firm Registration No.
101872W

Sd/-
(Kanu Chokshi)
Partner
M. No. 17085

For PREM GUPTA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No.
000425N

Sd/-
(Prem Behari Gupta)
Partner
M. No. 80245

Date: 25.07.2011
Place: Mumbai

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड के लेखों पर नियंत्रक एवं भारत के महा परीक्षक की टिप्पणियाँ

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित वित्तीय मानदंडों के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लि. की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी की प्रबंधन व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अधीन नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो लेखा परीक्षा के अनुसरण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा और उनकी व्यावसायिक निकाय इंस्टिटयूट ऑफ चार्टेड एकाऊंटेन्टस् ऑफ इंडिया दारा निर्धारित आश्वासन मानदंड पर आधारित है। यह उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 25 जुलाई 2011 द्वारा बताया गया है।

मैंने, नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षा की ओर से 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय कपास निगम लि. की वित्तीय विवरणियों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (बी) के अधीन अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागज़ात के बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रश्नों और कंपनी कार्मिक एवं कुछ लेखा रिकार्ड की चयनात्मक जाँच तक मुख्यतः सीमित है।

लेखा परीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या अनुपूरक पर किसी टिप्पणी को उत्पन्न करता हो।

कृते और नियंत्रक एवं भारत के
महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-
(जॉन के. सेलाटे)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल - IV

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अगस्त, 2011

The preparation of financial statement of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2011 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 July, 2011.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of The Cotton Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2011. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

sd/-
(John K. Sellate)
Principal Director of Commercial Audit &
Ex-Officio Member, Audit Board - IV,

Place: New Delhi
Date : 26 August, 2011

31 मार्च, 2011 का तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2011

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 रूपये Rupees	रूपये Rupees	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees
निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS :					
शेयरधारकों की निधि : SHAREHOLDERS' FUNDS :					
क) शेयर पूँजी A) Share Capital	1	2,500.00		2,500.00	
ख) आरक्षित एवं अधिशेष B) Reserves & Surplus	2	32,967.24	35,467.24	33,063.10	35,563.10
ऋण निधि : LOAN FUNDS :					
क) बैंकों से रक्षित ऋण A) Secured Loans From Banks	3	164,800.00		174,700.00	
ख) अरक्षित ऋण B) Unsecured Loans	4	13,700.00	178,500.00	-	174,700.00
कुल / Total			213,967.24		210.263.10
निधि का विनियोग APPLICATION OF FUNDS :					
अचल परिसंपत्तियॉ : FIXED ASSETS	5				
सकल ब्लॉक Gross Block		7,662.65		7,670.95	
घटाइये : मूल्य ह्रास Less : Depreciation		2,530.22		2,326.73	
शुद्ध ब्लॉक / Net Block			5,132.43		5,344.22
पूँजीगत कार्य प्रगति पर / Capital work in progress			273.81		57.83
निवेश लागत पर (अनुद्धत) INVESTMENTS AT COST (UNQUOTED)	6		0.01		0.01\
आस्थगित परिसंपत्तियाँ (नोट 18) DEFERRED TAX ASSET (Note No.18)	7		1,383.28		1,168.11

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 रूपये Rupees	रूपये Rupees	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अनुसूची 20 और लेखा के भाग के अनुबद्ध नोट्स अनुसूची 21
Significant Accounting Policies Schedule 20 and Notes annexed form part of the accounts Schedule 21

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	(सी.एस. तेवतिया)	(रा.कु. केडिया)	(मनोज बजाज)
(B. K. Mishra)	(C.S. Teotia)	(R.K. Kedia)	(Manoj Bajaj)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2011
स्थान : मुम्बई

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

Date : 25-07-2011
Place : Mumbai

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा
PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2011

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 रूपये Rupees	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 रूपये Rupees	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees
क) आय :					
A) INCOME					
बिक्री तथा सेवाएँ Sales & Services	14		274,322.69		839,324.74
न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन में हानि की प्रतिपूर्ति Reimbursement of Loss in MSP Operations			3,625.40		99,424.00
अन्य आय Other Income	15		540.66		378.74
कुल (ए) / Total (A)			278,488.75		939,127.48
ख) व्यय :					
B) EXPENDITURE :					
बिक्री/खपत सामग्री की लागत Cost Of Goods Sold/Consumed					
1) आरंभिक स्टॉक 1) Opening Stock		93,864.79		838,829.97	
2) खरीद 2) Purchases		312,816.06		132,090.59	
		406,680.85		970,920.56	
घटाइये : अंतिम स्टॉक Less : Closing Stock		157,124.78		93,864.79	
			249,556.07		877,055.77
जिनिंग एवं प्रोसेसिंग Ginning & Processing		9,722.15		11,990.77	
प्रशासन एवं अन्य खर्च Administration & Other Expenses	16	9,864.04		14,591.93	
ब्याज Interest	17	8,684.95		29,881.44	

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 रूपये Rupees	रूपये Rupees	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees
बिक्री, वितरण एवं प्रेषण Selling, Distribution & Forwarding	18	888.79		4,076.19	
मूल्यह्रास Depreciation	5	238.01		232.63	
			29,397.94		60,772.96
कुल (बी) / Total (B)			278,954.01		937,828.73
लाभ- हानि (क - ख) Profit / (Loss) (A - B)			(465.26)		1,298.75
घटाइयेः कराधान के लिए प्रावधान Less: Provision for Taxation					
वर्तमान कर Current Tax		43.67		590.84	
आस्थगित कर देयताएँ (परिस्थितियाँ) Deffered Tax Liability/(Assets)		(215.17)	(171.50)	(171.03)	419.81
वर्ष के लिए कर के पश्चात लाभ/(हानि) (पहले की अवधि की मदों के पूर्व) Profit / (Loss) for the year after tax (before prior period items)			(293.76)		878.94
अवधि के पूर्व समायोजन (शुद्ध) Prior Period Adjustments (Net)	19		197.90		(61.45)
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ / (हानि) (पूर्व अवधि की मदों के पश्चात) Profit / (Loss) For The Year After Tax (After Prior Period Items)			(95.86)		817.49
जोड़े : गत वर्ष से आगे लाया गया बकाया Add : Balance Brought Forward From Previous Year			31,415.52		31,268.97
विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ/(हानि) Profit / (Loss) Available For Appropriations			31,319.66		32,086.46
घटाइये : सामान्य रिजर्व के लिए अंतरण Less : Transferred To General Reserve					87.89
घटाइये : क) प्रस्तावित लाभांश Less : A) Proposed Dividend		0.00		500.00	

(रूपये लाख में)
(Rupees in Lakhs)

	अनुसूची Schedule	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 रूपये Rupees	रूपये Rupees	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees
ख) वितरित लाभांश पर कर B) Tax On Distributed Profits		0.00	0.00	83.05	583.05
तुलन पत्र में आगे लायी गयी शेष राशि Balance Of Profit/(Loss) Carried To Balance Sheet			31,319.66		31,415.52

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अनुसूची 20 और लेखा के भाग के अनुबद्ध नोट्स अनुसूची 21
Significant Accounting Policies Schedule 20 and Notes annexed form part of the accounts Schedule 21

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	(सी.एस. तेवतिया)	(रा.कु. केडिया)	(मनोज बजाज)
(B. K. Mishra)	(C.S. Teotia)	(R.K. Kedia)	(Manoj Bajaj)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)
Chairman-cum-Managing Director	Director (Marketing)	Director (Finance)	Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2011
स्थान : मुम्बई

Date : 25-07-2011
Place : Mumbai

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरणी
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र का अनुलग्नक
Annexure to the Balance Sheet for the year ended 31st March 2011

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2011को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2011 रूपये Rupees	रूपये Rupees	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees
(क) परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह **(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
कर के पूर्व शुद्ध लाभ तथा असाधारण मदें Net profit before taxation and extraordinary items	**(465.26)**		**1298.75**	
समायोजन के लिए :- **Adjustment for : -**				
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्ति Assets write off	2.84		0.11	
संदिग्ध ऋण / अग्रिम (शुद्ध) के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts/advances (Net)	9.01		0.00	
मूल्यह्रास Depreciation	238.01		232.63	
प्राप्त ब्याज Interest received	(350.87)		(137.89)	
प्रदत्त ब्याज Interest paid	8,684.95		29,881.44	
आस्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ) (Profit)/Loss on sale of assets	4.76		2.53	
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ **Operating profit before working capital changes**		**8123.44**		**31277.57**
कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन के लिए समायोजन **Adjustments for Changes in Working Capital**				
मालसूची में कमी / (वृद्धि) Decrease/(Increase) in Inventories	(63259.99)		744965.19	
देनदारों में घटौती / (वृद्धि) Decrease/ (Increase) in Debtors	(15805.05)		3494.68	
ऋण और अग्रिमों में घटौती / (वृद्धि) Decrease/(Increase) in Loans and advances	124846.37		(31751.93)	
प्रावधान Increase/ (Decrease) in Provisions	(7947.93)		(1534.43)	
लेनदारों में वृद्धि /(घटौती) Increase/(Decrease) Creditors	8551.52		(159648.77)	

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2011को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2011 रूपये Rupees	रूपये Rupees	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2010 रूपये Rupees	रूपये Rupees
कार्यकारी पूँजी में शुद्ध परिवर्तन				
Net Changes in working capital		**46384.92**		**555524.74**
परिचालन से (करपूर्व) सृजित नकद				
Cash Generated from Operations (Before Taxes)		**54508.36**		**586802.31**
प्रदत्त कर (शुद्ध वापसी)				
Taxes Paid (Net of Refund)		331.20		2579.68
असाधारण मदों पर पूर्व नकद प्रवाह				
Cash Flow before extraordinary items		**54177.16**		**584222.63**
आयकर वापसी के लिए अतिरिक्त प्रावधान				
Excess Provision for Income Tax written back		-		(22.13)
पूर्व अवधि के समायोजन				
Prior period adjustment		197.89		(39.32)
प्रचलन गतिविधियों से शुद्ध नकद				
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES		54375.05		584161.18
ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद				
Purchase of fixed assets	(255.01)		(244.76)	
परिसंपत्तियों की बिक्री				
Sale of assets	5.16		5.17	
ब्याज से आय				
Interest income	350.87		137.89	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद				
NET CASH FROM INVESTING ACTIVITIES		**101.02**		**(101.16)**
ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी का प्रवाह				
(C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES				
प्रदत्त ब्याज				
Interest Paid	(8684.95)		(29881.44)	
गत वर्ष के लिए प्रदत्त लाभांश				
Dividend paid for Last Year	(500.00)		(1568.81)	
वितरित लाभ पर प्रदत्त कर				
Tax paid on Distributed Profit	(83.05)		0.00	
लिया गया ऋण				
Loan Borrowed				
अल्पावधि ऋण (सुरक्षित)				
Short term loan (Secured)	(9900.00)		(581542.84)	
अल्पावधि ऋण (अरक्षित)				
Short term loan (unsecured)	13700.00	(5468.00)	-	(612993.09)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकद				
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES		**(5468.00)**		**(612993.09)**

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

	31 मार्च, 2011को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2011		31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended 31st March 2010	
	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees	रूपये Rupees
नकदी तथा नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि /(घटौती)(क+ख+ग) NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		49008.07		(28933.07)
नकदी तथा नकदी समतुल्य Cash and cash equivalents				
वर्ष के प्रारंभ में At the Beginning of the year		1552.37		30485.44
वर्ष के अंत में At the End of the year		**50560.44**		**1552.37**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अनुसूची 20 और लेखा के भाग के अनुबद्ध नोट्स अनुसूची 21
Significant Accounting Policies Schedule 20 and Notes annexed form part of the accounts Schedule 21

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/- (बी. के. मिश्र) (B. K. Mishra) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director	Sd/- (सी.एस. तेवतिया) (C.S. Teotia) निदेशक (विपणन) Director (Marketing)	Sd/- (रा.कु. केडिया) (R.K. Kedia) निदेशक (वित्त) Director (Finance)	Sd/- (मनोज बजाज) (Manoj Bajaj) कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त) Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2011
स्थान : मुम्बई

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

Date : 25-07-2011
Place : Mumbai

31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र का भाग बनानेवाली अनुसूची
SCHEDULES FOR THE BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 1 **SCHEDULE : 1**		
शेयर पूँजी **SHARE CAPITAL**		
प्राधिकृत : **AUTHORISED :**		
प्रत्येक 100 रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स (पिछले वर्ष 100 रू. के 75,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/-Each (Previous Year 75,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each)	7500.00	7500.00
निर्गमित अभिदत्त और प्रदत्त : **ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP:**		
प्रत्येक 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स पूर्णतः प्रदत्त (पिछले वर्ष 100 रू. के 25,00,000 ईक्विटी शेयर्स) 25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each Fully Paid Up (Previous Year 25,00,000 Equity Shares of Rs.100/- Each)	2500.00	2500.00
	2500.00	**2500.00**
अनुसूची : 2 **SCHEDULE : 2**		
आरक्षित और अधिशेष **Reserves And Surplus**		
i) सामान्य आरक्षित		
i) General Reserve	1,647.58	1,559.69
जोड़े : वर्ष के दौरान Add: During the Year	0.00	87.89
ii) लाभ एवं हानि खाते का शेष जो गत वर्ष से आगे लाया गया		
ii) Balance carried forward from Profit & Loss account.	31,319.66	31,415.52
	32,967.24	**33,063.52**
अनुसूची : 3 **SCHEDULE : 3**		
रक्षित ऋण **SECURED LOANS**		
नकद उधार / अल्पावधि ऋण Cash Credit / Short Term Loans	164,800.00	174,700.00
(अनुसूचित बैंको (संकाय) से विक्रेय स्टॉक की प्रतिभूति (जमानत) के सामने, बुक ऋण, दावे तथा प्राप्य) (From Schedule Banks (Consortium) Against Securities of Stocks-In-Trade, Book Debts,Claims And Receivables)		
	164,800.00	**174,700.00**

अनुसूची 5 : अचल परिसंपत्तियाँ / SCHEDULE 5 : FIXED ASSETS

(रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

क्र. सं Sl. No.	ब्योरे Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block						मूल्य ह्रास / Depreciation					शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		दिनांक 1.4.2010 As on 1.4.2010	वर्ष के दौरान वृद्धियाँ Additions During The Year		वर्ष के दौरान घटौतियाँ Deductions During The Year		दिनांक 31.3.2011 As on 31.3.2011	दिनांक 1.4.2010 Upto 1.4.2010	रिटर्न बैंक Written Back	वर्ष के दौरान समायोजन/ स्थानांतरण On Adjustment / Transfer During The Year	वर्ष के लिए For The Year	दिनांक 31.3.2011 तक Upto 31.3.2011	दिनांक 31.3.2011 As on 31.3.2011	दिनांक 31.3.2010 As on 31.3.2010
			खरीद Purchase	स्थानांतरित Transfer	बिक्री Sale	स्थानांतरित Transfer								
I	भूखण्ड: / Land:													
	(क) पट्टे पर													
	A) Lease Hold	316.46	-	-	-	-	316.46	82.44	-	-	3.20	85.64	230.82	234.02
	(ख) पूर्ण स्वामित्व													
	B) Free Hold	126.38	-	-	-	-	126.38	-	-	-	-	-	126.38	126.38
II	भवन													
	Building#	4,791.22	-	-	-	-	4,791.22	890.50	-	-	76.72	967.22	3,824.00	3,900.72
III	रेलवे साईडिंग													
	Railway Siding	380.44	-	-	-	-	380.44	222.54	-	-	18.07	240.61	139.83	157.90
IV	प्रयोगशाला उपकरण													
	Lab Equipments	91.89	-	-	-	-	91.89	30.57	-	0.04	4.07	34.68	57.21	61.32
V	कंप्यूटर उपकरण													
	Computer Equipments	274.73	4.66	-	2.99	0.80	275.60	159.71	3.54	-	29.01	185.18	90.42	115.02
VI	कार्यालय उपकरण													
	Office Equipments	238.38	14.08	-	14.76	1.19	236.51	121.59	8.48	-	10.31	123.42	113.09	116.79
VII	एअर कंडीशन संयंत्र													
	Air Conditioning Plant	276.55	-	1.19	-	-	277.74	153.99	-	0.54	13.19	167.72	110.02	122.56
VIII	विद्युत संस्थापन-लिफ्ट एवं इलेवेटर्स													
	Electrical Instal Lifts & Elevators	416.70	-	-	-	-	416.70	215.67	-	-	19.75	235.42	181.28	201.03
IX	फर्नीचर एवं फिक्सचर्स													
	Furniture & Fixtures	562.04	16.76	-	13.42	-	565.38	375.36	13.01	-	42.03	404.38	161.00	186.68
X	वाहन													
	Vehicles	163.80	3.34	-	16.09	-	151.05	50.23	10.80	-	15.10	54.53	96.52	113.57
XI	अमूर्त आस्तियां (कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर)													
	Intangible Assets (Computer Software)	32.36	0.19	0.80	0.07	-	33.28	24.13	-	0.73	6.56	31.42	1.86	8.23
	कुल / Total	**7,670.95**	**39.03**	**1.99**	**47.33**	**1.99**	**7,662.65**	**2,326.73**	**35.83**	**1.31**	**238.01**	**2,530.22**	**5,132.43**	**5,344.22**
II a	संपत्ति कार्य जारी है CAPITAL WORK IN PROGRESS	57.83	187.87	-	-	-	245.69	-	-	-	-	-	245.69	57.83
XII	विकास के अंतर्गत अमूर्त अस्तियाँ INTANGIBLE ASSETS UNDER DEVELOPMENT	-	28.12	-	-	-	28.12	-	-	-	-	-	28.12	-
	कुल / Total	**57.83**	**215.99**	**-**	**-**	**-**	**273.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**273.81**	**57.83**
	गत वर्ष / Previous Year	7,518.81	191.65	9.39	39.51	9.39	7,670.95	2,125.25	31.15	-	232.63	2,326.73	5,344.22	

नोट : 1) बिल्डिंग/लागत में (कफ-कॅसल को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटी लि.में क्रमशः प्रत्येक 50/- रूपये के 10 शेयर्स तथा विकास वैभव हाऊसिंग सोसायटी लि.में 50/- रूपये के 5 शेयर्स) 500/- रूपये तथा 250/- रूपये के अंकित मूल्य के शेयर्स शामिल है ।

Note : 1) Cost of Buildings includes Shares of the Face Value of Rs. 500/- & Rs. 250/- (10 shares of Rs. 50/- each in Cuffe Castle Co-op housing society Ltd., 5 shares of Rs. 50/- each in Vikas Vaibhav Co-op. Housing Society Ltd. respectively)

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 4 **SCHEDULE : 4**		
अरक्षित ऋण **SECURED LOANS**		
अरक्षित ऋण अनुसूचित (गैर-असंकाय) बैंकों से संकाय बैंकों से अरक्षित ऋण Unsecured Loans From Schedule Banks (Non-Consortium) Unsecured Loans From Consortium Banks	13700.00	0.00
प्रोद्भूत तथा देय ब्याज Interest Accrued And Due	0.00	0.00
	13700.00	**0.00**
अनुसूची : 6 **SCHEDULE : 6**		
निवेश लागत पर (अनुद्धृत) **INVESTMENTS AT COST (UNQUOTED)**	**5.00**	**5.00**
व्यापार - दीर्घावधि Trade - Long Term		
राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग तथा जिनिंग मिल्स फेडरेशन के प्रत्येक 1000/- रूपये के 500 इक्विटी शेयर्स 500 Equity Shares Of Rs. 1000/- Each Of Rajasthan State Co-Op. Spg. & Ginning Mills Federation Ltd.		
घटाइयेः- निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान Less:Provision For Diminution In Value Of Investment	4.99	4.99
	0.01	**0.01**
अनुसूची : 7 **SCHEDULE : 7**		
स्थगित कर **DEFERRED TAX**		
(क) स्थगित कर देयताएँ A) Deferred Tax Liability		
अचल परिसंपति के संबंध में मूल्यह्रास के खाते में Related To Fixed Assets On Account Of Depreciation	828.70	937.56
स्थगित कर देयताएँ **Deferred Tax Liability**	**828.70**	**937.56**

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
(ख) स्थगित परिसंपत्ति कर B) Deferred Tax Assets		
I) आयकर अधिनियम के अंतर्गत नामंजूर I) Disallowance Under The Income Tax Act	2108.19	2000.00
II) संदिग्ध ऋण तथा अग्रिमों के लिए प्रावधान II) Provision For Doubtful Debts And Advances	102.17	103.97
III) निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान III) Provision For Diminution in Value of Investment	1.62	1.70
स्थगित संपत्ति कर **Deferred Tax Assets**	2211.98	2105.67
शुध्द स्थगित परिसंपत्ति कर (देयताएँ) **Net Defered Tax Assets/ (Liability) कुल रू. Total Rs.**	**1383.28**	**1168.11**

अनुसूची : 8
SCHEDULE : 8

माल सूची
INVENTORIES

(प्रबंधन द्वारा सत्यापित, मूल्यांकित और प्रमाणित)
(As Verified, Valued And Certified By Management)

रूई सहित गांठें Bales Including Lint	151889.54	87324.72
येलो पिंकिंग तथा नमूना गांठें Yellow Picking & Sample Bales	271.53	199.38
बिनौले Seeds	999.48	2172.71
कच्चा माल - कपास Raw Material - Kapas	3319.82	2668.54
हैसियन क्लॉथ Hessian Cloth	385.36	756.69
तिरपाल Taurpulines	245.30	716.29
लोहे की पट्टी Iron Hoops	13.75	26.46
कुल / Total	**157124.78**	**93864.79**

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 9 **SCHEDULE : 9**		
विविध देनदार **SUNDRY DEBTORS**		
6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण Debts Outstanding For A Period Exceeding Six Months		
अरक्षित - शोध्य माने गए Unsecured-Considered Good	24.90	56.72
संदिग्ध माने गए Considered Doubtful	308.98	299.97
घटाइये : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान Less : Provision For Doubtful Debts.	(308.98)	(299.97)
	0.00	0.00
कुल / Total	24.90	56.72
अन्य ऋण **Other Debts**		
अरक्षित - शोध्य माने गए Unsecured - Considered Good.	18888.85	3051.98
कुल / Total	18888.85	3051.98
सकल योग / Grand Total	**18913.75**	**3108.70**
अनुसूची : 10 **SCHEDULE : 10**		
नकद और बैंक में शेष **CASH AND BANK BALANCES**		
हाथ में रोकड़ Cash in Hand	0.33	0.37
अनुसूचित बैंक में शेष : Balance With Scheduled Banks		
चालू खाते में / नकदी उधार खाते में In Current Account / Cash Credit Account	12434.89	1350.84
सावधिक जमा In Fixed Deposit	38000.22	0.22
हाथ में चैकस Cheques in Hand	125.00	200.94
कुल / Total	**50560.44**	**1552.37**

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

अनुसूची : 11
SCHEDULE : 11

ऋण और अग्रिम
LOANS AND ADVANCES :

क)	नकद रूपये में या वस्तु में प्राप्त होने वाले या मूल्य के वसूली योग्य		
A.	Recoverable in Cash or in Kind for Value to be received		
ख.	अग्रिम : (कर्मचारियों के अग्रिमों सहित)		
B.	Advances :(Including Advances To Employees)		
	क) रक्षित - शोध्य माने गए		
	a) Secured - Considered Good	520.42	516.73
	ख) अरक्षित - शोध्य माने गए		
	b) Unsecured - Considered Good	0.00	0.00
	i) भारत सरकार से एमएसपी पर प्राप्तियोग्य हानि		
	i) Loss On MSP Receivable from Govt. of India	2150.25	120224.85
	ii) अग्रिम खरीद कर		
	ii) Advance Purchase Tax	1910.58	1319.02
	iii) अन्य		
	iii) Others	2421.25	1724.42
	iv) पोर्ट ट्रस्ट ॲथारिटी के साथ शेष		
	iv) Balance With Port Trust Authorities	2.15	2.15
	v) अन्य के साथ जमा राशियाँ		
	v) Deposits With Others	58.42	69.11
	vi) अग्रिम कर (टीडीएस)		
	vi) Advance Tax (T.D.S.)	393.73	8348.78
	vii) आय कर वापसी पर प्राप्य ब्याज		
	vii) Income Tax Refund Receivable and Interest	240.23	7.14
	VIII) वॅट क्रेडिट प्राप्य (विशिष्ट)		
	VIII) Vat Credit Receivable (Input)	2.52	2.52
	ग) संदिग्ध माने गए		
	c) Considered Doubtful	5.93	5.93
घटाइये : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			
Less : Provision For Doubtful Advances		-5.93	-5.93
		7699.55	**132214.72**

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 12 **SCHEDULE : 12**		
वर्तमान देयताएँ **Current Liabilities :**		
विविध लेनदार (मायक्रो,उद्यम तथा छोटे उद्यम) Sundry Creditors (Macro, Medium & Small Enterprise)	894.77	846.77
विविध लेनदार (अन्य) (लेखा के लिए नोट के नोट 8(i) देखें) Sundry Creditors (Others) (Refer Note 8(i) Of Notes To The Accounts)	2874.10	2364.44
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम Advances Received From Customers	14232.16	7656.47
अन्य देयताएँ (लेखा के लिए नोट के नोट 8(ii) देखें) Other Liabilities (Refer Note 8(ii) Of Notes To The Accounts)	5683.77	4265.60
कुल / Total	**23684.80**	**15133.28**
अनुसूची : 13 **SCHEDULE : 13**		
प्रावधान **Provisions :**		
आय कर तथा संपत्ति कर के लिए Income Tax And Wealth Tax	166.80	8256.94
अंशदायी भविष्य के लिए For Contributory Provident Fund	172.50	65.58
पेंशन तथा अन्य कर्मचारी लाभों के लिए For Pension And Other Staff Benefits	403.02	357.61
उपदान के लिए For Gratuity	357.50	380.57
छुट्टी नकदीकरण के लिए For Leave Encashment	2306.76	2142.88
अनुषंगी लाभ के लिए For Fringe Benefit Tax	29.43	127.67
प्रस्तावित लाभांश के लिए For Proposed Dividend	0.00	500.00
प्रस्तावित लाभांश पर कर Tax On Proposed Dividend	0.00	83.05
वेतन संशोधन (7वें चार्टर) Pay Revision(7th Charter)	0.00	0.07
कुल / Total	**3436.01**	**11914.37**

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा अनुसूची
SCHEDULES FOR THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 14 **SCHEDULE : 14** **बिक्री एवं सेवाएँ** **SALES & SERVICES**		
क) बिक्री A) Sales	269454.20	827405.68
घटाइये : गुणवत्ता दावें Less : Quality Claim	(1.63)	(2.44)
Total	**269452.57**	**827403.24**
ख) रखरखाव प्रभार, संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति, कमीशन, निकासी एवं प्रेषण प्रभार, बीमा दावे, दामी आदि B) Carrying Charges,Compensation For Cancellation of Contracts,Commission,C&F Charges,Insu.Claims,Dami	4027.32	10259.44
ग) किराया वसूली (टीडीएस 105.53 लाख रू. गतवर्ष 178.09 लाख रू.) C) Rent RecoveryT.D.S. Rs. 105.53 Lacs P.Y. Rs.178.09 Lac)	842.80	783.91
घ) शुल्क वापसी (निर्यात)/ निर्यात प्रोत्साहन D) Duty Drawback (Export) / Export Incentive	0.00	878.15
	274322.69	**839324.74**
अनुसूची : 15 **SCHEDULE : 15** **अन्य आय** **OTHER INCOME**		
क) ब्याज - अल्पावधि जमा A) Interest- Short Term Deposits	10.48	0.23
ख) ब्याज - कर्मचारियों को ऋण B) Interest - Loans to Employees	31.35	23.94
ग) ब्याज - ग्राहकों से प्राप्त C) Interest - Recd.from Customer	135.53	0.00
घ) ब्याज - अन्य D) Interest - Others	173.51	113.72
ङ) विविध शेष का प्रतिलेखन E) Sundry Balances Written Back	24.68	4.36
छ) विदेशी मुद्रा से लाभ (शुद्ध) F) Foreign Exchange Gain (Net)	22.30	5.25
ज) अन्य विविध आय G) Other Miscellaneous Income	39.40	178.51
झ) प्रावधान की आवश्यकता नहीं H) Provision No Longer Required	97.19	52.73
ट) अशोध्य ऋण की वसूली I) Bad Debts Recovered	6.22	0.00
	540.66	**378.74**

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

अनुसूची : 16
SCHEDULE : 16

प्रशासन एवं अन्य खर्च
ADMINISTRATION & OTHER EXPENSES

I) **स्थापना**
I) **ESTABLISHMENT**

क)	वेतन और भत्ते		
A)	Salaries & Allowances	4,594.64	4,381.04
ख)	बोनस/पीएलआय/कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन		
B)	Bonus/PLI/Performance Incentive	7.88	264.86
ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय		
C)	Staff Welfare Expenses	228.91	204.65
घ)	छुट्टी का नकदीकरण		
D)	Encashment of Leave	572.28	509.19
ङ)	अंशदायी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में अंशदान		
E)	Contribution to Provident Fund & Pension Fund	652.11	604.95
च)	उपदान निधि में अंशदान		
F)	Contribution to Gratuity Fund	356.89	387.91
छ)	अधिवर्षिता निधि में अंशदान		
G)	Contribution to Super Annuation Fund	379.00	325.00
ज)	औ.मं.भ.अधिकारियों के वेतन संशोधन बकाया राशि		
H)	Arrears of Pay Revision - IDA Officers	0.94	19.25
ट)	VIIवें चार्टर ऑफ डिमांड की बकाया राशि		
J)	Arrears of VII Charter of Demands	0.00	4.76
ठ)	वेतन बकाया (कर्मचारी)		
K)	Pay Arrears (Staff)	1.79	0.00
ड)	यात्रा तथा वाहन बकाया राशि		
L)	Conveyance & Vehicle Arrears	0.00	0.33
		6,794.44	**6,701.94**

		दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
II)	**प्रशासन / Administration**		
क) A)	कार्यालय किराया Rent Office	91.65	48.07
ख) B)	यात्रा व्यय Travelling Expenses		
	(i) निदेशक/Directors	17.30	16.76
	(ii) अन्य/Others	102.48	144.83
ग) C)	दर और कर Rates & Taxes	37.57	33.07
घ) D)	विधि और व्यावसायिक शुल्क Legal & Professional Fees	66.29	40.56
ङ) E)	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fees	14.49	12.91
च) F)	मरम्मत एवं अनुरक्षण (बिल्डिंग) Repairs & Maintenance (Building)	48.77	121.22
छ) G)	मरम्मत एवं अनुरक्षण (अन्य) Repairs & Maintenace (Others)	11.35	89.51
ज) H)	विज्ञापन Advertisement	40.05	68.16
झ) I)	आस्तियों (शुद्ध) की बिक्री पर हानि Loss on Sale of Asset	4.76	2.53
ट) J)	विद्युत पानी प्रभार/जनरेटर प्रभार Electricity Water Charges/Generator Charges	66.41	97.34
ठ) L)	विविध व्यय Miscellaneous Expenses	277.91	385.74
		779.03	**1060.74**
III)	**अन्य व्यय / Other Expenses**		
क) A)	गोदाम किराया Godown Rent	1,088.01	4,924.72
ख) B)	बीमा Insurance	1,168.00	1,852.97
ग) C)	बैंक प्रभार Bank Charges	21.15	38.02
घ) D)	कपास उपज के सुधार पर व्यय Expenses on Improvement of Cotton Yield	13.41	13.54
		2,290.57	6,829.25
	कुल I + II + III / Total I+II+III	**9,864.04**	**14,591.93**

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)

अनुसूची : 17
SCHEDULE : 17

ब्याज
INTEREST

क) बैंक ऋणों पर A) On Bank Loans	8,672.92	28,967.35
ख) अन्य B) Others	12.03	914.09
	8,684.95	**29,881.44**

अनुसूची : 18
SCHEDULE : 18

बिक्री, वितरण तथा प्रेषण
SELLING , DISTRIBUTION & FORWARDING

क) बिक्री, वितरण व्यय (लेखा के नोट के मद सं.14 की अनुसूची-21 देखें) A) Selling,Distribution Expenses (Point No. 14 of Schedule 21 - Notes to the Accounts)	757.09	3,841.91
ख) दलाली / कमीशन B) Brokerage / Commission	89.77	152.27
ग) निकासी एवं प्रेषण प्रभार C) Clearing and Forwarding Charges	30.08	75.62
घ) बिक्री कर D) Sales Tax	0.00	0.59
च) संदिग्ध ऋण /अग्रिमों के लिए E) Provision For Doubtful Debts/ Advances	9.01	0.00
बट्टे खाते में डाली गई राशि F) Amounts Written Off For		
क) अशोध्य ऋण i) Bad Debts	0.00	5.69
ख) बट्टे खाते में डाली गयी आस्तियाँ ii) Asset Written Off	2.84	0.11
	888.79	**4,076.19**

	दि 31.3.2011 को As on 31.03.2011 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)	दि.31.3.2010 को As on 31.03.2010 (रूपये लाख में) / (Rupees in Lakhs)
अनुसूची : 19 **SCHEDULE : 19** **पूर्व अवधि के समायोजन (शुद्ध)** **PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS (NET)**		
आय **INCOME**		
क) बिक्री A) Sales	0.00	9.26
ख) रखरखाव प्रभार, निकासी एवं प्रेषण प्रभार, वसूली, संविदा रद्द करने के लिए क्षतिपूर्ति, कमीशन, बैंक प्रभार, बीमा आदि B) Carrying Charges,C&F Charges Recovery, Compensation for Cancellation of Conts, Commission,Bank Charges,Insurance Etc.	13.40	(1.15)
ग) ब्याज C) Interest	0.00	(1.42)
घ) विविध आय D) Miscellaneous Income	141.86	52.86
च) बट्टे खाते में डाले गये कर के लिए अतिरिक्त प्रावधान E) Excess Provision For Taxation Written Back	71.03	(22.13)
	226.29	**37.42**
व्यय : **EXPENDITURE**		
क) खरीद A) Purchases	0.00	1.45
ख) जिनिंग एवं प्रोसेसिंग प्रभार B) Ginning And Processing Charges	(2.46)	31.02
ग) ब्याज C) Interest	0.22	0.00
घ) बिक्री तथा वितरण D) Selling & Distribution	0.92	8.65
ङ) प्रशासन एवं अन्य व्यय E) Administartion & Other Expenses	29.26	42.65
च) निर्यात बिक्री पर कमीशन F) Commision On Export Sale	0.00	0.66
छ) मूल्यह्रास G) Depreciation	0.00	0.02
ज) पी.एल.आय. तथा बोनस H) PLI & Bonus	0.40	0.00
झ) विविध व्यय I) Miscellaneous Expenses	0.05	14.42
	28.39	**98.87**
आय / (व्यय) (शुद्ध) **INCOME/EXPENDITURE (NET)**	**197.90**	**(61.45)**

अनुसूची 20: 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

Schedule 20: Significant Accounting Policies for the Year ended 31st March, 2011

1. लेखा पद्धति :

क. कंपनी ने वाणिज्यिक लेखा पद्धति का पालन किया है तथा आय एवं व्यय को प्रोदभूत के आधार पर मान्यता दी है ।

i) निर्यात और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय के संबंध में विदेशी मुद्रा, चुंगी वापसी में व्यय.

ii) संस्थागत खरीददार से बकाया ऋण के बारे में ब्याज से आय, जो लम्बे समय से वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं और उनकी बकाया राशि निगम को राशि देने में नियमित नहीं है.

iii) विवादित कर देयताएँ ,

iv) चूककर्ता खरीददारों को प्रारंभ में बेची गई मात्रा की पुनः बिक्री से हुई हानि के लिए दायर किए गए दावे और उन पर ब्याज,

v) पार्टियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्याज से आय, जो अतिशोध्य बने गए हैं,

vi) बीमा दावे, जिनकी बीमा द्वारा संबंधित हानि वाऊचर जारी करने पर गणना की गयी है.

ख) वित्तीय विवरणियाँ, ऐतिहासिक लागत पर आधृत है तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों का तथा इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टड एकाऊँटैंट्स ऑफ इंडिया / भारत के सनदी लेखा परीक्षा संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का पालन किया गया है ।

2. राजस्व मान्यता :

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंटस ऑफ इडिया द्वारा जारी लेखा मानक एएस-9 "राजस्व मान्यता" के प्रावधानों की पुष्टि में तथा यथोचित रूप से विचार करके कंपनी ने निम्नलिखित दावों के बारे में अंततोगत्वा उनके संग्रह की अनिश्चितता को देखते हुए राजस्व मान्यता आस्थगित रखी है :-

i) ऐसे संस्थागत खरीददारों से बकाया राशि पर ब्याज की आय के बारे में, जो लंबे समय से

1. System of Accounting:

a. The Company follows the mercantile system of accounting and recognises income and expenditure on accrual basis except

i) Expenditure in foreign currencies, Octroi refund in respect of export and income on sale of import licences;

ii) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company;

iii) Disputed tax liabilities;

iv) Claims lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them;

v) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties which have become overdue;

vi) Insurance claims which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers;

b. The Financial statements are based on historical costs and comply with the accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the provisions of the Companies Act, 1956.

2. Revenue Recognition:

In conformity with the provision of Accounting Standard AS-9 "Revenue recognition" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and on prudent considerations, the Company defers revenue recognition, owing to significant uncertainty about its ultimate collection, in respect of :-

i) Income towards interest in regard to debts outstanding from institutional buyers, who

वित्तीय कठिनाईयाँ झेल रहे है और कंपनी को राशि देने में नियमित नहीं है, और

ii) आरंभ में उन्हें विक्री की गई गाँठों को पुनः बेचने में हुई हानि के लिए चूककर्ता खरीददारों पर दावे और उन पर ब्याज ।

iii) पार्टीज को दिए गए ऋण और अग्रिम के बारे में ब्याज के लिए आय, जो अतिशोध्य हो गयी है ।

iv) निर्यात के बारे में चुंगी वापसी दावों और आयात लाइसेंस की बिक्री पर आय की गणना प्राप्ति के आधार पर की गई है, क्योंकि ऐसे दावे दायर करते समय प्राप्ति योग्य राशियों के निर्धारण में अत्यधिक अनिश्चिता होती है ।

v) बीमा दावों की गणना बीमाकर्ता द्वारा हानि से संबंधित वाउचरों के जारी होने पर की जाती है ।

vi) बकाया देयताएँ, जिनमें या तो कोई दावा नहीं है या वर्तमान वर्ष की अवधि के बाद बट्टे खाते में डालने के लिए कोई विधिक मामला लंबित नहीं है ।

3. विक्रय :

क) रूई, पूर्ण बंधित गाँठें और कपास बिनौलों कंपनी द्वारा जारी किए गए सुपुर्दगी आदेश के समय मान्य किए गए हैं, बशर्ते कि निगम द्वारा जारी किए ऐसे सुपुर्दगी आदेश के अंतर्गत शामिल मात्रा का वजन लेखा वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व किया गया हो । यद्यपि गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत बिक्री बुक की गई है, परन्तु गाँठों की वास्तविक सुपुर्दगी पूरी नहीं हुई है ।

ख) निर्यात बिक्री की गणना संबंधित लदान बिल्स की तारीख के आधार पर की जाती है ।

ग) ब्याज और रखरखाव प्रभार की ओर जमा, जहाँ कहीं लागू है, उसे लिया गया है, जो वर्ष के दौरान विक्रीत एवं उठाई गई गाँठों से संबंधित है ।

4. अचल परिसंपत्तियाँ और मूलह्रास

क) अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख अभिग्रहण की लागत में से संचित मूल्यह्रास घटाकर किया गया है ।

are facing prolonged financial difficulties and are not regular in clearing their dues to the Company; and

ii) Claims lodged and interest thereon on the defaulting buyers for losses arising out of resale of quantities initially sold to them; and

iii) Income towards interest in regard to Loans and Advances given to the parties, which have become overdue.

iv) Octroi refund claims in respect of exports and income on sale of Import Licences, which are accounted for on receipt basis in view of high degree of uncertainty involved in determining the amount receivable at the time of lodging such claims.

v) Insurance claims, which are accounted for on the issuance of relevant loss vouchers by the insurers.

vi) Outstanding Liabilities, wherein, either there is no claim or no legal case is pending to be written back after period of three years.

3. Sales:

a) Sales of lint, fully pressed bales of cotton and cotton seeds are recognised at the time of issuance of delivery orders by the Company provided weighment has taken place on or before the close of the accounting year. Sales under godown storage facility are booked though the physical delivery of bales has not been completed.

b) Export sales are accounted on the basis of date of relevant bills of lading.

c) Credit towards interest and carrying charges wherever applicable, has been taken in respect of sales booked and bales lifted during the year.

4. Fixed Assets and Depreciation:

a) Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation.

ख) अचल परिसंपत्तियों में भूमि को छोड़कर कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसूची XIV के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दर पर सीधी लाईन प्रणाली पर मूल्यह्रास किया गया है । वैयक्तिक कम लागत की आस्तियों (5000 रू. से कम के लिए प्राप्त) के लिए प्राप्ति के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रास किया गया है ।

ग) लीजहोल्ड लैंड का परिशोधन लीज अवधि पर लिया जा रहा है ।

घ) कार्य में प्रगति की रिपोर्ट वर्ष के अंत में प्राप्त सीपीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र के आधार पर की गई है ।

5. अमूर्त परिसंपत्तियाँ और परिशोधनः

अमूर्त परिसंपत्तियाँ(कंप्यूटर सॉफ्टवेयर) 3 वर्ष की अवधि से परिशोधित की जा रही है ।

6. नकद प्रवाह विवरणी:

नकद प्रवाह विवरणी अप्रत्यक्ष प्रणाली के अधीन तैयार की गयी है ।

7. तुलन पत्र तारीख के बाद उत्पन्न आकस्मिकताएँ और घटनाएँ :

'तुलन पत्र तारीख के और जिस तारीख को वित्तीय विवरणियाँ अनुमोदित हुई, जो वर्तमान तुलन पत्र तारीख की स्थितियों से संबंधित राशि के निर्धारण को प्रभावित करनेवाली अतिरिक्त जानकारी देती हैं, के बीच होने वाली घटनाओं के लिए संपत्तियों और देयताओं का समायोजन किया गया है ।

8. अवधि से पहले की मदें :

अवधि से पहले की मदें आय और व्यय है, जो वर्तमान अवधि में एक या उससे अधिक पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी में चूक और गलतियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है । पूर्व अवधि में परिस्थितियों द्वारा निर्धारित अन्य समायोजन शामिल नहीं है, जो पूर्व अवधि से संबंधित होते हुए भी वर्तमान अवधि में निर्धारित किये गये है ।

9. निवेश :

दीर्घावधि निवेश को लागत पर दर्शाया गया है । निवेश मूल्य में, अस्थायी को छोड़कर,कमी के लिए प्रावधान किया गया है ।

b) Fixed Assets other than land and intangible assets (computer software) are being depreciated on straight line method at the rates and in the manner specified in Schedule XIV of the Companies Act, 1956. Individual low cost Assets (acquired for less than Rs. 5000) are entirely depreciated in the year of acquisition.

c) Leasehold land is being amortised over the period of lease.

d) Work in Progress is stated on the basis of CPWD certificate received at year end.

5. Intangible Assets and Amortisation:

Intangible Assets (Computer Software) are being amortised over a period of three years

6. Cash Flow Statement:

The cash flow statement is prepared under indirect method.

7. Contingencies and events occurring after the balance sheet date:

Adjustment to Assets and Liabilities are made for events occurring between balance sheet date and the date on which the financial statements are approved that provide additional information materially affecting the determination of the amounts relating to the conditions existing at the balance sheet date.

8. Prior period items:

Prior period items are income and expenses that arises in the current period as a result of errors and omissions in the preparation of the financial statements of the one and more prior periods. Prior period does not include other adjustments necessitated by circumstances, which though related to prior periods, are determined in the current period.

9. Investments:

Long term Investments are stated at cost. Provision is made for diminution, other than temporary, in the value of investments.

10. मालसूची :

क) पूर्ण-बंधित गॉठें/रूई का मूल्यांकन :

i] वाणिज्यिक खरीद के संबंध में औसत मूल्य पर या बाजार वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, बिक्री के लिए संविदागत नहीं है ।

ii] समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत बिक्री के लिए संविदा न की गई गांठों के संदर्भ में औसत लागत पर, यदि कोई हानि होती है तो भारत सरकार से प्रतिपूर्ति योग्य है ।

iii] देशी बाजार में बिक्री के लिए (जब कभी खरीददार द्वारा अनुमोदि हों तथा जिनके लिए संविदा की गई हो) औसतन लागत या संविदा-गत दर, जो भी कम हो ।

iv] निर्यात के लिए मात्रा के मामले में (जहाँ कहीं संविदा की गयी हो) संविदागत और ढुलाई आदि द्वारा घटाये गयी औसत लागत या संविदागत मूल्य, जो भी कम हो ।

ख) बिक्री के लिए संविदागत बिनौलों के स्टॉक को संविदागत दरों पर तथा अन्य बिनौलों के स्टॉक मूल्यांकन वर्ष के अंत में बाजार/वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है, क्योंकि बिनौलों का मूल्य अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है ।

ग) कच्चा माल यानि कपास का मूल्यांकन गुणवत्तावार,केन्द्रवार और कपास वर्षवार औसत मूल्य पर किया जाता है । तथापि जब कभी कच्चा माल यानि कपास में गिरावट आती है और यह अनुमान लगाया जाता है कि पूर्ण बंधित गॉठों का मूल्य कच्चे माल यानि कपास के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जायेगा, तो कपास शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम लिखी जाती है ।

घ) यैलो पिकिंग तथा नमूना गाँठों का मूल्यांकन अंत में उगाहे जाने वाले मूल्य पर किया गया ह

ड) जारी न किये गये हैसियन/ग्रे क्लॉथ, बारदानस, गन्नी बैग्स के स्टॉक का मूल्य औसत लागत मूल्य पर किया जाता है ।

च) प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि पर तारपत्री बट्टे खाते में डाली जा रही है ।

10. Inventories:

a) FP Bales/Lint are valued at –

i] Average cost or market/realisable value whichever is lower in respect of commercial purchases not contracted for sale.

ii] Average cost in respect of bales not contracted for sale under Support Price Operations as the loss suffered under such operations if any, is reimbursable by Govt. of India.

iii] Average cost or contracted rates whichever is lower in respect of quantities meant for sale in domestic market (whenever contracted for and approved by buyers)

iv] Average cost or contracted rates as reduced by contracted freight and cartage etc. whichever is lower in case of quantities meant for export. (wherever contracted for).

b) Stocks of seeds contracted for sale are valued at contracted rates and other stocks of seeds are valued at the market/realisable value at the close of the year since the cost of seeds cannot be ascertained separately.

c) Raw Material i.e. Kapas is valued at average cost calculated quality wise, centre wise and cotton year wise. However, when there has been a decline in the price of Raw Material i.e Kapas and it is estimated that the cost of the finished goods i.e. FP Bales will exceed net realizable value of raw material, the Kapas are written down to net realizable value.

d) Yellow picking and sample bales are valued at realisable value.

e) Stock of un-issued hessian/grey cloth, bardanas, gunny bags, iron hoops and pesticides are valued at average cost price.

f) Tarpaulins are being written off over a period of three years.

11. गाँठों के निर्यात पर नि.एवं प्रे.व्यय :

संविदागत पूर्णबंधित गाँठों /स्टॉक के मूल्यांकन के लिए औसत लागत के साथ तुलना के प्रयोजन के लिए संविदागत दरों से घटाया जाता है । समरूप संकल्पना को ध्यान में रखते हुए, पूर्णबंधित गाँठों को स्पॉट से पोर्ट/ पोतवहन गोदाम तक ले जाने पर संविदागत भाड़ा और ढुलाई आदि पर हुए व्यय को लेखा वर्ष के अंत तक प्रतीक्षित पोतवहन को प्रदत्त माना जाता है और लेखा वर्ष के दौरान राजस्व के लिए प्रभार नहीं लगाया जाता है ।

12. कर्मचारी लाभ :

क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

वर्ष के लाभ एवं हानि खाते में अल्पावधि कर्मचारी लाभ को अनडिस्कॉउन्टेड बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें संबंधित सेवा दी है ।

ख) रोज़गार के बाद लाभ :

i) परिभाषित अंशदान योजना

- **अधिवर्षिता :**

  अधिवर्षिता निधि में अंशदान के लिए प्रावधान, कर्मचारी द्वारा प्रारंभ में बीमांकिक अभ्यर्पित लाभ मूल्य के अनुमान के समकक्ष तथा मूल्यों में मुद्रास्फिति में 10%वार्षिक वृद्धि और डीपीई मे मार्गदर्शन के अनुसार किया जाता है ।

- **भविष्य निधि :**

  भविष्य निधि में अंशदान, कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधान और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अनुसार किया जाता है और उस पर लाभ एवं हानि खाते में प्रभार लगाया जाता है ।

ii) परिभाषित लाभ योजना :

- **उपदान :**

  कर्मचारियों के उपदान दायित्व के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

11. C & F Expenses on Export Bales:

Contracted freight and cartage etc. are reduced from contracted rates for the purpose of comparison with Average Cost for valuation of FP bales/stock meant for export, wherever contracted for. Keeping in view the matching concept, contracted freight and cartage etc. incurred on FP bales moved from spot to the port/godowns of shipment awaiting shipment at the end of Accounting Year are treated as pre-paid and not charged to revenue during the Accounting Year.

12. Employees' Benefits:

a) Short Term Employee Benefits:

Short Term Employee Benefits are recognized as an expense on an undiscounted basis in the Profit and Loss Account of the year in which the related service is rendered.

b) Post Employment Benefits:

i) Defined Contribution Plans:

- **Superannuation:**

  Provision for contributions to Superannuation Fund is made equivalent to initial actuarial estimation of surrendered value of perquisites by the employees, with 10% annual escalation towards inflation in prices and as per DPE guidelines.

- **Provident Fund:**

  Contribution to Provident Fund is made in accordance with the provisions of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act, 1952 and is charged to the profit and loss account.

ii) Defined Benefit Plans:

- **Gratuity:**

  Provision for gratuity liability to employees is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

- **छुट्टी नकदीकरण** :
  छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान, वर्ष की समाप्ति पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है ।

iii) बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते की विवरणी में मान्यता दी गयी है ।

13. उत्पाकता सहबद्ध प्रोत्साहन :

उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना संपूर्ण कार्यनिष्पादन पर आधारित है यानि वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय निष्पादन और कपास वर्ष के लिए वास्तविक निष्पादन । वित्तीय निष्पाद वित्तीय वर्ष पर आधारित और वास्तविक निष्पादन कपास वर्ष के दौरान निष्पादन पर आधारित है । वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है और कपास वर्ष 30 सितंबर को समाप्त होता है यानि वित्तीय वर्ष समाप्ति के 6 माह के बाद पीएलआई योजना के अंतर्गत सर्वोत्तम उत्पादकता सूचकांक की गणना केवल कपास वर्ष यानि प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के बाद की जा सकती है । अतः पीएलआई के लिए उसी वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान करना संभव नहीं है । अतः कंपनी कपास वर्ष के अंत में पीएलआई की ग्राह्यता तथा मात्रा की गणना करने की प्रथा का अनुपालन करती है और अगले वित्तीय वर्ष में व्यय को नामे करती है ।

14. न्युनतम समर्थन मूल्य कार्यकलापों पर हानियों की प्रतिपूर्ति :

न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर यदि कोई हानि होती है, तो भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से संभूति आधार पर प्रतिपूर्ति की गणना की जाती है ।

15. आकलनों का उपयोग :

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतो के अनुरूप वित्तीय विवरणियों की तैयारी में आकलनों और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणियों की तारीख पर देयताओं और आस्तियों की बतायी गयी राशि पर तथा आलोच्य अवधि में राजस्व और व्यय की राशि पर प्रभावित करता है । वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया गया है, जिसमें ये परिणाम ज्ञात हैं / निष्पादित हुए हैं ।

- **Leave Encashment:**

  Provision for leave encashment is made on the basis of actuarial valuation as at the close of the year.

iii) The actuarial gain/loss is recognized in statement of profit and loss account.

13. Productivity Linked Incentive:

The productivity linked incentive scheme is based on overall performance i.e. Financial Performance for the Financial Year and Physical Performance for the Cotton Year. The Financial performance is based on the Financial Results for the Financial Year and the Physical performance is based on the performance during the Cotton Year. The Financial Year ends on 31st March and the Cotton Year ends on 30th September i.e. after 6 months of close of the Financial Year. The Optimum Productivity Index under the PLI Scheme, therefore, can be worked out only at the end of the Cotton Year i.e. after 30th September each year. It is, therefore, not feasible to make provision for PLI in the same Accounting Year itself. Hence the Company follows the practice of working out the eligibility and quantum of PLI at the end of the Cotton Year and debiting the expenditure in the next Financial Year.

14. Reimbursement of losses in MSP operations:

The losses if any, incurred on account of Minimum Support Price Operations reimbursable from the Government of India, Ministry of Textiles are accounted on accrual basis.

15. Use of Estimates:

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amounts of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Differences between actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known/ materialised.

16. उधार लागत :

उधार लागत को, जो अधिग्रहण, निर्माण अथवा अर्हक अस्तियों के उत्पादन से संबंधित हैं, इस प्रकार की अस्तियों को लागत के एक भाग के रूप में पूंजीकृत किया गया है । अर्हक आस्ति वे वह आस्ति हैं, जिसे इसके उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय आवश्यक होता है । सभी अन्य उधारियों की लागतों को, जिस अवधि में खर्च किए गए हैं, उस अवधि में लागत के रूप में मान्यता दी जाती है ।

17. विदेशी मुद्रा के सौदे :

चालू परिसंपत्तियाँ तथा देयताओं से संबंधित विदेशी मुद्रा के सौदों को तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया है और लेन-देन के निपटाने में हुए अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया गया है । विदेशी मुद्रा में विवादास्पद प्राप्त /देय के संबंध में लेखा कें विनिमय अंतर के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

18. प्रति शेयर आय :

प्रति शेयर की मूल और तनूकृत आय को ईक्विटी शेयर होल्डर्स को वर्ष के लिए दिये गये शुद्ध लाभ द्वारा विभाजित करते हुए, वर्ष के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर की वेटेड एवरेज नंबर से विभाजित किया गया है ।

19. कराधान :

आस्थगित कर

देयता पद्धति के अंतर्गत वर्तमान कर की दर पर बुक लाभ और कर के समय अंतर के परिणामस्वरूप आस्थगित कर ।

आस्थागित कर को मान्यता प्राप्त है, बशर्ते कि प्रुडॅन्स् टाईमिंग डिफरन्स पर, जो कर योग्य आय और गणना की आय के बीच अंतर के रूप में होगा, जो एक अवधि में उद्भूत होता है और एक या अधिक परवर्तित्र अवधि में प्रत्यावर्तन की क्षमता से योग्य है । आस्थागित कर आस्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता प्राप्त है कि इस प्रकार की उचित सुनिश्चितः है कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूद्ध आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जा सकेगी है ।

16. Borrowing Costs:

Borrowing costs that are attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets are capitalised as part of cost of such assets. A qualifying asset is an asset that necessarily requires a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are recognised as an expense in the period in which they are incurred.

17. Foreign Currency Transactions:

Current Assets and Liabilities relating to foreign currency transactions are translated at the exchange rate prevailing as on the date of Balance Sheet and exchange difference arising on settlement of the transactions is recognised in the Profit and Loss Account. No adjustment in respect of exchange difference is made in the accounts in respect of disputed receivables/ payables in foreign currency.

18. Earnings per share:

The basic and diluted earnings per share is computed by dividing the net profit attributed to the equity shareholders for the year, by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

19. Taxation:

Deferred Tax

Deferred tax resulting from timing differences between tax and book profits is accounted for under the liability method, at the current rate of tax.

Deferred tax is recognized, subject to the consideration of prudence, on timing differences, being the difference between taxable income and accounting income that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.

वर्तमान कर :

आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के अनुसार अनुमानित कर देयताओं के आधार पर लेखो में वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है ।

20. पट्टा (लीज) परिचालन

पट्टे पर व्यवस्था को, जहाँ परिसंपत्ति की जोखिम और प्रतिफल घटना का मालिकत्व पर्याप्त रूप से पट्टाकर्ता के पास निहित है, परिचालन पट्टे को मान्यता दी गई है । परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को लाभ एवं हानि खाते में स्ट्रेट लाईन बेसिस पर मान्यता दी गई है ।

21. आस्तियों की क्षति :

प्रत्येक तुलन पत्र पर निर्धारण किया जाता है, जहाँ कोई संकेत विद्यमान है कि आस्तिें में की क्षति हुई है । यदि इसी प्रकार का कोई संकेत विद्यमान है, क्षति की हानि यानि राशि का, जिसके द्वारा आस्तियों की वर्तमान राशि वसूली राशि से अधिक है, लेखों में प्रावधान किया है । पहले के लेखा अवधि में सामान्य हू हानि को पीछे लौटाया गया है, यदि वसूली योग्य राशि के आंकलन में कोई परिवर्तन हुआ है ।

22. सरकारी अनुदान :

पूँजी अनुदान :

परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के मामले में, सकल मूल्य से अनुदान की कटौती दर्शाने के बाद इसका बुक वैल्यू किया जाता है । जहाँ अनुदान संपूर्ण राशि या वस्तुतः परिसंपत्तियों की संपूर्ण लागत के समकक्ष होता है, तुलन-पत्र में परिसंपत्तियों को नामपत्र मूल्य दर्शाया जाता है ।

राजस्व अनुदान :

लाभ एवं हानि खाते में राजस्व अनुदान को मान्यता दी गई है ताकि संबंधित लागत /हानियों के साथ उसका मिलान हो सके, जिसकी क्षतिपूर्ति करना अभिप्रेत है । ऐसे अनुदानों को 'अन्य आय' के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है ।

23. प्रावधान, समाश्रित देयताएँ और समाश्रित परिसंपत्तियाँ:

कंपनी प्रावधान करती है, जब गत घटना के परिणामस्वरूप, वर्तमान में दायित्व है, जहाँ आर्थिक स्त्रोतों पर बहिर्वाह

Current Tax

Provision for the current income tax is made in the accounts on the basis of estimated tax liability as per the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961.

20. Operating Lease:

Lease arrangements where the risks and rewards incidental to ownership of an asset substantially vest with the lessor, are recognised as operating leases. Lease rents under operating leases are recognised in the profit and loss account on a straight line basis.

21. Impairment of Assets:

At each balance sheet an assessment is made whether any indication exists that an asset has been impaired. If any such indication exists, an impairment loss i.e. the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount is provided in the books of accounts. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

22. Government Grants:

Capital Grants

In case of depreciable Assets, the grant is shown as deduction from the Gross value to arrive at its book value. Where the grant equals the whole or virtually the whole of the cost of the Asset, the asset is shown in the Balance Sheet at a nominal value.

Revenue Grants

Revenue grants are recognised in the Profit and Loss account to match them with the related costs/ losses, which are intended to be compensated. Such grants are shown separately under 'Other Income'.

23. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

The Company makes a provision when there is a present obligation as a result of a past event where the outflow of economic resources is

संभव है और दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है ।

समाश्रित देयता के लिए प्रस्तुतीकरण किया जाता है, जब वहाँः-

- संभाव्य दायित्व, उदाहरण (दृष्टांत) जिसकी एक या अधिक अनिश्चित मदों के घटना /अघटना द्वारा पुष्टि की जायेगी, जो कंपनी के पूर्णतः नियंत्रण में नहीं है ।
- वर्तमान दायित्व, जहाँ यह संभाव्य नहीं है, जो स्त्रोतों के बहिर्वाह में आर्थिक लाभों को सम्मिश्रित करते हुए दायित्व का निर्धारण करना आवश्यक होगा ।
- वर्तमान दायित्व जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया गया है ।

वित्तीय विवरणियों में समाश्रित आस्तिओं को न तो मान्य किया गया है और न ही प्रकट किया गया है ।

probable and a reliable estimate of the amount of obligation can be made.

A disclosure is made for a contingent liability when there is a –

- Possible obligation, the instance of which will be confirmed by the occurrence/non occurrence of one or more uncertain items, not fully within the control of the Company.
- Present obligation, where it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation.
- Present obligation where a reliable estimate cannot be made.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा का भाग बनाने वाले नोट्स
NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

1. आकस्मिक देयताएँ जिनका प्रावधान नहीं किया गया है ।

   i) कंपनी के पक्ष में बैंकों द्वारा दी गई 3.75 लाख रूपयों की गारंटियाँ (गत वर्ष 3.80 लाख रूपये) ।

   ii) कंपनी के विरूद्ध कर्मचारी और अन्य के दावे, जिनकी राशि अनिश्चित है और ऋण के रूप में नहीं मानी गई राशि 1101.92 लाख रूपये है (गत वर्ष 1201.18 लाख रूपये) । इसके अलावा यदि विधिक मामले कंपनी के विरूद्ध निणित होते हैं तो दावे की गई राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा ।

   iii) बिक्री कर की माँग 353.77 लाख रूपये (गत वर्ष 472.45 लाख रूपये), जिसके संबंध में कंपनी ने अपील की है ।

   iv) पंजाब संरचना कर पर ब्याज जिसकी राशि 1408.33 लाख रूपये है, जिसमें 1279.71 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य से संबंधित है और 128.62 लाख रूपये वाणिज्यिक खरीद कार्य से संबंधित है (गत वर्ष कुल 764.47 लाख रूपये की राशि थी जिसमें से 693.69 लाख रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्य से संबंधित है और 70.78 लाख रूपये वाणिज्यिक खरीद कार्य से संबंधित है) । कंपनी ने पंजाब संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2002 के अधीन कर का शुल्क लगाने के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर की है ।

   v) कंपनी के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 7(ए) के अधीन जॉच के बाद सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने दि.3.2.2005 को जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों में काम पर लगाये गए कर्मचारियों के लिए कंपनी को मुख्य नियोक्ता मानते हुए आदेश पारित करते हुए यह निदेश दिया है कि इस प्रकार के सभी जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के, जिनके पास भविष्य निधि का पी.एफ.कोड नंबर नहीं है तथा जिनके पी.एफ.कोड नंबर हैं, उनका भविष्य निधि जमा के प्रमाणन चालान के विवरण प्रस्तुत करें । कंपनी द्वारा उक्त आदेश को ई.पी.एफ. अपीलीय अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष

1. Contingent Liabilities not provided for:

   i) Guarantees given by Banks on behalf of the Company is Rs.3.75 lakhs (Previous year Rs. 3.80 lakhs)

   ii) Claims of employees and others against the Company of which the amounts are ascertainable and not acknowledged as debts amounts to Rs. 1101.92 lakhs (Previous year Rs. 1201.18 lakhs). In addition, interest on the claimed amount may have to be paid if legal cases are decided against the Company.

   iii) Sales Tax demands amounting to Rs. 353.77 lakhs (Previous year Rs.472.45 lakhs) in respect of which the Company is in appeal.

   iv) Interest on Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs.1408.33 lakhs comprises of Rs.1279.71 lakhs pertaining to MSP operations and Rs.128.62 lakhs of CP operations. (Previous year totaling Rs.764.47 lakhs comprises of Rs.693.69 lakhs pertaining to MSP operations and Rs.70.78 lakhs of CP operations.) The Company has filed SLP in Supreme Court against levy of Cess under Punjab Infrastructure (Development and Regulation) Act 2002.

   v) In an inquiry u/s. 7 (A) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 against the Company, the Assistant Provident Fund Commissioner has passed an order dated 3.2.05 holding the Company as the Principal Employer of the workers of ginning and pressing factories engaged by the Company and directed the Company to make available to him the details of the employees of all such factories which are not having P.F. Code along with challans evidencing deposit of provident fund of those factories which are having code number and complying . The said order was challenged by the Company before E.P.F. Appellate Tribunal, New Delhi. The appeal was dismissed vide order dated 20th October,

चुनौती दी गई है । माननीय अपीलीय ट्रिबूनल, नई दिल्ली द्वारा 20 अक्तूबर, 2010 को पारित आदेश द्वारा अपील खारिज की गयी है । कंपनी ने आगे 30 सितंबर, 2010 की याचिका द्वारा माननीय बोंबे हाई-कॉर्ट में अपील के निर्णय को चुनौती दी है । कथित अपील लंबित है । मामले में निहित राशि अनिर्धारित है ।

vi) पूँजी लेखा पर संविदाओं की अनुमानित राशि निष्पादित नहीं की गई है और 390.79 लाख रूपये के लिए (गत वर्ष 375.83 लाख रू.) प्रावधान नहीं किया गया है ।

2. समर्थन मूल्य परिचालन खाते पर हुई हानि 3625.40 लाख रूपये (गत वर्ष 99424.00 लाख रूपये) है और उसकी गणना एएस-12 प्रावधान के अंतर्गत की गयी है, जो सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है । इन व्यय / हानियों में निम्न शामिल है :-

(i) प्रशासकीय और स्थापना खर्चो के भाग को समर्थन मूल्य परिचालन के अंतर्गत खरीद की गई गाँठों के आधार पर बांटा गया है ।

(ii) खरीदी गई कपास गाँठों के मूल्य पर आधृत अचल परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास ।

(iii) निधियों पर ब्याज में बैंक ऋण तथा समर्थन मूल्य कार्य में लगायी गयी अपनी निधि निम्नलिखित अवधि के लिए शामिल की गयी है :-

क) गाँठों में बदलने के लिए संसाधन प्रक्रिया यानि कपास की खरीद की तारीख से गाँठों के प्रेसिंग की तारीख तक ।

ख) गॉठों की प्रेसिंग की तारीख से गाँठें उठवाने की तारीख तक के लिए बेची गई और उठायी गई गांठों के लिए ।

ग) गाँठों की प्रेसिंग की तारीख से वर्ष के अंत तक, यानि 31.3.2011 तक अनबिकी गाँठें और बेची गयी लेकिन न उठवाई गई गाँठों के लिए ।

घ) वर्ष के आरंभ में बकाया राशि के लिए ब्याज को भुगतान की प्राप्ति तक लगाया गया है।

(iv) कपास के खरीद मूल्य के आधार पर तिरपालों के खर्चो को समर्थन मूल्य खरीद परिचालन पर आबंटित किया गया है ।

(v) प्रेस की गई गाँठों की संख्या के आधार पर हैसियन/ ग्रे कपड़े के खर्चो को समर्थन मूल्य परिचालन पर आबंटित किया गया है ।

2010 passed by the Honorable Appellant Tribunal, New Delhi. The Company further challenged the decision of the appeal before the Honorable Bombay High Court by way of writ petition on 30th December, 2010. The said appeal is pending. The amount involved is indeterminate.

vi) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. 390.79 lakhs (Previous year Rs. 375.83 lakhs).

2. Losses amounting to Rs. 3625.40 lakhs (Previous year Rs. 99424.00 lakhs) aroused on account of Support Price operations and accounted for under the provision of AS-12 are reimbursable by the Government of India. These expenses/ losses includes:

i) Administrative and establishment expenses, apportioned towards support price operations on the basis of number of bales purchased.

ii) Depreciation on Fixed Assets allocated to support price operations based on the value of the bales purchased.

iii) Interest on funds which includes bank borrowings as well as own funds deployed in support price operations computed for the following periods:-

a) Process cycle for conversion of bales i.e. from the date of purchase of kapas up to the date of pressing of bales.

b) For bales sold and lifted from the date of pressing of bales up to the date of lifting of bales.

c) For unsold bales and bales sold but unlifted, from the date of pressing of bales till the end of the year i.e. 31.3.2011.

d) For the amount outstanding in the beginning of the year interest is charged till receipt of the payment.

iv) Tarpaulins expenditure allocated to support price operations on the basis of purchase value of cotton.

v) Hessian/gray cloth expenditure allocated to support price operations on the basis of the number of bales pressed

(vi) वर्ष के दौरान मायक्रोनेयर टेस्टर तथा मोईश्चर मीटर्स जैसे परीक्षण सामग्री की लागत की खरीद की राशि शून्य है (गत वर्ष 23.03 लाख रूपये)।

(vii) विक्रय और वितरण व्यय वास्तविक आधार पर लिये गये हैं ।

(viii) पंजाब संरचना कर के लिए प्रावधान शून्य लाख रूपये (गत वर्ष 260.50 लाख रूपये) है।

3. खरीद कर /बिक्री कर के लिए 2977.04 लाख रूपये की राशि (गत वर्ष 1890.23 लाख रूपये) में ऋण एवं अग्रिम शामिल है, जो अपील का मूल्यांकन निर्णय होने तक बिक्री कर/वैट प्राधिकारियों के पास लंबित है । संबंधित विभाग से निर्णय प्राप्त होते ही इसे प्रभावित किया जायेगा ।

4. शून्य लाख रूपये के दावे (गत वर्ष 3.53 लाख रूपये) की राजस्व - मान्यता को, जो संविदाओं को रद्द करने के लिए खरीददार पर दायर की गयी, कंपनी द्वारा अपनायी गयी लेखा नीति के अनुसरण में आस्थगित किया गया है ।

5. एनटीसी मिलों से 8687.66 लाख रूपये (गत वर्ष 1014.79 लाख रूपये) की देय बकाया राशि के वसूली के लिए एनटीसी, सीसीआई तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार शोध्य माना गया है । प्रबंधन द्वारा किसी सामग्री विसंगति की प्रत्याशा नहीं की गई है ।

6. देनदारों में एनटीसी सहायिकायें, संस्थागत खरीददार, अन्य देनदार, ऋण और अग्रिम जमा राशि, जमा राशियाँ अन्य वर्तमान आस्तियाँ तथा विविध लेनदार पुष्टीकरण/समाशोधन के अधीन है । प्रबंधन की राय के अनुसार, यह व्यापार की सामान्य अवधि में प्राप्ति योग्य/देय योग्य है और शोध्य मानी गयी है तथा किसी प्रकार की सामग्री विसंगति की प्रत्याशा नहीं है ।

7. मायक्रो तथा छोटे उद्यमों का प्रस्तुतीकरण :

(i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि तथा उस पर देय ब्याज का शेष भुगतान है :

(लाख रूपये में)

	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष
मूल राशि*	894.77	846.77
ब्याज	6.92	शून्य

* इसमें ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो संविदा की शर्तो के अनुसार ठेकेदारों से प्राप्त हुआ है ।

vi) Cost of testing equipments namely Micronaire Testers and Moisture meters, purchased during the year amounting to Rs. NIL (Previous Year Rs. 23.03 lakhs).

vii) Selling and Distribution expenses are on actual basis.

viii) Provision towards Punjab Infrastructure Cess amounting to Rs. Nil (Previous year Rs. 260.50 lakhs).

3. Loans and Advances include Rs. 2977.04 lakhs (Previous year Rs.1890.23 lakhs) towards Purchase Tax/Sales Tax/VAT deposited with the Sales Tax/VAT Authorities, pending for assessment / decision in appeals. Effect thereon will be given as and when finalized by the Department.

4. Revenue recognition of claims of Rs Nil (Previous year Rs. 3.53 lakhs) lodged on buyers for cancellation of contracts has been deferred in terms of accounting policy adopted by the Company.

5. Debts due from NTC mills amounting to Rs. 8687.66 lakhs (Previous year Rs.1014.79 lakhs) are considered good for recovery as per Memorandum of Understanding reached amongst NTC, CCI and Ministry of Textiles for recovery of amount outstanding. No Material discrepancies are anticipated by the Management.

6. Debtors comprising NTC Subsidiaries, Institutional Buyers, other Debtors, Loans and Advances, Deposits, other Current Asset and Sundry Creditors are subject to confirmation/ Reconciliation. According to the opinion of the Management, the same are receivable/ payable in the ordinary course of business and are considered good and No Material discrepancies are anticipated.

7. Disclosure for Micro and Small Enterprises:

(i) The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year:

(Rs. In Lakhs)

	Year ended 31 March, 2011	Year ended 31 March, 2010
Principal*	894.77	846.77
Interest	6.92	NIL

*Includes interest free security deposits received from contractors as per the terms of the contract.

(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट ॲक्ट- 2006 की धारा-16 की शर्तो के अनुसार खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि "शून्य" है। (गत वर्ष शून्य रूपये)

(iii) देय ब्याज की राशि और भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान किया गया, लेकिन नियत दिन के बाद) किन्तु मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट - 2006 के अंतर्गत ब्याज जोड़े बिना "शून्य" है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

(iv) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपचित ब्याज राशि और शेष अप्रदत्त राशि "शून्य" है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

(v) आगे देय ब्याज की बकाया राशि और आगामी वर्षो में भी देय उस तारीख तक जब उपर्युक्त बकाया वास्तविक रूप से छोटे उद्यमों को प्रदत्त भुगतान किया गया है, जो मायक्रो, स्मॉल अन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट- 2006 की धारा-23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में डिसअलाउन्स प्रयोजन के लिए देय 6.92 लाख रूपये है । (गत वर्ष शून्य रूपये)

कंपनी के पास उपरोक्त जानकारी जिस सीमा तक उपलब्ध है, दी गई है ।

8. (i) वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान भारत सरकार की ओर से आयात की गई कपास की पुनः बिक्री पर 1679.63 लाख रूपये (गत वर्ष 1679.63 लाख रूपये) की हानि के लिए संविदागत गॉठें विभिन्न मिलों द्वारा न उठाने के कारण वसूली योग्य परिसमापन क्षति के कारण बकाया थी । कंपनी को भारत सरकार से इसकी प्राप्ति हो चुकी है । इस प्रकार के चूककर्ता के विरूद्ध परिसमापन क्षति के रूप में वसूली योग्य हानियाँ माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में बड़ी संख्या में मामलों के रूप में लंबित है । चूककर्ता खरीददारों से जमा की गयी राशि, लंबित ऐसे मामले विविध लेनदारों के शीर्ष के अधीन ऐसे मामलों के निपटान पर वर्ष प्रति वर्ष आधार पर लगातार गिने जाते है यानि जो पुराने

(ii) The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year is –Rs. NIL (Previous Year Rs NIL)

(iii) The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is –Rs. NIL (Previous Year Rs NIL)

(iv) The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year is- Rs. NIL (Previous Year Rs NIL)

(v) The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 is - Rs.6.92 lakhs (Previous Year Rs NIL).

The above information is given to the extent available with the Company.

8. i) On account of liquidated damages recoverable from various mills for their failure to lift the contracted bales for loss of Rs. 1679.63 lakhs (Previous Year Rs. 1679.63 Lakhs) on resale of cotton imported on behalf of Government of India during the year 1976-77 and 1977-78 were outstanding. The same has already been received by the Company from the Government of India. The losses recoverable towards liquidated damages against such defaulters are pending in form of large no of cases before Honorable Bombay High Court. The amount collected from the defaulted buyers, pending such cases, are continues to be accounted on year to year basis on settlement of such cases under the head of Sundry Creditors

आयात विधि मामलों के निपटान पर भारत सरकार को देय राशि है । वर्ष के अंत में इस प्रकार की शुद्ध बकाया राशि 40.27 लाख रूपये (गत वर्ष 40.28 लाख रू.) को अनुसूची -12 में 2823.16 लाख रू. (गत वर्ष 2364.44 लाख रू.) के विविध लेनदारों के साथ (अन्य) शामिल किया गया है ।

(ii) अनुसूची -12 में 5683.77 लाख रूपये की अन्य देयताओं में (गत वर्ष 4265.60 लाख रूपये) 63.45 लाख रूपये (गत वर्ष 60.48 लाख रू.) शामिल है, जो कपास के आयात के संबंध में वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 से संबंधित विधिक मामलों के लिए प्राप्त है और भारत सरकार को देय है । यह राशि नोट 8(i) ऊपर बताये अनुसार पुराने आयातित कपास के विधिक मामलों के निपटान के अधीन है ।

9. इस वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को टीएमसी में तैनात करने के लिए उनके वेतन तथा भत्ते हेतु टीएमसी सेल से 33.96 लाख रूपये (गत वर्ष 72.79 लाख रूपये) की प्रतिपूर्ति की गई और उसे स्थापना शीर्ष के अंतर्गत वेतन तथा भत्तों से घटाया गया है ।

10. लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ" द्वारा आपेक्षित कर्मचारी लाभों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(क) अंशदान योजनाओं की परिभाषा :

कंपनी ने लाभ तथा हानि खाते में निम्न राशियों को मान्यता दी है :-

लाख रूपये में

	2010-11	2009-10
भविष्य निधि तथा भविष्य निधि पेन्शन फंड में अंशदान	652.11	604.95
अधिवर्षिता निधि के लिए अंशदान (कर्मचारी द्वारा अभ्यर्पित लाभ के मूल्य को शामिल करते हुए)	379.00	325.00

(ख) लाभ योजनाओं की परिभाषा/दीर्घावधि प्रतिपूर्ति :

दि.31.3.2011 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कर्मचारी लाभ योजना के संबंध में वित्तीय विवरणियों में मान्य है ।

being payable to the Government of India on settlement of old import legal cases. The net such amount outstanding at the year end of Rs 40.27 lakh (Previous Year Rs. 40.28 lakhs) are included along with sundry creditors (other) of Rs 2823.16 lakhs (PY Rs 2364.44 lakhs) in Schedule-12.

ii) Other Liabilities in Schedule-12 of Rs 5683.77 lakhs(Previous year Rs. 4265.60 lakhs) includes Rs. 63.45 lakhs (Previous year Rs. 60.48 lakhs) received on account of legal cases pertaining to the year 1976-77 and 1977-78 regarding import of cotton and are payable to the Government of India. This amount is subject to settlement of old cotton import legal cases referred to note 8 (i) above.

9. Pay and Allowances of Rs. 33.96 lakhs (Previous year Rs. 72.79 lakhs) have been reimbursed from TMC cell for the staff deployed to them by the Company during the year and the same has been reduced from Pay and Allowances under Establishment head.

10. Details of Employee Benefits as required by the Accounting Standard 15 – "Employee Benefits" are as follows:

A Defined Contribution Plans:

The Company has recognized the following amounts in the profit and loss account:

Rs. in lakhs

	2011-10	2009-10
Contribution to Provident Fund and PF Pension Fund	652.11	604.95
Contribution to Superannuation Fund (Including value of surrendered benefit by employees)	379.00	325.00

B. Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences-

As per Actuarial Valuation as on 31.03.2011 and recognized in the finanacial statements in respect of Employee Benefit Schemes:

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULAR	उपदान (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment (अनिधिक) (non funded)	
		As on 31.3.2011	As on 31.3.2010	As on 31.3.2011	As on 31.3.2010
i.	**नियोक्ता व्यय के घटक** **Components of employer expense**				
	(क) वर्तमान सेवा लागत (a) Current service cost	110.16	110.16	111.92	99.50
	(ख) ब्याज लागत (b) Interest cost	253.24	224.48	169.14	141.59
	(ग) परिसंपत्ति योजना पर अपेक्षित प्राप्ति (c) Expected return on plan assets	(241.95)	(222.91)	0.00	0.00
	(ड) बीमांकिकी हानि (d) Actuarial Losses	300.90	276.18	291.93	281.70
	लाभ तथा हानि खाता विवरणी में मान्यता प्राप्त कुल व्यय Total expenses recognized in the Statement of Profit & Loss Account	422.35	387.91	572.99	522.79
ii.	**31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए वास्तविक अंशदान तथा लाभ भुगतान** **Actual contribution and Benefit payments for the year ended 31st March 2011**				
	वास्तविक लाभ का भुगतान / Actual benefit payments	498.68	302.07	(409.12)	(214.61)
	वास्तविक अंशदान / Actual contribution	452.76	1306.03	409.12	214.61
iii.	**31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र में शुद्ध मान्यता प्राप्त दायित्व** **Net liability recognized in Balance Sheet as at 31st March 2011**				
	लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation	3343.76	3208.81	2306.75	2142.88
	परिसंपत्ति योजना का उचित मूल्य Fair value of plan assets	2986.26	2820.90	0.00	0.00
	तुलन-पत्र दायित्व में मान्यता प्राप्त शुद्ध Net liability recognized in Balance Sheet	(357.50)	(387.91)	(2306.75)	(2142.88)
iv.	**31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ बाध्यता की परिभाषा में परिवर्तन** **Change in Defined Benefit Obligations during the year ended 31st March 2011**				
	वर्ष के प्रारंभ में लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the beginning of the year	3208.81	2937.35	2142.88	1834.70
	वर्तमान सेवा लागत / Current service cost	110.16	110.16	111.92	99.50
	ब्याज लागत / Interest cost	253.24	224.48	169.14	141.59
	बीमांकिकी हानि / Actuarial losses	270.23	238.89	291.93	281.70
	भुगतान किए गए लाभ / Benefits paid	(498.68)	(302.07)	(409.12)	(214.61)
	वर्ष के अंत में लाभ बाध्यता की परिभाषा का दायित्व Liability of Defined Benefit Obligation at the end of the year	3343.76	3208.81	2306.75	2142.88

(लाख रूपये में) / (Rs. in Lakhs)

क्र.सं. S. No	ब्यौरे PARTICULAR	उपदान (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment (अनिधिक) (non funded)	
		As on 31.3.2011	As on 31.3.2010	As on 31.3.2011	As on 31.3.2010
v.	**31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन** **Change in Fair Value of Assets during the year ended 31st March 2011**				
	वर्ष के प्रारंभ में संपत्ति योजना Plan assets at the beginning of the year	2820.90	1631.32	0.00	0.00
	संपत्ति योजना पर वास्तविक प्रतिलाभ Actual return on plan assets	241.94	222.91	0.00	0.00
	वास्तविक कंपनी अंशदान Actual Company contribution	452.76	1306.03	0.00	0.00
	भुगतान किया गया लाभ Benefits paid	(498.68)	(302.07)	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना पर बीमांकिकी लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss) on Plan Assets	(30.66)	(37.29)	0.00	0.00
	वर्ष के अंत में संपत्ति योजना Plan assets at the end of the year	2986.26	2820.90	0.00	0.00
vi.	**बीमांकिकी धारणा** **Actuarial Assumptions**				
	छूट की दर (%) / Discount Rate (%)	8.25%	8.25%	8.25%	7.75%
	संपत्ति योजना पर प्रति प्राप्ति (%) / Expected Return on plan assets (%)	8%	8%	0%	0%
	वेतन वृद्धि (%) / Salary escalation (%)	4%	4%	4%	4%
vii.	**कुल संपत्ति योजना के प्रतिशत के अनुसार संपत्ति योजना की बड़ी श्रेणियाँ** **The major categories of plan assets as percentage of total plan assets**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**
	भारत सरकार परिसंपत्तियाँ Government of India Assets	21%	18.24%	0.00	0.00
	कारपोरेट बाँडस् Corporate Bonds	66.5%	69.84%	0.00	0.00
	विशेष जमा राशि योजना Special Deposits Scheme	6.3%	6.66%	0.00	0.00
	अन्य Other	6.2%	5.26%	0.00	0.00

11 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक :
11 Auditor's Remuneration

	ब्यौरे Particular	2010 - 2011 (Rs. in Lakhs)	2009 - 2010 (Rs. in Lakhs)
क) a)	लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fee	10.00	9.00
ख) b)	कर / वॅट लेखा परीक्षा शुल्क Tax / VAT Audit Fees	4.49	3.91
	कुल / Total	**14.49**	**12.91**

12. अकोला शाखा में दि.6.5.2010 को पुसद केंद्र के एमएसडब्ल्यूसी गोदाम में 1212 पूर्णबंधित गॉठों का एक दुर्विनियोग पाया गया । दोषी के विरूद्ध पुलिस स्टेशन पुसद में एफआयआर सं.117/10 दि.8.5.2010 द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया । कथित 1212 पूर्णबंधित गॉठों का मूल्य लगभग 150.63 लाख रू. है । कथित मामला संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जांच के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 900 पूर्णबंधित गॉठों को प्राप्त किया और उन्हें जब्त किया । 25 लाख रू. की राशि की 200 पूर्णबंधित गॉठें दोषी से वसूल हुई है और एल.सी.बी. यवतमाल जांच कार्यालय में जमा की गयी है तथा दूसरे अभियुक्त को 100 पूर्णबंधित गॉठों के मूल्य के लिए 12.49 लाख रू. की राशि जमा करने के लिए कहा गया है । शेष 12 पूर्णबंधित गॉठों के पुलिस जांच चल रही है । उपरोक्त को स्टॉक के मूल्यांकन में शामिल नहीं किया गया है तथा इस बारे में किसी प्रकार की प्राप्ति को जब कभी प्राप्त किया जायेगा, गिना जायेगा ।

13. गुंतूर शाखा में वर्ष 2007-08 के दौरान 233 कपास गॉठों के स्टॉक और 28882 मीटर्स ग्रे क्लॉथ के स्टॉक का दुर्विनियोजन पाया गया तथा मूल्यांकन प्रयोजन के लिए इसे अंतिम स्टॉक के रूप में नहीं माना गया है । मामला अब ट्रायल कॉर्ट के अधीन है । जांच के दौरान पुलिस ने 100 कपास गॉठें प्राप्त की है जो पुलिस द्वारा कंपनी को सौंपी गयी थी । कथित 100 कपास की गॉठें माननीय न्यायालय चिलकालूरीपेट के आदेश के अनुसार वर्ष 2010-11 में बेची गयी थी और 20,81,399/-रू. की राशि प्राप्त हुई । 83,643/-रू. की राशि गॉठों के निपटान के लिए खर्च के रूप में काटने के बाद 19,97,756/-रू की राशि

12. In Akola branch a misappropriation of 1212 FP bales at MSWC godown, Pusad Centre was noticed on dated 06.05.2010. A Criminal case is registered against the accused at police station Pusad vide FIR no. 117/10 dated 08.05.2010. The value of the said 1212 FP Bales is approx Rs.150.63 lakhs. The said case is still under investigation by the concerned police authorities. During the investigation Police recovered 900 FP Bales and ceased. The Company applied in the Honorable Court, Yeotmal for possession of these bales. Value of 200 FP bales amounting to Rs. 25 lakhs has been recovered from the accused and deposited with the Investigating office L.C.B. Yeotmal and the other accused has been asked to deposit Rs. 12.49 Lacs towards value of 100 FP Bales. For balance 12 FP bales police investigation is in progress. The above is not considered in the valuation of the stock and any realization on this account will be accounted as and when received.

13. In Guntur branch, during the year 2007-08, misappropriation of stock of 233 cotton bales and 28882 meters of Grey Cloth was observed and the same was not considered as Closing Stock for valuation purpose. The matter is now under Trial Court. During investigation Police recovered 100 cotton bales, which were handed over by the police to the Company. The said 100 cotton bales were sold during 2010-11 as per order of the Honorable Court, Chilakaluripet and an amount of Rs. 20,81,399/ was realized thereof. The amount of Rs. 19,97,756/- after deducting expenses on disposal of bales of Rs. 83,643/- deposited with the court on

दि. 19.4.2011 को न्यायालय में जमा की गयी । मामले का निपटान होने के बाद इसे गिना जायेगा ।

14. अनुसूची 18 में विक्रय, संवितरण और प्रेषण व्यय में जनसंपर्क और प्रचार-प्रसार पर खर्च 1.48 लाख रू. (गत वर्ष 12.28 लाख रू.) शामिल है ।

15. भारत सरकार से अवधि और लागू तारीख का विशेष रूप से उल्लेख करने से संबंधित अधिसूचना के अभाव में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441ए के अंतर्गत टर्न-ओवर पर कर देय है, जिसका निर्धारण नहीं किया गया है, अतः उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

19.4.2011. The same will be accounted as and when the case is settled.

14. Selling, Distribution and Forwarding Expenses in Schedule 18 includes expenditure incurred on public relations and publicity is Rs. 1.48 lakhs (Previous year Rs. 12.28 lakhs)

15. In absence of relevant notification by the Government of India specifying the period and applicable date at which cess on turnover is payable under section 441A of the Companies Act, 1956, the same is not determinable and hence not provided for.

16. प्रबंधकीय पारिश्रमिक :

16. Managerial Remuneration:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	अ.प्र.नि. Chairman cum Managing Director	अन्य निदेशक Other Directors
वेतन एवं भत्ते Salary & Allowances	18.73 (16.68)	31.47 (20.15)
भविष्य/ पेंशन निधि में अंशदान Contribution to Provident/Pension Fund	2.28 (2.12)	3.83 (2.59)
छुट्टी नकदीकरण Leave Encashment	NIL (NIL)	0.89 (9.54)
चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति Reimbursement to Medical Expenses	2.70 (0.12)	0.14 (3.64)
प्रोत्साहन बोनस Incentive Bonus	NIL (1.22)	NIL (1.08)
छुट्टी यात्रा रियायत Leave Travel Concession	NIL (0.43)	NIL (0.27)
परिलब्धियाँ Perquisites	0.30 (0.33)	0.66 (0.35)

(कोष्ठक में दिए गए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं)
Figures in brackets relate to previous year.

नोटः- उपर्युक्त राशि में उपदान निधि, अधिवर्षिता तथा छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान को उपर्युक्त पारिश्रमिक में नहीं जोड़ा गया है,क्योंकि व्यक्तिशः राशि अनिश्चित थी ।

Note: Contribution to Gratuity Fund, Superannuation Fund and Provision for Leave Encashment are not included in the above remuneration. Amount not ascertainable individually.

नोट सं. 17 (क) :
Note No. 17 (A) :

प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित कंपनीज अधिनियम 1956 की अनुसूची-VI अंतर्गत अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी
ADDITIONAL INFORMATION REQUIRED UNDER SCHEDULE VI OF THE COMPANIES ACT,1956 AS CERTIFIED BY THE MANAGMENT

(क) आरंभिक स्टॉक, प्राप्त की गई रूई / बिनौले, खरीद, बिक्री तथा अंतिम स्टॉक का वस्तुवार ब्यौरा
(A) Commodity Wise Break Up of Opening Stock, Lint/Seeds, Obtained, Purchased,Sales And Closing Stock

I) देशी कपास संसाधन : वर्ष - 2010-11
Domestic Cotton Processing : Year-2010-11

	आरंभिक स्टॉक Opening Stock		प्राप्त किया गया Obtained		बिक्री Sales		अंतिम स्टॉक Closing Stock	
	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs
पूर्ण बंधित गॉठें (संख्या में) F.P Bales (In Nos.)	**687989** (6880832)	**87449.29** (727370.75)	**131,9891** (1343080)	N A	* **1281363** (7535923)	**216729.19** (748081.42)	**726517** (687989)	**152158.53** (87449.29)
रूई (क्विंटल में) Lint (In Qntls)	**1292** (55705)	**74.80** (3862.13)	**2160524** (2180316)	N A	** **2161797** (2234729)	**25.57** (14.28)	**19** (1292)	**2.53** (74.80)
बिनौला (क्विंटल में) Seeds (In Qntls)	**181480** (2720752)	**2172.71** (31227.31)	**** **4206801** (4222674)	N A	**4316431** (6761946)	**52318.76** (79155.26)	**71850** (181480)	**999.48** (2172.71)
कुल / Total		**89696.80** (762460.19)				**269073.52** (827250.96)		**153160.54** (89696.80)

II) उपयोग में लाया गया कच्चा माल
Raw Material Consumed*

	मात्रा (क्विंटल में) Quantity (In Qntl.)	रू. लाख में Rs. In Lakhs
क) कपास का आरंभिक स्टॉक (A) Opening Stock Of Kapas	**84,558** (2,540,466)	**2,668.54** (75,346.50)
ख) कपास की खरीद (B) Purchase Of Kapas	**6,582,789** (4,244,438)	**312,467.24** (132,090.59)
ग) अंतिम स्टॉक (C) Closing Stock	**64,005** (84,558)	**3,319.82** (2,668.54)
संसाधित कपास Kapas Processed***	**6,603,342** (6,700,346)	**311,815.96** (204,768.55)

* सभी समग्रियॉ देशी है / All Materials are Indigenous

III) कपास व्यापार / Cotton Trading

	आरंभिक स्टॉक Opening Stock		खरीद Purchases		बिक्री Sales		अंतिम स्टॉक Closing Stock	
	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs	मात्रा Quantity	रू. लाख में Rs. In Lakhs
पूर्ण बंधित गॉठें (संख्या में) F.P Bales (In Nos.)	0 (0)	0.00 (0.00)	3800 (0)	348.82 (0.00)	3800 (0)	379.06 (0.00)	0 (0)	0.00 (0.00)

नोट : कोष्ठक में दिये गये आकडे गत वर्ष से संबंधित हैं।

* पूर्ण-बंधित गाँठों में, 1889 (गत वर्ष 8052) अग्नि में खोयी/ क्षतिग्रस्त/ चोरी/परिवहन में खोयी आदि शामिल है, उसे पिछले वर्ष के अनुसार सामान्य हानि मानी जाएगी, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

** पूर्ण-बंधित गाँठों के लिए खपत हुई रूई का प्रतिनिधित्व करता है तथा 1028.47 क्विंटल (गत वर्ष 16.88 क्विंटल), जो अग्नि में नष्ट हुई हैं, उसके लिए बीमा दायर किए गए हैं.

*** अग्नि में नष्ट 376.60 क्विंटल (गत वर्ष 29362.54 क्विंटल) कपास शामिल है, जिसके लिए बीमा दावे दायर किए गए हैं.

**** संसाधन हानि का समायोजन करने का बाद

NOTE: Figures In Bracket Relate To Previous Year

* Includes1889 (Previous Year 8052) F.P. bales lost in fire, damages/ theft/ transit loss etc is being treated as normal loss as followed in previous years for which insurance claims lodged

** Represent lint consumed for FP bales and included 1028.47 qtls (Previous Year 16.88) qtls lint lost in fire for which insurance claim lodged.

*** includes 376.60 qtls (Previous Year 29362.54) qtls. kapas lost in fire for which insurance claims lodged.

**** After adjusting processing loss.

17. (ख) विदेशी मुद्रा में आय (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार) :
(B) Earnings in Foreign Exchange (as certified by the management):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2010-2011	2009-2010
माल के निर्यात पर : Export of Goods on :-		
एफ.ओ.बी.आधार पर FOB basis	1108.34	Nil
सी एंड एफ आधार पर C & F basis	1837.14	5441.79
निर्यात पर निकासी प्रभार तथा विनिमय अंतर Carrying charges & Exchange difference on Export	76.22	9.55

(ग) विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर) (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किए अनुसार) :

(C) Expenditure in foreign currency (on Cash Basis) (as certified by the management):

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	2010-2011	2009-2010
(i) यात्रा Travelling	10.92	3.28
(ii) पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं अभिदान Books, Periodicals & Subscription	3.14	3.49
(iii) निर्यात पर कमीशन Commission on export	24.73	35.83

18. आस्थगित कर समायोजन :

31 मार्च, 2011 को आस्थगित कर परिसंपत्तियों तथा आस्थगित कर देयताओं की गणना की गई है और इसके ब्यौरे नीचे दिये अनुसार हैं :-

18. DEFERRED TAX ADJUSTMENT

The Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2011 have been worked out as per particulars given below:

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

	31.3.2011 को As on 31.3.2011	31.3.2010 को As on 31.3.2010
क) आस्थगित कर देयताएँ **a) Deferred Tax Liability** मूल्यह्रास के कारण अचल परिसंपत्ति से संबंधित Related to Fixed Asset on account of Depreciation	828.10	937.56
ख) आस्थगित कर परिसंपत्ति **b) Deferred Tax Asset**		
i) आय-कर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत Disallowance under the Income Tax Act	2108.19	2000.00
ii) संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts and advances	102.17	103.97
iii) निवेश मूल्य में घटौती के लिए प्रावधान Provision for diminution in value of Investment	1.62	1.70
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयताएँ) Net Deferred Tax Asset/(Liability)	**1383.28**	**1168.11**

19. **सेग्मेंट रिपोर्टिंग :**

क) कंपनी मुख्य रूप से कपास व्यापार का कार्य करती है । संघटनात्मक ढाँचा और आंतरिक रिपोर्टिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, उसमें जोखिम और लाभ का कोई अंतर नहीं पड़ता है, वह केवल रिपोर्ट योग्य व्यापार का एक भाग है, जिसमें अनुपयुक्त सुविधाओं से उत्पन्न आय शामिल है ।

ख) चूँकि भारत के बाहर बिक्री, कुल बिक्री के 10% से कम है, भौगोलिक सेग्मेंट का रिपोर्ट नहीं किया गया है ।

ग) व्यवसाय सुविधा के इंटरमिक्स स्वरूप को देखते हुए अन्य सेग्मेंटल जानकारी निश्चित करने योग्य नहीं है ।

20. वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा जारी एएस-22(आय पर कर के लिए लेखा) के अधीन अपेक्षित संबंधित प्रावधानों के विरूद्ध अगिम आयकर/एफबीटी/संपत्ति कर को नेट ऑफ किया गया है।

19. **Segment Reporting:**

a) The Company is predominantly engaged in cotton trading. Considering the organizational structure and internal reporting system, there are no differing risk and returns, this is the only reportable business segment which includes income arising from idle facilities.

b) Since the sales outside India is less than 10% of the total sales, Geographical segment is not reported.

c) In view of Intermix nature of business facility other segmental information is not ascertainable.

20. During the year, the advance Income Tax/ FBT/ Wealth Tax have been net off against respective provisions as required under AS-22 (Accounting for Taxes on Income) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

21. **आय/(हानि) प्रति शेयर की गणना**
Calculation of Earning / (Loss) per share

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

ब्यौरे	31.3.2011 को As on 31.3.2011	31.3.2010 को As on 31.3.2010
क) लाभ/(हानि)विनियोजन के लिए उपलब्ध (रू. लाख में) A) Profit/(Loss) Available for Appropriation (Rs. in Lakh)	(95.86)	817.49
ख) ईक्विटी शेयर्स (नंबर) का वेईटड आवरेज नंबर B) Weighted Average No. of Equity Shares (No's)	25,00,000	25,00,000
ग) प्रति ईक्विटी शेयर का नोमिनल वैल्यू C) Nominal Value Per Equity Shares (Rs)	100	100
घ) मूल और मिश्रित आय/(हानि) प्रति शेयर(रू.) (ए/बी) D) Basic and Diluted Earnings/(Loss) per shares (Rs.) (A/B)	(3.83)	32.70

22. संबंधित पार्टी की घोषणाः
Related Party Disclosure

1) संबंधित पार्टियों की सूची जिसके साथ सौदा किया गया तथा संबंध :
List of Related Parties with whom transactions have taken place and relationship:

क्र.सं. / Sr. no.	संबंधित पार्टी का नाम / Name of related party	संबंध / Relationship
1.	श्री सुभाष ग्रोवर (28/2/2011 तक) Shri. Subhash Grover (Till 28/2/2011)	मुख्य प्रबंधन अधिकारी Key Management Personnel
2.	श्री बी.के.मिश्र (11/3/2011 से) Shri B.K. Mishra (Since 11/03/2011)	
3.	श्री सी.एस.तेवतिया Shri. C. S. Teotia	
4.	श्री रा.कु.केडिया (7/4/2010 से) Shri. R.K. Kedia (Since 7/04/2010)	

2) वर्ष के दौरान सौदे — (रूपये लाख में)
Transactions during the year : — (Rs. in lakhs)

क) पारिश्रमिक
A. Remuneration

- वर्तमान वर्ष - Current Year	**61.00**
- गत वर्ष - Previous Year	**(57.70)**

ख) ऋण
B. Loans

(रूपये लाख में) / (Rs. in lakhs)

निदेशको का नाम Directors Name	दि.1/4/2010 को आरंभिक शेष Opening Balance as on 1/4/2010	शेष वर्ष के दौरान लिये गये Taken during the year	वर्ष के दोरान भुगतान किये गये Repaid during the year	दि.31/3/2011 को बकाया शेष Balance o/s as on 31/3/2011	वर्ष के दौरान अधिकम बकाया शेष Maximum Balance o/s During the year
श्री सुभाष ग्रोवर Shri Subhash Grover	0.08 (0.14)	0.00 (0.00)	0.08 (0.09)	0.00 (0.08)	0.00 (0.16)
श्री सी.एस.तेवतिया Shri C.S. Teotia	0.19 (0.26)	0.01 (0.00)	0.09 (0.09)	0.11 (0.19)	0.19 (0.27)
कुल Total	0.27 (0.40)	0.01 (0.00)	0.17 (0.18)	0.11 (0.27)	0.19 (0.46)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष के हैं)
Figures in brackets relate to previous year.

23. वर्ष के दौरान निगम ने नीति परिवर्तन किया है और 3 वर्ष की अवधि से अधिक के लिए अविवादित बिना दावे के लेनदारों की 24.68 लाख रूपये (गत वर्ष "शून्य") की बकाया राशि को बट्टे खाते में डाला है ।

During the year the corporation has changed the policy & written back Rs.24.68 lakhs (Previous year- Nil) amount of undisputed/unclaimed creditors outstanding for more than 3 years. This has resulted in reduction of loss by Rs.24.68 lakhs (Previous year- Nil).

24. गत वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक था, पुनः निर्धारित / बताया गया है ।

Previous year's figures have been regrouped /restated wherever necessary.

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	(सी.एस. तेवतिया)	(रा.कु. केडिया)	(मनोज बजाज)
(B. K. Mishra)	**(C.S. Teotia)**	**(R.K. Kedia)**	**(Manoj Bajaj)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (विपणन)	निदेशक (वित्त)	कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)
Chairman-cum-Managing Director	**Director (Marketing)**	**Director (Finance)**	**Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)**

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते चौक्सी एंड चौक्सी
For Chokshi & Chokshi
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(कनु चौक्सी)
(Kanu Chokshi)
भागीदार
Partner

दिनांक : 25-07-2011
स्थान : मुम्बई

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
In Terms of our Report of Even Date Annexed

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
For Prem Gupta & Co.
सनदी लेखापाल
Chartered Accountants

Sd/-
(प्रेम बिहारी गुप्ता)
(Prem Behari Gupta)
भागीदार
Partner

Date : 25-07-2011
Place : Mumbai

तुलन-पत्र का सार तथा कंपनी के सामान्य व्यवसाय की रूपरेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

I. पंजीकरण का ब्यौरा
Registration Details

पंजीकरण संख्या Registration No.	1 4 7 3 3	राज्य कोड State Code	1 1
तुलन-पत्र की तारीख Balance Sheet Date	3 1 0 3 2 0 1 1		

II. अवधि के दौरान जुटाई गई पूँजी (राशि हजार रू में)
Capital Raised During The Period (Amount In Rs. Thousands)

सरकारी निर्गम Public Issue	N I L	राईट निर्गम Rights Issue	N I L
बोनस निर्गम Bonus Issue	N I L	निजी प्लेसमेंट Private Placement	N I L

III. निधियों के संग्रहण और अभियोजन की स्थिति (राशि हजार रू. में)
Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousands)

कुल देयताएँ Total Liabilities	2 4 1 0 8 8 0 5	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	2 4 1 0 8 8 0 5

निधियों के स्रोत
Sources of Funds

प्रदत्त पूँजी Paid-Up Capital	2 5 0 0 0 0	प्रारक्षित एवं अधिशेष Reserves & Surplus	3 2 9 6 7 2 4
रक्षित ऋण Secured Loans	1 6 4 8 0 0 0 0	अरक्षित ऋण Unsecured Loans	1 3 7 0 0 0 0
आस्थगित कर दायित्व Deferred Tax Liability	0 0 0 0 0 0		

निधियों का विनियोग
Application of Funds

शुध्द अचल परिसंपत्तियाँ Net Fixed Assets	5 1 3 2 4 3	शुध्द चालू परिसंपत्तियाँ Net Current Assets	2 0 7 1 7 7 7 1
निवेश Investments	1	विविध व्यय Miscellaneous Expenditure	N I L
		संचित हानि Accumulated Losses	N I L

iv. कंपनी का कार्य-निष्पादन (राशि हजार रू. में)
Performance of the Company (Amount In Rs. Thousands)

टर्न-ओवर Turnover	2748633 5	कुल व्यय Total Expenditure	27895401
कर पूर्व हानि Loss Before Tax	46526	कर पश्चात हानि Loss After Tax	29376
प्रति शेयर हानि रू. में Loss Per Share In Rs.	4	लाभांश दर (%) Dividend Rate%	0 %

v. **कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों, सेवाओं के सामान्य नाम (मुद्रा शर्तो के अनुसार)**
Generic Names of Three Principal Products,Service of the Company(As Per Monetary Terms)

मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) Item Code No.(ITC Code)	NOT APPLICABLE
उत्पाद का विवरण Product Description	FP COTTON BALES
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) Item Code No.(ITC Code)	NOT APPLICABLE
उत्पाद का विवरण Product Description	COTTON LINT
मद कोड संख्या (आईटीसी कोड) Item Code No.(ITC Code)	NOT APPLICABLE
उत्पाद का विवरण Product Description	COTTON SEEDS

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
For and on behalf of Board of Directors

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
(बी. के. मिश्र)	(सी.एस. तेवतिया)	(रा.कु. केडिया)	(मनोज बजाज)
(B. K. Mishra)	**(C.S. Teotia)**	**(R.K. Kedia)**	**(Manoj Bajaj)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**निदेशक (विपणन)**	**निदेशक (वित्त)**	**कंपनी सचिव एवं महाप्रबंधक(वित्त)**
Chairman-cum-Managing Director	**Director (Marketing)**	**Director (Finance)**	**Company Secretary-cum-Gen. Manager(Finance)**

दिनांक : 25-07-2011
स्थान : मुम्बई

Date : 25-07-2011
Place : Mumbai

सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए सांचा (सेवोत्तम)

सेवा सुपुर्दगी विवरणी के लिए टेम्पलेट (सांचा)

परिदृश्य विवरणी

मार्गदर्शन विषयः मंत्रालय/विभाग का दीर्घावधि लक्ष्य विजन (दृष्टि) है :

मंत्रालय/विभाग की दृष्टि

भारत सरकार की मूल्य समर्थन एजेन्सी के रूप में कार्य करना और देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कपास व्यापार में क्रमिक रूप से मार्केट शेयर बढाते हुए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कार्य-कलाप करना ।

मिशन विवरणी

मार्गदर्शन विषय : विजन (दृष्टि) को प्राप्त करने के लिए अल्पावधि संरचना या योजना मिशन है ।

वर्ष के लिए मिशन

1 जब कभी कपास के मूल्य भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य तक पहुँच जायें, तब भारत सरकार की ओर से समर्थन मूल्य कार्य, किसी मात्रात्मक सीमा के बिना करना ।

2 देशी और अंतर्राष्ट्रीय कार्य-कलाप दोनों में, वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए खरीद और बिक्री कार्य करना और क्रमशः मीडियम टर्म में 10% मार्केट शेयर तक पहुँचाने का प्रयास करना ।

3 जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्टरियों के आधुनिकीकरण के लिए दीर्घ और अल्पावधि उपाय आरंभ करना, ताकि वस्त्रोद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुरूप गुणवत्तावाली कपास का संसाधन प्राप्त किया जा सके ।

4 धारण और संसाधन में उत्कृष्ट प्रबंधन प्रथाओं के प्रोत्साहन द्वारा संदूषण-मुक्त कपास की उपलब्धता बढ़ाना ताकि यार्न, फेब्रिक और परिधान में विश्व स्पर्धा का सामना करने के लिए वस्त्रोद्योग की गुणवत्तावाली कपास की आवश्यकता पूरी की जा सके ।

5 कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-III तथा IV के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी की भूमिका निभाना.

वर्ष के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा अभिचिन्हित लक्ष्य

मार्गदर्शन विषयः अभिचिन्हित लक्ष्यों के बारे में मानदंडयोग्य कार्य-निष्पादन लक्ष्यों के साथ बतायें, जो इन लक्ष्यों के लिए निर्धारित किये गये हैं :

BENCHMARKING EXCELLENCE IN PUBLIC SERVICE DELIVERY (SEVOTTAM)

Template for Service Delivery Statement

Vision Statement

Guidance Text: 'VISION' is the long-term goal of the Ministry/Department

Vision of the Ministry/Department

To act as the Price Support Agency of the Government of India and to undertake commercially viable operations by gradual increase in market share, both in domestic and international cotton trade.

Mission Statement

Guidance Text: 'MISSION' is the short-term strategy or plan for achieving the vision

Mission for the year

1. To take up Price Support Operations on behalf of Government of India, as and when the kapas prices touch the support price fixed by the Government without any quantitative limit;
2. To take up purchases and sales ensuring commercial viability both in domestic and international operations gradually strive to reach 10% market share in medium term.
3. To initiate long and short term measures for modernizing ginning and pressing factories so as to achieve quality processing of cotton to match international standards for the textile industry.
4. To increase the availability of contamination free cotton by encouraging best management practices in handling and processing to meet quality cotton needs of textile industry to face the global competition in yarn, fabrics and made-ups.
5. To carry out role of implementing agency for Mini Missions III and IV of Technology Mission on Cotton.

Objectives for the year identified by the Ministry/ Department

Guidance Text: State the objectives identified along with measurable performance targets that have been set for these objectives:

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2010-11 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2010-11)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
	भाग ख - सामान्य मानदंड **PART A - COMMON PARAMETERS**		
I.	**स्थैतिक वित्तीय मानदंड** **Static financial parameters**		**(50%)**
	(क) (a)	वित्तीय कार्य-निष्पादन संकेतक Financial performance indicators	
		(i) सकल मार्जिन/टर्नओवर Gross margin/turnover (%)	10
		(ii) परिचालन टर्न-ओवर/ कर्मचारियों की संख्या (रू.लाख में/ कर्मचारी) Operational turnover/No.of employees (Rs.lakhs/employee)	12
	(ख) (b)	वित्तीय-संकेतक-आकार Financial indicators – size	
		(i) सकल मार्जिन (रू. करोड़ में) Gross margins (Rs. in Crores)	8
		ii) सकल बिक्री (रू. करोड़ में) Gross Sales (Rs. in Crores)	4
	(ग) (c)	वित्तीय रिटर्न-मजदूर Financial Returns – labour	
		(i) पीबीडीआयटी/कुल रोजगार (रू. लाख में/ कर्मचारी) PBDIT/total employment (Rs. Lacs / Employee)	7
		(ii) जोडा गया मूल्य / सकल बिक्री (%) Added value/Gross sales (%)	9
II		**सक्रिय मानदंड** **Dynamic Parameters**	**(32%)**
	2.1	**अनुसंधान तथा विकास / Research & Development**	
		(i) अनुसंधान केन्द्रों से किसानों तक प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण - फ्रन्टलाइन डेमोंस्ट्रेशन की संख्या (एफएलडी) Transfer of technology from Research Centres to farmers - No of Front Line Demonstration (FLD)	2
		(ii) भारत और विश्व में तथा भविष्य में सीसीआई की अनुकूल भूमिका पर सलाहकार द्वारा अभ्यास पूरा करना. Completion of study by consultant on Cotton Scenario in India & International and Strategic role of CCI in future	3

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2010-11 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2010-11)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
	2.2	**निरंतर विकास** **Sustainable development** (i) संदूषण मुक्त पूर्ण-बंधित गाँठें (कुल खरीद का %) Contamination free FP bales (% of total purchases)	5
	2.3	**निगमित सामाजिक दायित्व** **Corporate Social Responsibility**	
		(i) डीपीई के मार्गदर्शन के अनुसार मंडल द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर व्यय. Expenditure on implementation of projects to be approved by Board as per DPE Guidelines	5
	2.4	**ग्राहक संतुष्टि** **Customer Satisfaction**	
		(i) संविदा निष्पादन % (कुल बिक्री का प्रतिशत गॉठों में) Contract performance percentage (% of total Sales in bales)	3
		(ii) गुणवत्ता शिकायत (कुल बिक्री का % गॉठों में) Quality complaints (% of total sales in bales)	3
	2.5	**परियोजनाएँ** **Projects**	
		(i) संविदा खेती परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र Area under contract farming projects	3
		(ii) कपास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन के अनुसार पूरे किए जाने वाले मार्केट यार्डो की संख्या No. of Marketing yards to be completed as per Mini Mission of Technology Mission of Cotton	4
	2.6	**कर्मचारी प्रशिक्षण** **Employee Training**	
		(i) प्रशिक्षण संस्थान से कार्यपालक प्रशिक्षण (व्यक्ति) पुरस्कार प्रमाण-पत्र के साथ Executive training with award certificate from Training Institute (persons)	2
		(ii) गैर-कार्यपालक (व्यक्ति) Non-executive (persons)	2

सं. No.	लक्ष्य सीसीआई और वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2010-11 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार Objectives (As per MoU signed between CCI and MoT, Government of India for 2010-11)		मानदंड योग्य कार्यनिष्पादन लक्ष्य Measurable Performance Targets
III		**भाग ख - विशिष्ट मानदण्ड** **PART B - SPECIFIC PARAMETERS**	(18%)
3 A		(i) सीसीआई निर्यात बिक्री में वृद्धि (मात्रात्मक शर्तों में) पिछले वर्ष के अनुसार Increase in CCI's export sales (in quantitative terms) over that of last year	2
		(ii) 30.09.2010 को न बेचे गए स्टॉक की मालसूची (कपास मौसम खरीद का %) लेखा परीक्षकों के प्रमाण-पत्र के अनुसार Inventory unsold stock as on 30.09.2010 (% of cotton season purchases) as per Auditors certificate	6
3 B		कपास की जि.एवं प्रे. के लिए संसाधन चक्र में सुधार - दिनों की संख्या Improvement in processing cycle for G & P of kapas - No of days	5
3 C		वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित आधुनिक जि.एवं प्रे. फैक्टरियों की संख्या No. of G & P factories modernized certified by Textile Committee (Nos)	5

ग्राहक समूह तथा मंत्रालय / विभाग से उनकी अपेक्षाएं

मार्गदर्शन विषयः ग्राहक समूहों को उनकी अपेक्षाओं के साथ अभिचिन्हित करें

CLIENT GROUPS AND THEIR REQUIREMENTS FROM THE MINISTRY/DEPARTMENT

Guidance Text: Identify client groups along with their requirements

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
1	कपास किसान Cotton Farmers	1. कपास के लिए एपीएमसी बाजार में की जाने वाली प्रत्येक दिन की नीलामी में सीसीआई प्रतिनिधि की सहभागिता Participation of CCI representative in daily auctions conducted in APMC market yards for kapas; 2. कपास का समय पर तुलन Timely weighment of kapas. 3. प्रस्तावित कपास की गुणवत्ता तथा ग्रेड के अनुसार कपास मूल्य का भुगतान किया जाना Kapas price to be paid with reference to quality and grade of cotton offered.. 4. कपास के लिए समय पर भुगतान Timely payment for the kapas. 5. किसानों द्वारा की गई कोई शिकायत तथा समाधान Any grievances of the farmers to be addressed and solved.
2	खरीददार मिलें - देशी मिलें Buyer-mills – domestic mills	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. . 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades.. 4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना Timely offering of bales, after confirmation of sale..

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
		5. खरीददार के अनुरोध के अनुसार सुपुर्दगी आदेशों को जारी करते हुए समय पर गाँठों का प्रेषण. Timely Dispatch of bales including issuance of delivery orders as per the request of the buyers. 6. स्पॉट पर प्रत्येक गाँठ का 100% वजन करना । Carry out 100% bale to bale weighment at spot. 7. गोदाम भंडारण सुविधा के अंतर्गत संतोषजनक सेवाएं । Satisfactory services under Godown Storage Facility. 8. बीजकों, डेबिट नोट्स आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 9. लेखों के निपटान तथा आवश्यक बिक्री कर फॉर्मस् की प्रस्तुती के बाद यदि कोई हो, तो अतिरिक्त राशि को समय पर वापस करना Timely settlement of account and refund of excess money, if any, subject to submission of required sales tax forms. 10. गुणवत्ता तथा वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.
3	खरीददार मिलें- अंतर्राष्ट्रीय खरीददार Buyer-mills – international buyers	1. कपास की मांग, आपूर्ति तथा गुणवत्ता के बारे में बाजार आसूचना का नियमित अंतराल पर मूल्यांकन । Appraisal of market intelligence regarding demand, supply and quality of cotton at regular interval. 2. समय-समय पर विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के नमूना प्रकार की आपूर्ति । Supply of type samples of various varieties and grades from time to time. 3. विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडस के लिए उपलब्ध स्टॉक का मूल्यांकन । Appraisal of availability of stocks for various varieties and grades from time to time.

	ग्राहक समूह / Client Groups	अपेक्षाएँ / Requirement
		4. बिक्री की पुष्टि के पश्चात समय पर गॉठें प्रस्तावित करना । Timely offering of bales, after confirmation of sale. 5. खरीददारों से एल/सी तथा पोतवहन के अनुदेश की प्राप्ति पर गाँठों का समय पर पोतवहन. Timely shipment of bales on receipt of L/C and shipping instructions from buyers. 6. पोतवहन के पूर्व तुलन नियंत्रक द्वारा वजन करना । Carry out weighment by weighment controller before shipment. 7. बीजक, डेबिट नोट आदि की समय पर आपूर्ति । Timely supply of invoices, debit notes etc. 8. समय पर लेखों के निपटान तथा अतिरिक्त राशि की समय पर वापसी, यदि कोई हो Timely settlement of account and refund of excess money, if any. 9. गुणवत्ता, वजन आदि के संदर्भ में किसी भी शिकायत पर समय पर ध्यान देना. Timely attention of any grievances with reference to quality, weighment etc.

स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्शः

CONSULTATION WITH STAKEHOLDERS

मार्गदर्शन विषयः चार्टर बनाने के लिए तथा ऊपर बताए गए उद्दश्यों/लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शामिल/संपर्क में स्टेकहोल्डर्स के ब्यौरे दें.

Guidance Text: Give the details of stakeholders' involved/contacted in charter formulation and for arriving at the above stated Objectives/Targets

चार्टर टास्क फोर्स का गठन

Constitution of Charter Task Force

	पदनाम **Designation**	**जिनसे परामर्श किया गया उन संगठनों/व्यक्तियों के ब्यौरे** **Details of individuals/institutions consulted**
1.	विभाग के अधिकारी Department Officials	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार । Joint Secretary, Ministry of Textiles, Government of India.
2.	अन्य संबधित विभागों से प्रतिनिधि Representative from other concerned departments	टास्क फोर्स सदस्य, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ है । Task force members who are experts drawn from various fields.
3.	सेवा/उत्पाद की आपूर्ति Supplier of Services/Products	ला.न. NA
4.	गैर-सरकारी संगठन NGOs	ला.न. NA
5.	आरडब्ल्यूएज RWAs	ला.न. NA
6.	यूनियन्स Unions	ला.न. NA
7.	नागरिक/प्रतिनिधि Citizens/Representatives	ला.न. NA
8.	अन्य कोई Any Other	निगम के वरिष्ठ प्रबंधन की टीम Senior Management team of the Corporation.

आयोजित की गई परामर्श बैठकें / लिया गया परामर्श

CONSULTATION MEETINGS CONDUCTED/CONSULTATIONS CARRIED OUT

1.	समझौता ज्ञापन के लिए कार्य-निष्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करते समय वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ आयोजित की गई बैठकें । Meetings conducted with the officials of the Ministry of Textiles, Government of India while finalizing the performance targets for MoU.	समझौता ज्ञापन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में टास्क फोर्स तथा सीसीआई प्रबंधन टीम ने उनके साथ परामर्श किया गया तथा उसके पश्चात् निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया । Consultations with Task Force and CCI Management Team in the presence of Ministry officials for finalization of MoU targets and then duly approved by the Board of Directors.

चार्टर की विशेषताएं तथा प्रचार - प्रसार
CHARTER CHARACTERISTICS AND DISSEMINATION

मार्गदर्शन विषयः क्या चार्टर में नीचे दी गई विशेषताएं है तथा प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग में लायी गयी पद्धति है बताएं (हां/नहीं)

Guidance Text: Indicate whether the characteristics given below are present in the charter and method of dissemination utilized (Yes/No)

भाषा **Language**	**सरलता** **Simplicity**	**उपयुक्तता** **Adequacy**
स्थानीय भाषा (नहीं) Local Language (No)	सरणीबद्ध रूप से (नहीं) Tabular Form (No)	समय के मानदंड (हाँ) Time Norms (Yes)
हिंदी (हाँ) Hindi (Yes)	सरल भाषा (हाँ) Simple Language (Yes)	आवश्यक दस्तावेज (नहीं) Documents Required (No)
अंग्रेजी (हाँ) English (Yes)	संक्षिप्त विवरणी (हाँ) Brief Statements (Yes)	अपवाद Exceptions
	संदर्भित ब्यौरे (हाँ) Reference to Details (Yes)	शुल्क/प्रभार (नहीं) Fees/Charges (No)
		उपचारी उपाय (हाँ) Remedial Measures (Yes)
		अन्य कोई (नहीं) Any Other (No)

प्रचार-प्रसार की पद्धति
Methods for Dissemination

1.	**बैठकें, संगोष्ठी तथा सम्मेलनः** **Meetings, Seminars and Conferences**: मौसम के दौरान नियमित रूप से किसानों की जागरूकता बैठकें, संगोष्ठी आदि आयोजित की जाती है । उसी प्रकार, नियमित रूप से खरीददारों के साथ बैठकें आयोजित की जाती है । Farmers' Awareness Meetings, Seminars etc., are being arranged at regular intervals during the season. Similarly, meetings with buyers are arranged regularly.
2.	**समाचार-पत्रों में विज्ञापनः** **Newspaper advertisements**: अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ-साथ स्थानीय भाषाओं के समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किए जाते हैं । Newspaper advertisements are issued in local languages also in addition to English and Hindi
3.	**पत्रक / पुस्तिकाः** **Leaflets / Brochures**: कपास किसानों को स्थानीय भाषाओं में वितरित किया जाता है । Distributed to the cotton growers in local languages.
4.	पत्रक, पुस्तिका के अलावा, एपीएमसी मार्केट यार्ड में नोटीस बोर्ड हिंदी तथा स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाता है । Besides leaflets, brochures, Notice Boards at various APMC market yards in Hindi and local languages are being displayed.
5.	दस्तावेजों में मुद्रित जानकारी ग्राहकों को फैक्स/ई-मेल /वेब-साईट पर प्रदर्शित करते हुए दी जाती है । Information printed in documents given to customers - by way of Fax/e-mails/display on website.
6.	जागरूकता बैठकों/किसान मेलों के मामले में सिटीजन इंटरफेस प्वाईंट पर जनता को संबोधित करने की प्रणाली. Public Address System at Citizen interface points in case of awareness meetings / Kisan Melas.
7.	अन्य कोई - लागू नहीं Any other: N.A.

फीड बैक प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनः
Means Available for obtaining feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या नीचे बताए गए उपाय उपलब्ध हैं. उपयोग में लाए गए हैं तथा क्या इस संबंध में डीएआरपीजी मार्गदर्शन का अनुपालन हो रहा है ।

Guidance Text: Indicate whether the means indicated below are available /used and whether DARPG guidelines regarding these are being followed

संख्या No.	वे संसाधन जिनके द्वारा विभाग फीड-बैक प्राप्त करता है, हाँ/नहीं Means by which Department obtains feedback (Yes/No)	डीएआरपीजी मार्गदर्शन (हाँ / नहीं / ला.न.) DARPG Guidelines (Yes/No/NA)
1.	ग्राहकों /नागरिकों द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार वैयक्तिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया. Written Communication handed personally by clients/citizens	हाँ Yes
2.	पोस्ट/कुरियर द्वारा लिखित पत्र-व्यवहार Written Communication through Post/Courier	हाँ Yes
3.	टेलीफोन Telephone	हाँ Yes
4.	वैयक्तिक भेंट द्वारा मौखिक रूप से Verbal through Personal Visit	हाँ Yes
5.	वेब साईट Website	हाँ Yes
6.	कार्यशाला, संगोष्टि तथा सम्मेलन Workshops, Seminars and Conferences	हाँ Yes
7.	शिकायत/सुझाव बॉक्सेस Complaint/Suggestion Boxes	हाँ Yes
8.	अन्य कोई Any Other	ला.न. NA

फीड-बैक का रिकार्डिंग तथा विश्लेषण

Recording and analyzing feedback

मार्गदर्शन विषय : बताएँ कि क्या फीड-बैक वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया विद्यमान है तथा इस प्रक्रिया से प्राप्त परिणाम दें

Guidance Text: Indicate whether there exists a process for classification of feedback and give the results obtained from this process

फीडबैक वर्गीकरण के लिए कोई प्रक्रिया है (हा / नहीं)

IS THERE A PROCESS FOR CLASSIFYING FEEDBACK (YES/NO)

निम्न प्रकार की सूचना इस विधि में शामिल हैः

DOES THIS PROCESS COVER THE FOLLOWING COMMUNICATION TYPES

	सूचना का प्रकार Communication Type	बताएं हाँ / नहीं State Yes/No
1.	सुझावों Suggestions	हाँ Yes
2.	शिकायत Grievances	हाँ Yes
3.	प्रशंसा Compliments	हाँ Yes
4.	प्रश्न Queries	हाँ Yes

उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में फीड-बैक के विश्लेषण के बाद संक्षिप्त में बताएँ कि ऐसे कौन से शिकायतें-उन्मुख क्षेत्र हैं, जहाँ प्रकिया में कोई परिवर्तन तथा / या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है.

After analyzing feedback in each of the above categories, briefly state which are the grievance prone areas requiring process changes and/or additional outlays

फीड-बैक ग्राहकों से प्राप्त करने की विद्यमान पद्धति संतोषजनक कार्य कर रही है तथा प्रकिया में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.

The present system of getting feedback from clients is working satisfactorily and does not require any process changes.

शिकायत निवारण के लिए मानदंडः
Norms for Grievance Handling

मार्गदर्शन विषयः आवेदक को पावती, सुधार तथा अंतरिम/अंतिम उत्तर के लिए समय मानदंड (यदि निर्धारित है) बतायें ।
Guidance Text: Indicate time norms (if decided) for acknowledgement, redressal and interim/final reply to petitioner

शिकायत का स्तर Grievance stage	विद्यमान समय मापदंड (हाँ/नहीं) Time Norm present (Yes/No)	संबंधित समय मापदंड Relevant Time Norm
शिकायत की पावती Acknowledgement of Grievance	हाँ Yes	तत्काल Immediate
शिकायत का निवारण Redressal of complaints	हाँ Yes	समय पर Timely
अंतरिम / अंतिम उत्तर Interim / Final Reply	हाँ Yes	समय पर Timely

उद्देश्यों की उपलब्धिः
Achievement of Objectives

मार्गदर्शन विषयः विशिष्ट उद्देश्यों तथा कार्य निष्पादन लक्ष्य के साथ उनके लिए आवश्यक कार्रवाई तथा / योजना बतायें .
क्या प्रत्येक उद्देश्य के लिए कार्य निष्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया गया । - हाँ
Guidance Text: Mention specific objective and Performance Target along with the action needed/planned for them
Have performance target been achieved for each objective: Yes

मंत्रालय/विभाग द्वारा पिछले वर्ष के लिए प्रत्येक लक्ष्य हेतु नीचे दिए अनुसार बताएँ
State the following for each objective set by the Ministry/Department is the previous year

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2009-10 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2009-10	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
I	**स्थैतिक वित्तीय पैरामीटर्स (50%)** **Static Financial Parameters (50%)**					
क (a)	वित्तीय संकेतक Financial Performance Indicators					
(i)	सकल मार्जिन/टर्न ओवर (%) Gross Margin/Turnover (%)	6.88	3.34	10	5	0.50
(ii)	परिचालन टर्न-ओवर/कर्म.की संख्या (लाख रू./कर्म) Operational turnover/No.of employees (Rs.lakhs/employee)	464.67	671.05	12	1	0.12

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2009-10 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2009-10	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
(ख) (b)	वित्तीय संकेतक **Financial Indicators - Size**					
(i)	सकल मार्जिन (करोड रू.में) Gross Margin (Rs.in crores)	530	314.13	8	5	0.40
(ii)	सकल बिक्री (करोड रू.में.) Gross Sales (Rs.in crores)	7700	9391.27	4	1	0.04
(c)	वित्तीय रिटर्न-श्रम **Financial Returns – Labour**					
(i)	पीबीडीआईटी/कुल रोजगार (लाख रू./कर्म.) PBDIT/Total employment (Rs.lakhs/employee)	40.77	25.48	7	5	0.35
(ii)	वर्धित मूल्य/सकल बिक्री (%) Added Value/Gross Sales (%)	8.45	1.12	9	5	0.45
II	सक्रिय पैरामीटर्स (30%) **DYNAMIC PARAMETERS (30%)**					
(i)	गुणवत्ता **Quality** संदूषण मुक्त पू.बं.गॉठें (%) (खरीद का प्रतिशत) Contamination free FP bales (%) (Percentage of procurement)	70	75	3	1	0.03
(ii)	जिनिंग एवं प्रोसेसिंग प्रति गाँठ (दर रू. में) Ginning & Processing per bale (Rate in Rs.)	825	665.45	2	1.00	0.02
(iii)	एक्स गोदाम आधार पर बिक्री तथा संवितरण व्यय Selling & Distribution Exp per bale exgodown basis (Rate in Rs.)	55	53.83	2	1.79	0.04

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2009-10 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2009-10	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
(iv)	**ग्राहकों की संतुष्टी / Customer Delight** पिछले वर्ष की तुलना में 50% या उससे अधिक खरीद करने वाले वर्तमान ग्राहकों को बनाये रखना.* Retention of existing customers purchasing 50% or more compared with last year (%)*	55	85	2	1	0.02
	संविदा कार्य निष्पादन प्रतिशत (गॉठों में कुल बिक्री का %) Contract performance percentage (% to total sales in bales)	99	99.91	2	109	0.02
	गुणवत्ता शिकायतें (गॉठों में कुल बिक्री का %) Quality complaints (% of total sales in bales)	0.95	0.11	2	1	0.02
	खरीद व्यय पर अभ्यास तथा मंडल को रिपोर्ट Study on Procurement expenses and report to the Board	30.09.09	29.08.09	3	1	0.03
(v)	**मासंवि** **प्रशासन, सतर्कता, वित्त, विपणन, संगणक, कपास परीक्षण तथा संसाधन (कर्मचारियों की संख्या)** **HRD** **Training-Admn, Vigilance, Finance, Marketing, Computer, Cotton testing etc., (No.of employees)**					
	i कार्यपालक / Executives	22	27	2	1	0.02
	ii गैर-कार्यपालक / Non-executives	68	78	2	1	0.02
(vi) (क) (a)	**परियोजना कार्यान्वयन** **Project Implementation** वर्ष 2009-10 के दौरान संविदा खेती परियोजनाओं के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में) Area covered under contract farming projects handled during the year 2009-10 (in hectares)`	36838	47735	3	1	0.03
(ख) (b)	निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए निश्चित तारीख के साथ महाराष्ट्र राज्य भंडारगृह निगम के साथ संयुक्त उद्यम के लिए विशाखीकरण/ वायदा एकीकरण. Diversification/forward integration of Entering of JV with Maharashtra State Warehousing Corporation with target date for approval by Board of Directors.	31.07.09	-	4	5	0.2
(ग) (c)	भूमि पर संयुक्त उद्यम गोदाम का निर्माण आरंभ करना Start of construction of JV godowns on ground	31.01.10	-	3	5	0.15

क्र सं. Sl. No.	ब्यौरे Particulars	स.ज्ञा 2009-10 के अनुसार लक्ष्य Target as per MoU 2009-10	वास्तविक उपलब्धि Actual achieve-ment	वेटेज Weigh tage	रॉ-स्कोर Raw Score	रॉ-स्कोर के लिए वेटेज Weightage of raw score
	भाग ख - विशिष्ट पैरामीटर्स **PART B – SPECIFIC PARAMETERS**					
I	**विशिष्ट क्षेत्र (10%)** **SECTOR SPECIFIC (10%)**					
(i)	सीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार टर्नओवर में पिछले वर्ष से वृद्धि(%) Increase in CCI's International trade turnover (in quantitative terms) over that of last year(%)	25.00	-67.77%	4	5	0.2
(ii)	दिनांक 30.09.2009 को न बेचे गए स्टॉक की मालसूची (कपास मौसम की खरीद का %) Inventory unsold stock as on 30.09.2009 (% of cotton season purchases)	20.00	5.30	6	1	0.06
II	**उद्यम विशिष्ट कार्य तथा दक्षता पैरामीटर्स (10%)** **ENTERPRISE SPECIFIC & EFFICIENCY PARAMETERS (10%)**					
(i)	कपास की जि.एवं.प्रे. के लिए संसाधन चक्र में सुधार-- दिनों की संख्या Improvement in processing cycle for G&P of kapas- No of days	30	24	5	1	0.05
(ii)	वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणित जि.एवं प्रे.फैक्टरियों की संख्या No of G&P factories certified by Textile Committee	50	-	5	5	0.25
	कॉम्पोझिट स्कोर Composite score					3.02

भाग V समझौता ज्ञापन के कार्यान्चयन तथा मॉनिटरिंग के लिए कार्रवाई योजना
PART V – ACTION PLAN FOR IMPLEMENTATION & MONITORING OF THE MoU

क्र.सं. Sl No	ब्यौरे Particulars	देय तारीख Due date	वास्तविक तारीख Actual date
1	वर्ष 2010-11 के लिए प्रशा.मंत्रालय/विभाग के साथ यथोचित विचार विमर्श के बाद समझौता ज्ञापनं मसौदा समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of draft MoU for 2010-11 after due discussion with Adm. Ministry/Department.	30 नवंबर, 2009 से पहले Before 30th November 2009	26 नवंबर, 2009 26th November 2009
2	वर्ष 2009-10 के लिए समझौता ज्ञापन समय पर हस्ताक्षर करना Timely signing of MoU for the year 2009-10	31 मार्च, 2009 तक By 31st March 2009	30 मार्च, 2009 30th March 2009
3	वर्ष 2009-10 के लिए लेखा परिक्षित आंकडों के आधार पर कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना Timely submission of Performance Evaluation Report (composite score) for 2009-10 MoU on the basis of audited data	31 अगस्त, 2010 से पहले By 31th August 2010	27 अगस्त, 2010 27th August 2010

वास्तविक कार्य निष्पादन Actual Performance	समझौता ज्ञापन कम्पोजिट स्कोर 3.02 : अच्छा MoU composite score 3.02: Good
लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण (यदि वास्तविक कार्य निष्पादन मेल नहीं खाता/ कार्य निष्पादन लक्ष्य को पार किया है) Reasons for not achieving (if actual performance doesn't match/exceed performance target)	ला.न N.A.
कार्रवाई की आवश्यकता/योजनाबद्ध Action Needed/Planned	--
सीखना Learning	--

सीखे हुए पाठ के आधार पर कार्य
Initiatives based on lessons learnt

मार्गदर्शन विषयः उपर्युक्त सीख के आधार पर किए गए विशिष्ट कार्य का उल्लेख करें
Guidance Text: Mention specific initiatives undertaken based on learnings above

	मानदंडो को बनाने/सुधारने तथा उनकी उपलब्धि के लिए किए गए कार्य Initiatives planned for Setting/Improving standards and achieving them
1.	आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के एसडबल्यूसी के साथ संयुक्त उद्यम परियोजना बनाने के लिए कदम उठाए गए है. Steps initiated for exploring joint venture projects with SWCs of AP and Maharashtra.
2.	कपास की जिनिंग एवं प्रेसिंग हेतु संसाधन चक्र कम करने के लिए अध्ययन आयोजित किया गया. Study conducted to reduce processing cycle for ginning and pressing of kapas

नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के लिए निरंतर संपर्क रखना.
Tracking Citizen/Client Satisfaction

मार्गदर्शन विषयः स्टेकहोल्डर संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया हो, तो उल्लेख करें तथा विश्लेषण के पश्चात मामलों को संक्षिप्त में बताएं .
Guidance Text: Mention if there is a process to determine stakeholder satisfaction and briefly describe the issues after analysis

क्या नागरिक/ग्राहक संतुष्टि प्रक्रिया करने की यदि कोई प्रक्रिया है. Is there a process in place to track Citizen/Client satisfaction		हाँ/नहीं Yes/No
यदि हाँ, तो क्या निम्न संकेतकों को शामिल किया गया है If yes, state whether it incorporates the following indicators		
क्र. No.	नागरिक/ग्राहक संतुष्टि के संकेतक Indicators of Citizen/Client Satisfaction	संकलित (हाँ/नहीं) Compiled (Yes/No)
1.	समाचार-पत्र रिपोर्टस Newspaper Reports	हाँ Yes
2.	निरीक्षण रिपोर्ट टिप्पणी Inspection Report Comments	हाँ Yes
3.	वरिष्ठ अधिकारी दौरा टिप्पणी Senior Officer Visit Comments	हाँ Yes
4.	ग्राहक सर्वेक्षण संकेतक Client Survey Indicators	हाँ Yes
5.	अन्य कोई Any Other	
उपर्युक्त पद्धति दारा अभिचिन्हित विषयों को संक्षिप्त में बताएं Briefly state the issues identified by the above process		

क्षमता

1. निगम के पास बहुत अनुभवी कार्यपालक तथा क्षेत्रीय कर्मचारी है.
2. सभी कपास उत्पादक राज्यों में 270 खरीद केन्द्रों के परिचालन का अखिल भारतीय नेट-वर्क है.
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य एजेन्सी होने के कारण, न्यूनतम संरचना रखी गयी है तथा उसी का उपयोग वाणिज्यिक खरीद के लिए किया जाता है.
4. राष्ट्रीय स्तर की एजेन्सी के रूप में निगम बड़ी मात्रा में कपास की सभी किस्मों /ग्रेडस की आपूर्ति कर सकता है.
5. निगम अपने मिल खरीददारों को गोदाम सुविधा भी देता है, ताकि प्रत्येक गाँठ का प्रबंधन किया जा सके तथा परिवहन अवधि से बचा जा सके.
6. "गुणवत्तावाली कपास का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता" के रूप में नाम कमाया है.
7. खरीददारों को बाजार आसूचना का नियमित रूप से फीड-बैक देता है, उसे व्यापार में बदलता है.
8. कपास की खरीद से पूर्णबंधित गाँठों की बिक्री तक, अपने सभी कार्य-कलापों (परिचालन) में पारदर्शिता रखता है.
9. बिक्री पूर्व तथा बाद में प्रभावी सेवा ने निगम के टर्न-ओवर को प्रति वर्ष बढ़ाने में सहायता दी है.

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रः

1. अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिए रूई का अनुमान, कमियाँ, कपास बिनौले, विविध आदि सभी पहलुओं की समीक्षा.
2. प्रेस्ड से सुपुर्दगी वजन में कमी को नियंत्रित करना तथा घटाना.

अन्य कोई महत्वपूर्ण मामलाः

1. कपास की देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्ति के साथ-साथ उन सभी कारणों को मॉनिटर करना, जो कपास की मांग तथा मूल्य प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकते हैं ।
2. निगम के पास उपलब्ध कपास की मालसूची को मॉनिटर करना.
3. निधि की उपलब्धता तथा उसकी आवश्यकता को मॉनिटर करना.

Strengths

1. Corporation has got well experienced field staff and executives;
2. All India network with operations at more than 270 procurement centers in all the cotton growing States;
3. As MSP agency, maintaining bare minimum infrastructure and the same is used for commercial operations;
4. As the national level agency, Corporation is in a position to supply all varieties/grades of cotton in bulk;
5. Corporation is also extending the Godown Storage Facility to its mills buyers to enable bale-to-bale management and also save on in transit period;
6. Earned a reputation of “dependable supplier of quality cotton”.
7. Regular feed back to the buyers on marketing intelligence, translates into business;
8. Full transparency is maintained in all its operations, right from procurement of kapas to sale of FP bales.
9. Effective pre-and post sales services have helped in increasing the turnover of the corporation from year to year.

Areas requiring Improvement

1. Review of all aspects of budgeting lint, shortages, cotton seed, miscellaneous results for obtaining optimum results
2. Controlling and mitigating shortages in press to delivery weight.

Any other significant Issues

1. Monitoring of domestic & international cotton price trend as well as factors that may influence the price behaviour and demand of cotton;
2. Monitoring the inventory level of cotton with the Corporation;
3. Monitoring availability of funds and its requirements.

नागरिक/ग्राहक फोकस तथा संतुष्टि में सुधार लाना.

मार्गदर्शन विषयः स्टेक होल्डर संतुष्टि के विश्लेषण से अभिचिन्हित क्षेत्रों में किए गए उपायों को संक्षिप्त में बताएं :

क्र	उक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए किए गए उपाय
	ग्राहकों से प्राप्त फीड-बैक के आधार पर, आगामी वर्ष के लिए विपणन नीति बनाने/सुधारने के लिए आवश्यक निर्णय लिये जाते हैं।

कर्मचारियों की क्षमता में सुधार करना.

मार्गदर्शन विषय : मंत्रालय / विभाग में क्षमता बढ़ाने के लिए जा रहे प्रयत्नो के बारे में केंद्रित क्षेत्रो तथा प्राप्त परिणाम सुधार के बारे में बताये.

Improving Citizen/Client Focus and satisfaction

Guidance Text: Briefly state the measures planned in areas identified from the analysis of stakeholders' satisfaction

No.	Measures for making improvement in above identified areas
	Based on feedback received from the clients, necessary decisions are taken to modify/ formulate the marketing strategies for the ensuing year.

Improving Employees Capabilities

Guidance Text: Briefly state the capability building efforts being made in the Ministry/Department along with the areas focused and improvements resulted

प्रशिक्षण

ब्यौरे (अवधि,स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र/क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
प्रबंधकीय कुशलता विकसित करने के लिए कार्यपालक तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।	कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक	कुशल मानव शक्ति की संख्या में सुधार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर निर्णय हुए है।

Trainings

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Training is imparted to employees as well as executives for developing managerial skills.	Executives/ Non-executives	Number of skilled manpower has improved, which has resulted in better decision-making.

परामर्श

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि)	केंद्रित क्षेत्र/क्षेत्रों	प्राप्त सुधार
निगम के परिचालन में दिन प्रति दिन सुधार के लिए सुझाव हेतु समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है ।	परिचालन मामले	इस प्रकार की बैठकें पर्याप्त रूप से प्रभावी हैं ।

Counseling

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Review meetings are held from time to time to suggest the improvement in the day-to-day operations of the Corporation and achieve set targets/goals.	Operational matters	Such meetings are quite effective .

अन्य साधन

ब्यौरे (कालावधि, स्थान आदि) Details (Duration, Location etc.)	केंद्रित क्षेत्र/क्षेत्रों Focus Area/s	उपलब्धि में सुधार Improvement Achieved
तिमाही - शाखा स्तर पर संयुक्त प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की जाती है - छःमाही तिमाही मुख्यालय में केन्द्रीय संयुक्त प्रबंधन परिषद की बैठकें आयोजित होती हैं-	परिचालन क्षेत्र	कर्मचारियों में जागरूकता निर्माण करना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन में भाग लेना ।

Other Tools

Details (Duration, Location etc.)	Focus Area/s	Improvement Achieved
Joint Management Council Meetings are held at Branch Offices- Quarterly Central Joint Management Council Meetings are held at HO – Half yearly.	Operational areas	To create awareness amongst all employees and have participative management at different levels.

न्यूनतम संरचना की आवश्यकता

मार्गदर्शन विषयः जहाँ आवश्यक हो उपलब्ध संरचना को संक्षिप्त में बताए, क्या मंत्रालय/ विभाग ने इस संबंध में मार्गदर्शन जारी किए हैं तथा इन क्षेत्रों में कार्रवाई योजना के साथ ध्यान देने योग्य आवश्यक क्षेत्र बतायें ।

Minimum Infrastructure Requirement

Guidance Text: Briefly state whether required infrastructure is available, whether Ministry/ Department has issued guidelines in this regard and indicate areas that need attention along with Action planned in these areas

क्या आवश्यक संरचना उपलब्ध है **हॉ / नहीं**
Is the required infrastructure available **Yes/No**

संख्या No.	न्यूनतम संरचना निर्देशिका Minimum Infrastructure Guidelines	अंतिम अद्यतन की तारीख Last Updation Date	वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी Comment on Current Status
1.	पर्याप्त फर्निचर Adequate Furniture	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
2.	प्रसाधन गृह/गृहों की उपलब्धता Availability of Toilet/s	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
3.	बिजली की उपलब्धता Availability of Electricity	हां Yes	संतोषजनक Satisfactory
4.	अन्य संबंधित मामले Any other relevant issues	शून्य Nil	लागू नहीं NA

वे क्षेत्र बतायें, जहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है
State areas that need attention

मार्गदर्शन के अनुसार उचित ध्यान दिया जाता है.
As per the guidelines, adequate care is being taken.

उपर्युक्त अभिचिन्हित क्षेत्रों में कार्रवाई योजना
Action planned in the above identified areas

पर्याप्त संरचना उपलब्ध है, अतः कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है ।
Sufficient infrastructure is available and hence no action is required.

बैंको की सूची (संकाय)
LIST OF BANKS (CONSORTIUM)

बैंक ऑफ बड़ौदा	BANK OF BARODA
बैंक ऑफ इंडिया	BANK OF INDIA
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	CENTRAL BANK OF INDIA
कॉरपोरेशन बैंक	CORPORATION BANK
देना बैंक	DENA BANK
आईडीबीआई बैंक	IDBI BANK
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	ORIENTAL BANK OF COMMERCE
पंजाब नेशनल बैंक	PUNJAB NATIONAL BANK
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	STATE BANK OF BIKANER & JAIPUR
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	STATE BANK OF HYDERABAD
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	STATE BANK OF INDIA
सिंडीकेट बैंक	SYNDICATE BANK
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	UNION BANK OF INDIA
विजया बैंक	VIJAYA BANK

NOTES



श्री डी.सी. सागर, भा.पु.से., मु.स.अ.
Shri D. C. Sagar I.P.S., C.V.O.



डॉ. रीता कुमार, मु.म.प्र (विप)
Dr. Rita Kumar, CGM (Mktg.)



श्री ए.के. जैन, मु.म.प्र (वित्त)
Shri A.K. Jain, CGM (Finance)



श्री मनोज बजाज,
कंपनी सचिव एवं महा प्रबंधक (वित्त)
Shri Manoj Bajaj
Company Secretary cum G.M. (Finance)

महा प्रबंधक
General Managers

श्री आर. सी. सरकार
Shri R. C. Sarkar

श्री ललित कुमार गुप्ता
Shri Lalit Kumar Gupta

श्री एस. के. पाणिग्रही
Shri S. K. Panigrahi

श्री एस. के. दास
Shri S. K. Das

श्री पी. के. अग्रवाल
Shri P. K. Agarwal

श्री पी. टी. पिल्लेवार
Shri P. T. Pillewar

श्री आर. के. गुप्ता
Shri R. K. Gupta

उप महा प्रबंधक
Deputy General Manager

Dr. S. K. Chaturvedi
डॉ. एस.के.चर्तुवेदी

Shri Atul Kala
श्री अतुल काला

Smt. S. C. Acharekar
श्रीमती एस.सी. आचरेकर

Shri Vishal K. Sinha
श्री विशाल के सिन्हा

Shri R.C. Bansal
श्री. आर.सी. बंसल

Shri U.K. Singh
श्री. यू.के. सिंह

Shri A. K. Srivastava
श्री ए. के. श्रीवास्तव

Designed & Printed by creativeline2009@gmail.com